अध्याय-1
संगठन

1.1 संरचना

1.1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (पहले "पशुपालन और डेयरी विभाग" के नाम से जाना जाता था), कृषि मंत्रालय का एक विभाग है, जो कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात् पशुपालन और डेयरी विकास को मिला करके 1 फरवरी,1991 को अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मात्स्यिकी प्रभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा इस नए विभाग में 10 अक्तूबर, 1997 में अंतरित कर दिया गया था।

1.1.2 यह विभाग, श्री शरद पवार, माननीय कृषि मंत्री के सम्पूर्ण प्रभार में है। उनकी सहायता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन पशुपालन राज्य मंत्री करते हैं। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) हैं। श्री पी0एम0ए0 हकीम की सेवानिवृत्ति के बाद सुश्री चारुशीला सोहोनी ने 1 अगस्त, 2006 को सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।

1.1.3 विभाग के सचिव के प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में एक पशुपालन आयुक्त, चार संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट तथा प्रभाग प्रमुखों के बीच कार्य आबंटन अनुबंध -1 में दिया गया है।

1.2 कार्य

1.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने और डेयरी विकास से संबंधित कार्यों और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। यह विभाग मछली पकड़ने और मत्स्यपालन पालन से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है, जिसमें अंतर्देशीय तथा समुद्री क्षेत्र और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड शामिल हैं।

- फरवरी, 1991 में विभाग अस्तित्व में आया था और अक्टूबर, 1997 में मात्स्यिकी को विभाग में अंतरित कर दिया गया था।
- इन गतिविधियों पर मुख्यतः ध्यान दिया जा रहा है:- (क.) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास (ख.) स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य पशुधन का परिरक्षण (ग.) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केंद्रीय पशुधन फार्मों का सुदृढ़ीकरण (घ.) ताजे, खारे पानी में मछली पालन का विस्तार तथा मछुआरों का कल्याण आदि।
- विभाग में 35 फील्ड कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय हैं।

1.2.2 यह विभाग पशुपालन और डेयरी विकास तथा मत्स्यपालन के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह देता है। यह मुख्यतया इन गतिविधियों पर ध्यान देता है, (क) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास (ख) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का परिरक्षण और संरक्षण (ग) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) का सुदृढ़ीकरण (घ) ताजे, खारे पानी में मछली पालन का विस्तार तथा मछुआरों का कल्याण आदि।

1.2.3 इस विभाग को आबंटित विषयों की अनुसूची अनुबंध-II में दी गई है।

1.3 अधीनस्थ कार्यालय

1.3.1 यह विभाग पूरे देश में फैले 35 फील्ड कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों, जो पशुपालन एवं मात्स्यिकी की विभिन्न विधाओं को देखते हैं, का प्रशासन भी देखता है। इन कार्यालयों का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

i)	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	12
ii)	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	5
iii)	केन्द्रीय भेड़ विकास संगठन	1
iv)	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	8
v)	पशु संगरोध प्रमाणीकरण केन्द्र	4
vi)	दिल्ली दुग्ध योजना	1
vii)	केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर	1
viii)	केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन	1
ix)	समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन	1
x)	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई	1
	कुल	**35**

1.3.2 उक्त अधीनस्थ कार्यालयों की सूची अनुबंध-3 में दी गयी है।

1.4 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड(एन0डी0डी0बी0)

1.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक प्रमुख संस्थान है और यह आणंद, गुजरात में स्थित है। इस बोर्ड की स्थापना सहकारिता की तर्ज पर डेयरी विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से सन् 1987 में की गई थी। डा0 (सुश्री) अमृता पटेल 26 नवम्बर, 1998 से बोर्ड की अध्यक्ष हैं।

1.5 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

1.5.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को हाल ही में स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र तथा समुद्र मत्स्य कैप्चर पालन, प्रसंस्करण तथा मछली के विपणन की दोहन न किए गए संभावनाओं का दोहन करने के लिए मात्स्यिकी के ईष्टतम उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए बोयोटेक्नोलॉजी सहित अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करके मात्स्यिकी के संपूर्ण विकास के लिए इस बोर्ड को 10.07.06 को आन्ध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किया गया। बोर्ड का उदघाटन 9 सितम्बर, 2006 को किया गया था।

1.6 सलाहकार बोर्ड

1.6.1 पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों की विभिन्न विधाओं में गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग को सलाह देने के लिए 6 परामर्शदात्री समितियां/परिषद/बोर्ड गठित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) गोसंवर्धन परामर्श बोर्ड
(2) केन्द्रीय भेड़, बकरी और खरगोश विकास सलाहकार समिति
(3) अश्व विकास बोर्ड
(4) केन्द्रीय कुक्कुट विकास सलाहकार परिषद
(5) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड
(6) केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड

1.7 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण

1.7.1 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 अधिनियम बन गया है जैसा कि सरकारी राजपत्र में दिनांक 23.06.2005 को अधिसूचित किया गया है तथा इस अधिनियम के तहत नियम पहले ही बना लिए गए है और राजपत्र में दिनांक 22.12.2005 को अधिसूचित किए गए हैं। न्यायमूर्ति ए. के. राजन की अध्यक्षता में नए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के गठन को भी दिनांक 22.12.2005 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

1.8 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद

1.8.1 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के तहत एक निगमित निकाय है। संघ शासित प्रदेशों की पशुचिकित्सा परिषदों की स्थापना तथा

उन्हें चलाने के लिए 100% अनुदान सहायता दी जाती है, इसी उद्देश्य के लिए राज्यों को केंद्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 आधार पर अनुदान सहायता दी जाती है। इस समय, 25 राज्यों तथा सभी संघ शासित प्रदेशों ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को स्वीकार कर लिया है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 3(3)(जी) के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार ने अगस्त, 2006 में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के त्रिवर्षीय चुनाव आयोजित किए थे और डॉ0 ए. एल. चौधरी की अध्यक्षता में नई परिषद अक्टूबर, 2006 में गठित हुई थी।

1.9 कर्मचारी शिकायत कक्ष

1.9.1 शिकायतों को देखने के लिए इस विभाग में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विभाग के स्टाफ तथा जनता दोनों की शिकायत संबंधी मामलों की जांच करने के लिए निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित किया गया है।

1.10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी

1.10.1 इस विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए भी इस विभाग में उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

1.11 सतर्कता एकक

1.11.1 इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करने के लिए इस विभाग में एक सतर्कता एकक काम कर रहा है। एक संयुक्त सचिव को विभाग के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित अंतराल पर सतर्कता मामलों को मानीटर करता है।

1.11.2 विभाग ने अपने क्षेत्रीय एककों के साथ 7 से 11 नवम्बर, 2006 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सचिव (एडीएफ) ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के अधिकारियों एवं स्टाफ को शपथ दिलाई।

1.12 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.12.1 वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग ने ठोस प्रयास किए। विभाग का हिन्दी अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, निष्पादन बजट, संसद प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति तथा कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम करने तथा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में सक्रिय रूप से लगा रहा।

1.12.2 इस विभाग में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार, इस समिति की इस वर्ष चार बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में विभाग में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गई। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों के परिणामस्वरूप, विभाग में हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत पिछले वर्ष के 53.8% की तुलना में इस वर्ष बढ़कर 63% हो गया है। राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसरण में तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी की प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आणंद तथा कोचीन स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के दौरान, इन कार्यालयों में हिंदी में काम करने में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उपचारात्मक उपाय सुझाए गए। इन निरीक्षणों के दौरान हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थी, जिसमें कर्मचारियों को राजभाषा नीति से अवगत कराया गया तथा सरकारी काम में हिंदी को बढ़ाने के तरीके के बारे में सुझाव भी दिए। वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद तथा सिफनेट, कोचीन का निरीक्षण किया। इन निरीक्षण बैठकों में विभाग के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कर्मचारियों को हिंदी में अधिकतर कार्य करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विभाग ने नकद पुरस्कार प्रदान करने वाली प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विभाग में चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

1.12.3 सितम्बर 1-15, 2006 के दौरान विभाग में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया था। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं तथा सफल अभ्यर्थियों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया था।

1.13 पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य सूचना प्रभाग (एनआईसी)

1.13.1 विभाग ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परियोजना निदेशालय के साथ मिलकर निर्णय समर्थन के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) एप्लीकेशनों का प्रयोग करते हुए 2005-06 के दौरान ई-गवर्नेंस शुरू करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

1.13.2 विभाग की वेबसाइट (http://dadf.gov.in) को अद्यतन किया गया था तथा 11 अगस्त, 2006 को भारत के एवियन एंफ्लूएंजा से मुक्त घोषित होने तक विशेष रूप से एवियन एंफ्लूएंजा की स्थिति के बारे में स्थिति को दैनिक आधार पर अद्यतन किया गया। सभी प्रकार के नोटिसों तथा दिशानिर्देशों के जारी होने के तुरंत बाद बेबसाइट पर डाल दिया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रकाशित करके वेबसाइट को विस्तार दिया गया है। विभाग ने "पशुधन सांख्यिकी" के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की है।

1.13.3 मात्स्यिकी से संबधित तकनीकी मानिटरिंग बैठकों की विस्तृत कार्यसूची, कार्यवाही तथा कार्यवृत्त को वेबसाइट पर उपलबध कराया गया। एनआईसी की वीडियो सम्मेलन सुविधा का राज्यों के साथ सघन डेयरी विकास कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए बड़े स्तर पर उपयोग किया गया। इस विभाग के डेयरी प्रभाग के अधिकारियों के लिए डेयरी विकास के लिए जीआईएस परियोजना के तहत ईएसआरआई इंडिया में आर्क जीआईएस-1 के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

1.13.4 स्वास्थ्यकर आयात परमिट (एसआईपी) के लिए वेभ आधारित प्रणाली तथा विभाग की वबसाइट http://dadf.gov.in/sip के जरिए कुक्कुट के पशुधन उत्पादों तथा मूल जनक स्टॉक के लिए आयात परमिटों को जारी करने के लिए आवेदनों को आनलाइन प्रस्तुत करने तथा उनका पता लगाने के लिए सुविधा का विकास किया गया है तथा क्रियान्वित किया गया है। डब्ल्यू टी ओ के एसपीएस समझौते के तहत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य मानकों की समरूपता पर कनाडा तथा यूएसए के साथ वीडियो सम्मेलन भी आयोजित किया गया था।

1.13.5 विभाग के लेन (एलएएन) के सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया गया।

1.14 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

1.14.1 जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने आरटीआई अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत विभाग ने केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नियुक्त किया है। आरटीआई अधिनियम के तहत विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी संगठनों के लिए अलग से सीपीआईओ नियुक्त किए गए हैं।

अध्याय 2

नीति तथा दृष्टिकोण

2.1 दृष्टिकोण तथा बलित क्षेत्र

2.1.1 पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तथा देश के आर्थिक, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र परिवार की आय की प्रतिपूर्ति करने और करोड़ों लोगों को सस्ता पौष्टिक आहार मुहैया कराने के अतिरिक्त विशे-ारूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों और कृषक महिलाओं के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार सृजन में भी काफी योगदान देते हैं। सूखा, भुखमरी तथा अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में पशुधन बीमा बेहतर है।

2.2 राष्ट्रीय कृषि नीति

2.2.1 राष्ट्रीय कृषि नीति जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत प्रतिव-र्ा से अधिक की विकास दर को हासिल करना, खाद्य और पौषाणिक सुरक्षा के महत्व तथा धन और रोजगार के सृजन में पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों के महत्व पर जोर देना है। यद्यपि फसल उत्पादन में मौजूदा विकास दर लगभग 2 प्रतिशत है किन्तु पशुपालन क्षेत्र में 6 8 प्रतिशत की अधिकतम विकास दर, कृषि क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर 4 प्रतिशत की लक्षित विकास दर को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस नीति में भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देने, निर्यात योग्य अधिशे-ाों का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया है। जैसा कि नीति अभिलेख में दर्शाया गया है, स्वास्थ्य देखरेख, चारा उत्पादन और पशु रोग से मुक्ति प्रमुखता वाले कुछ अन्य क्षेत्र हैं।

2.2.2 सतत जलकृषि पद्धतियों को उन्नत बनाने के लिए तैयार किए गए समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के एकीकृत दृष्टिकोण की व्यवस्था की गई है। आनुवांशिक और प्रजनन, रोग प्रतिरोधी और रोग नियंत्रण में बायो प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोगों के क्षेत्र अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। नीति में दर्शाया गया है कि देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों की व्यापक क्षमता का लाभ उठाने के लिए गहरे समुद्र में मत्स्यन को विकसित किया जाएगा।

2.3 दसवीं योजना के लिए दृष्टिकोण

2.3.1 दसवीं योजना की समूची नीति के अनुसरण मे विभाग की नीतियों और गतिविधियों का मुख्य बल गोपशु और भैंसों के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन, रोग मुक्त क्षेत्रों के सृजन सहित स्वास्थ्य कवर के प्रावधान, पोषक आहार और चारे के प्रावधान, समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के प्रति समेकित दृष्टिकोण, गहरे समुद्र में मात्स्यिकी विकास, आदि पर केन्द्रित था।

2.3.2 अतः दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य भल निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हैः

- गोपशु और भैंसों का तीव्र आनुवंशिक उन्नयन तथा किसानों को प्रजनन आदानों तथा सेवाओं की डिलीवरी व्यवस्था में सुधार।
- गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सहित डेयरी विकास गतिविधियों का विस्तार।
- पशु पोषण में सुधार लाने के लिए चारा फसल और चारा पेड़ों का संवर्धन।
- रोग मुक्त क्षेत्रों के सृजन और खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण पर विशष बल सहित पर्याप्त पशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान।
- जुगाली करने वाले छोटे पशुओं तथा भरवाही पशुओं का सुधार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वैकयार्ड कुक्कुट का विकास।

- व्यवहार्य गतिविधियों के लिए किसानों को साख सुविधा।
- विश्वसनीय डेटाबेस तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास।
- सतत जलकृषि प्रणालियों के संवर्धन के लिए तैयार किए गए समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के समेकित दृष्टिकोण को अपनाना।
- मत्स्य बीज के उत्पादन, मत्स्यन जलयानों के लिए बर्थिंग और लैंडिंग सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
- अंतर्देशीय मात्स्यिकी का विकास।
- मत्स्यन नौकाओं का मशीनीकरण।
- देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की विशाल क्षमता का लाभ उठाने के लिए गहरे समुद्र में मात्स्यिकी उद्योग का विकास।

बलित क्षेत्र

- **पशुरोग नियंत्रण**
- **पशुनस्ल सुधार और विकास**
- **चारा विकास**
- **डेयरी और कुक्कुट विकास**
- **मात्स्यिकी विकास**

रणनीति

- **बुनियादी सुविधाओं का विस्तार**
- **बेहतर सांड़ों और सांड़ माताओं के बीज स्टॉक का सृजन**
- **पर्याप्त पशु स्वास्थ्य सेवाएं**
- **आनुवंशिक सुधार और स्वदेशी नस्लों के संरक्षण को सुविधाजनक बनाना**
- **उन्नत चारा बीजों के माध्यम से पास्चर भूमि की उत्पादकता सुधारना**
- **मौजूदा जलयानों की मछली पकड़ने की क्षमता को बढ़ाना और मध्यम आकार के मत्स्यन जलयान शुरू करना**
- **मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम**

2.4 रणनीति

2.4.1 तद्नुसार, वर्ष के दौरान, पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाई गई रणनीति तथा उद्देश्य का सार निम्नानुसार हैः-

(i) कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण, वर्ण संकर प्रयोजनों के लिए हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसकी कार्यकुशलता और प्रभावकारिता में सुधार लाना।

(ii) बेहतर गुणवत्ता वाले मादा गोपशुओं और सांडों का एक बीज भंडार सृजित करना जो उच्च उत्पादकता वाले गोपशुओं और भैंसों का एक राष्ट्रीय दुधारू पशुयूथ तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय जर्मप्लाज्म पूल बन सकेगा।

(iii) चुनिन्दा प्रजनन द्वारा महत्वपूर्ण पशुधन नस्लों का आनुवांशिक सुधार तथा दूध एवं भारवाही दोनों प्रयोजनों के लिए कम उत्पादक गैर प्रजातीय पशुओं का वर्ण संकरण महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों को संरक्षित किया जाएगा।

(iv) उन्नत चारा बीजों को शुरू करके तथा चारा खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करके चारे की उत्पादकता तथा पोषक गुणवत्ता में सुधार।

(v) पशुधन के संरक्षण के लिए खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण पर विशेष बल देते हुए पर्याप्त पशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना तथा उन्हें सुदृढ़ करना।

(vi) पशुधन उत्पादों के संबंध में डाटा बेस का सुधार।

(vii) पशुधन उत्पादकता बढ़ाने तथा विपणन के विकास के लिए प्रौद्योगिकीय खोजों के उपयोग को बढ़ाना।

(viii) मौजूदा मशीनीकृत नौकाओं की मछली पकड़ने की क्षमता में वृद्धि करना और 70 -150 मीटर की गहराई में मछली पकड़ने की क्षमता वाले मध्यम रेंज के मत्स्यन पोत की शुरूआत।

(ix) अधिकतम, मछली उत्पादन के लिए बड़े, मध्यम और छोटे जलाशयों तथा फ्लड प्लेन झीलों का विकास करना।

(x) मछली पालन के विभिन्न तकनीकी पैकेजों पर मछली पालकों को सहायता प्रदान करके मछली पालक विकास एजेंसियों द्वारा तालाब में मछली पालन का विकास करना।

(xi) छोटे पैमाने पर प्रॉन हैचरियों की स्थापना सहित ताजे जल में प्रॉन पालन को लोकप्रिय बनाना।

(xii) तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल मछली पालन की पद्धतियों का विकास करना।

(xiii) पहाड़ी क्षेत्रों में खाने और खेलने दोनों के लिए मात्स्यिकी और मछली पालन का विकास करना।

(xiv) मात्स्यिकी और मछली पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए मुद्रित विस्तार सामग्री और विभिन्न विषयों पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रकाशन।

(xv) बीमा कवरेज, पारंपरिक बस्तियों का सुधार आदि के जरिए किसानों और मछली पालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम।

2.5 सरकार की पहलकदमी तथा राज्यों को सहायता

2.5.1 चूंकि पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी सहित कृषि का विषय राज्य का विषय है, अतः विभाग का बल इन क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने पर है। विभाग पशु रोग नियंत्रण, वैज्ञानिक प्रावधान तथा आनुवंशिक संसाधनों का उन्नयन, पोषक आहार और चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं के सतत विकास तथा पशुधन और मात्स्यिकी उपक्रमों के उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देता रहा है।

2.6 दसवीं योजना के लिए आबंटन

2.6.1 दसवीं योजना के लिए विभाग को 2500.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। दसवीं योजना के लिए विभाग का 18 योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 4 नई योजनाएं शामिल हैं अर्थात् खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुक्कुट/डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष, साफ और गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा मात्स्यिकी के लिए डेटाबेस और सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण। विभाग का केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के सबंध में मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है और तद्नुसार मैक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण पर 4 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ताकि समर्थन कार्यक्रमों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर गतिविधियां विकसित करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक छूट दी जा सके। तीन योजनाओं अर्थात् बूचड़खानों/पशु शव उपयोगिता केन्द्रों का आधुनिकीकरण, पशु स्वास्थ्य निदेशालय तथा दिल्ली दुग्ध योजना को सशर्त स्वीकृत किया गया है। तथापि, विभाग के अनुरोध पर योजना आयोग पशु स्वास्थ्य निदेशालय नामक योजना को 10वीं योजना में जारी रखने पर सहमत हो गया है।

2.6.2 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार, विभाग ने एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् पशुधन बीमा का प्रस्ताव किया है, जो कि दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान क्रियान्वित की जा रही है। साथ ही, मात्स्यिकी विकास योजनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा समन्वित तरीके से शुरू करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

2.7 बजट प्राक्कलन और व्यय 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06

2.7.1 विभाग को वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 300.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इसकी तुलना में वित्त मंत्रालय ने संशोधित प्राक्कलन 240.00 करोड़ रुपए पर तय किया था। विभाग ने 238.90 करोड़ रुपए का खर्च किया।

2.7.2 वार्षिक योजना 2003-04 के लिए विभाग को 300.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इसकी तुलना में, वित्त मंत्रालय ने संशोधित प्राक्कलन 275.00 करोड़ रुपए तय किया था। विभाग ने 271.76 करोड़ रुपए खर्च किया।

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

2.7.3 विभाग को वार्षिक योजना 2004-05 के लिए प्रारंभ में 500.00 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की भावना को पूरा करने के उद्देश्य से विभाग ने नई योजनाओं का प्रस्ताव किया है तथा अतिरिक्त आवंटन की मांग की है। तदनुसार, योजना आयोग ने 100.00 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया था। इसकी तुलना में, वित्त मंत्रालय ने 575.00 करोड़ रूपए का संशोधित प्राक्कलन निर्धारित किया तथा 566.22 करोड़ रूपए का परिव्यय किया गया था।

2.7.4 विभाग को वार्षिक योजना 2005-06 के लिए 669.08 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इसकी तुलना में, वित्त मंत्रालय ने संशोधित प्राक्कलन 599.00 करोड़ रुपए तय किया था। विभाग ने 589.37 करोड़ रुपए खर्च किए।

2.7.5 दसवीं योजना के लिए योजनावार आबंटन, वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान बजट प्राक्कलन तथा परिव्यय अनुबंध-4 तथा अनुबंध-5 में दिया गया है।

2.8 बजट प्राक्कलन 2006-07

2.8.1 1262.37 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की तुलना में, योजना आयोग ने 777.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया था।

2.9 संशोधित प्राक्कलन 2006 07

2.9.1 777.00 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलन की तुलना में, वित्त मंत्रालय द्वारा 750.00 करोड़ रुपए का संशोधित प्राक्कलन निर्धारित किया गया था।

2.9.2 योजनावार बजट प्राक्क्लन, 31 दिसम्बर, 2006 तक परिव्यय तथा 2006-07 के लिए संशोधित प्राक्कलन अनबंध - 5 में दिया गया है।

2.10 योजनाएं/कार्यक्रम

2.10.1 पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों में तीव्र विकास को प्राप्त करने के लिए, विभाग ने वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 22 योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इन 22 योजनाओं में से 11 पशुपालन से संबधित हैं, 4 डेयरी विकास से संबंधित हैं, 6 मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित हैं तथा 1 सचिवालय एवं आर्थिक सेवाओं से संभंधित है।

2.11 11वीं योजना के प्रस्ताव

2.11.1 विभाग ने 11वीं योजना के लिए योजना आयोग के पास 17695.17 करोड़ रुपए की राशि (117.00 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता सहित) के प्रस्ताव भेजे हैं। इसमें 13641.77 करोड़ रुपए की राशि पशुपालन के लिए, 847.40 करोड़ रुपए डेयरी विकास के लिए तथा 3171.00 करोड़ रुपए मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए रखे गए हैं।

2.11.2 11वीं योजना में पशुधन क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण में, इस क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर 6 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर हासिल करना है, जिसमें दुग्ध समूह के लिए 5% प्रतिवर्ष तथा मीट और कुक्कुट के लिए 10% प्रतिवर्ष की विकास दर शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि उच्च विकास दर समान रूप से मुख्यतया छोटे तथा सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को लाभ पहुंचाएगी जिनके पास देश में अधिकतर पशुधन संख्या है। इसका उद्देश्य सूखा संभावित, शुष्क तथा अर्द्ध शुष्क जैसे क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को लाभ पहुंचाना है। यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों विशेषकर महिला जनसंख्या के अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है जो घरों में पशुधन की देखभाल करती हैं। इसके परिणामस्वरूप घरों में पशुधन को पालने वाली ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का स्रोत प्रदान करके सशक्त किया जा रहा है। 11वीं योजना की रणनीति निम्नलिखित बातों पर आधारित है:

(i) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय, दोनों के लिए मौजूदा विकासात्मक मशीनरी की संस्थागत पुनःनिर्माण की आवश्यकता है।

(ii) सतत एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य पशुधन पालन, जो कि उद्यमिता के जरिए सम्पत्ति एवं स्वरोजगार सृजित करेगा। यह आज के समय की आवश्यकता है।

(iii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दोरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी की शुरूआत के सफल उदाहरणों को दोहराया जाए एवं उनको बढ़ाया जाए।

(iv) "आनंद" जैसे उत्पादक संगठनों की तर्ज पर महत्वपूर्ण बातों को अन्य पशुधन उत्पादों विशेषकर मीट तथा कुक्कुट उत्पादों को शुरू करने की आवश्यकता है।

(v) पशुधन पालकों के घर-द्वार पर कार्यक्रम और प्रभावकारी विकेन्द्रीकृत सेवाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

(vi) उत्पादकों को तकनीकी विकास स्थानंतरित करने की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

(vii) पशुधन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है।

2.11.3 तदनुसार, विभाग ने 11वीं योजना के लिए कुछ मौजूदा योजनाओं को पुनः तैयार करने तथा नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

2.11.4 वार्षिक योजना 2007-08 के 1217.52 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की तुलना में, योजना आयोग ने 910.00 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

2.12 पशुधन संसाधन

2.12.1 भारत में पशुधन और कुक्कुट के विशाल संसाधन हैं जो ग्रामीण जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत विश्व में भैंसों के संबंध में प्रथम, गोपशुओं तथा बकरियों के सबंध में द्वितीय, भेड़ों के संबंध में तृतीय, बत्तख के सबंध में चौथे, कुक्कुट के सबध में पांचवें तथा ऊंट के संबध में छठे स्थान पर है। विश्व के कुल भैंसों की संख्या का 57% भारत में है। पशुधन की विभिन्न प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध - 6 में दिया गया है।

पशुधन संख्या

(मिलियन संख्या)

क्र.सं.	प्रजाति	पशुधन गणना		विकास दर (%)	
		1997	2003	1997 की तुलना में 2003 में	वार्षिक (संयोजित)
1	2	3	4	5	6
1	**गोपशु**	198.9	185.2	-6.89	-1.18
2	भैंस	89.9	97.9	8.91	1.43
3	याक	0.06	0.07	16.67	2.60
4	मिथुन	0.2	0.28	55.56	7.64
	कुल गोजातीय	**289.0**	**283.4**	**-1.95**	**-0.33**
5	भेड.	57.5	61.5	6.96	1.13
6	बकरी	122.7	124.4	1.38	0.23
7	सूअर	13.3	13.5	1.58	0.26
8	अन्य पशु	2.8	2.2	-22.18	-4.09
	कुल पशुधन	**485.4**	**485.0**	**-0.08**	**-0.01**
9	कुक्कुट	347.6	489.0	40.68	5.85

2.13 रोजगार सृजन

2.13.1 पशुपालन क्षेत्र भड़े पैमाने पर स्व-रोजगार अवसर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार (जुलाई, 2004-जून, 2005 - एनएसएस 61वां दौर), पशुपालन के क्षेत्र से रोजगार प्रमुख स्थिति में

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

लगभग 11.44 मिलियन तथा सहायक स्थिति में लगभग 11.01 मिलियन था जो देश की कुल कार्यरत जनसंख्या का 5.50% है। इसमें से 22.45 मिलियन पशुपालन क्षेत्र में लगे हुए हैं, इनमें 16.84 मिलियन महिलाएं हैं। पशुपालन तथा मात्स्यिकी क्षेत्र दोनों में मिलाकर 23.68 मिलियन जनसंख्या लगी हुई है जो कि कुल कार्यबल का लगभग 5.80% है।

- भारत विश्व में गोपशुओं तथा भैंसों के संबध में प्रथम, बकरियों के संबंध में द्वितीय, भेड़ों के संबंध में तृतीय तथा कुक्कुट के संबध में सातवें स्थान पर है।
- पशुधन क्षेत्र में लगभग 22.45 मिलियन लोग कार्यरत है।
- 2005-06 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्र का अंशदान 5.30% था।

2.14 उत्पादन मूल्य

2.14.1 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रों से उत्पादन मूल्य 2005 06 के दौरान लगभग 2,25,841 करोड़ रुपए था (पशुधन क्षेत्र के लिए 1,85,166 करोड़ रुपए तथा मात्स्यिकी के लिए 40,675 करोड़ रुपए) जो कृषि और सहायक क्षेत्र से 7,20,340 करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य का लगभग 31% है। 2005 06 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों का अंशदान 5.30 प्रतिशत था।

2.15 अन्य योगदान

2.15.1 पशुधन क्षेत्र दूध, अंडा, मीट आदि के माध्यम से पोषक मानवीय आहार के लिए न केवल आवश्यक प्रोटीन उपलब्ध कराता है बल्कि गैर खाद्य कृषि उपोत्पादों के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पशुधन क्षेत्र चमड़ा तथा खाल, रक्त, हड्डी, वसा तथा खाल जैसी कच्ची सामग्री/उतोत्पाद भी उपलब्ध कराता है। केवल दूध का अंशदान (1,15,970 करोड़ रुपए), धान (70,462 करोड़ रुपए), गेहूं (48,052 करोड़ रुपए) तथा गन्ना (23,167 करोड़ रुपए) से अधिक था। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार, 2004-05 में वर्तमान मूल्यों पर दुग्ध ग्रुप और मीट ग्रुप से उत्पादन का मूल्य 30,400 करोड़ रुपए था।

2.16 निर्यात से आय

2.16.1 पशुधन, कुक्कुट तथा सबंधित उत्पादों के कुल निर्यात से 2004 05 में 5120 करोड़ रुपए की आय हुई। कुल निर्यातों में से चमड़ा क्षेत्र से 2,660 करोड़ रुपए की आय हुई।

2.17 दुग्ध उत्पादन

2.17.1 पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बहुत से उपाय शुरू किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन जो 1990-91 में 53.9 मिलियन टन था इसकी तुलना में नौंवी योजना के अंत तक (2001-02) 84.4 मिलियन टन के स्तर तक बढ़ गया है। व-र्ा 2005-06 के दौरान भारत का दुग्ध उत्पादन 97.1 मिलियन टन था और अनुमान है कि यह 2006-07 के दौरान 100 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। भारत विश्व भर में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन रहा है।

2.18 अंडा उत्पादन

2.18.1 देश में कुक्कुट विकास में पिछले वर्षों में निरन्तर प्रगति हुई है जिसका मूल कारण - सरकार की अनुसंधान तथा विकासात्मक योजनाएॅ एवं संगठित निजी क्षेत्र द्वारा प्रभावकारी प्रबधन और विपणन था। नौंवी योजना के अंत तक (2001-02) अंडा उत्पादन 38.7 बिलियन था जो 1990-91 के दौरान 21 बिलियन की तुलना में है। 2005-06 में देश में अंडा उत्पादन 46.2 बिलियन था। खाद्य एवं कृषि संगठन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2004 में भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है।

2.19 ऊन उत्पादन

2.19.1 नौवीं योजना (2001-02) के अंत में ऊन उत्पादन 1990-91 के दौरान 41.20 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में

49.5 मिलियन कि.ग्रा. था। 2005-06 के दौरान, ऊन उत्पादन 44.9 मिलियन कि.ग्रा. था।

2.19.2 1950-51 से 2005 06 तक मुख्य पशुधन उत्पादों का उत्पादन का ब्यौरा अनबंध-7 में दिया गया है।

2.20 मछली तथा मत्स्य भीज उत्पादन

2.20.1 भारत अब विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा विश्व में ताजा जल मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2005-06 के दौरान, कुल मछली उत्पादन 65.71 लाख टन था। उसी वर्ष मत्स्य बीज उत्पादन 22,614.72 मिलियन फ्राई था।

(लाख टन में उत्पादन)

व-र्ा	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
1991-92	24.47	17.10	41.57
1992-93	25.76	17.89	43.65
1993-94	26.49	19.95	46.44
1994-95	26.92	20.97	47.89
1995-96	27.07	22.42	49.49
1996-97	29.67	23.81	53.48
1997-98	29.50	24.38	53.88
1998-99	26.96	26.02	52.98
1999-2000	28.52	28.32	56.75
2000-2001	28.11	28.45	56.56
2001-2002	28.30	31.20	59.56
2002-2003	29.90	32.10	62.00
2003-2004	29.41	34.58	63.99
2004-2005	27.80	35.20	63.04
2005-2006	28.16	37.55	65.71

2.21 समुद्री उत्पादों की निर्यात क्षमता

2.21.1 2005-06 के दौरान, देश से 7018.68 करोड़ रुपए के मूल्य वाले 5.51 लाख टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया। इसकी तुलना में 2004-05 में 6459.89 करोड़ रुपए के मूल्य वाले 4.82 लाख टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया था।

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धिः

वर्ष	मात्रा (000 टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1991-92	171.80	
1992-93	208.60	1767.43
1993-94	244.00	2503.62
1994-95	320.90	3536.64
1995-96	327.40	3381.13
1996-97	394.50	4007.63
1997-98	398.20	4457.00
1998-99	311.20	4334.00
1999-2000	390.70	5056.00
2000-2001	502.60	6296.00
2001-2002	457.60	5815.00
2002-2003	520.70	6793.05
2003-2004	412.01	6086.83
2004-2005	482.22	6459.89
2005-2006	551.28	7018.68

स्रोतः भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी (मुख्य जिंस तथा देश), डीजीसीआईएंडएस

मछली उत्पादन, समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों तथा अंतर्देशीय जल संसाधनों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध - 11, 13 तथा 14 में दिया गया है और मत्स्य बीज उत्पादन के वर्षवार आंकड़ें अनुबंध - 12 में दिए गए हैं।

अध्याय- 3

पशुपालन

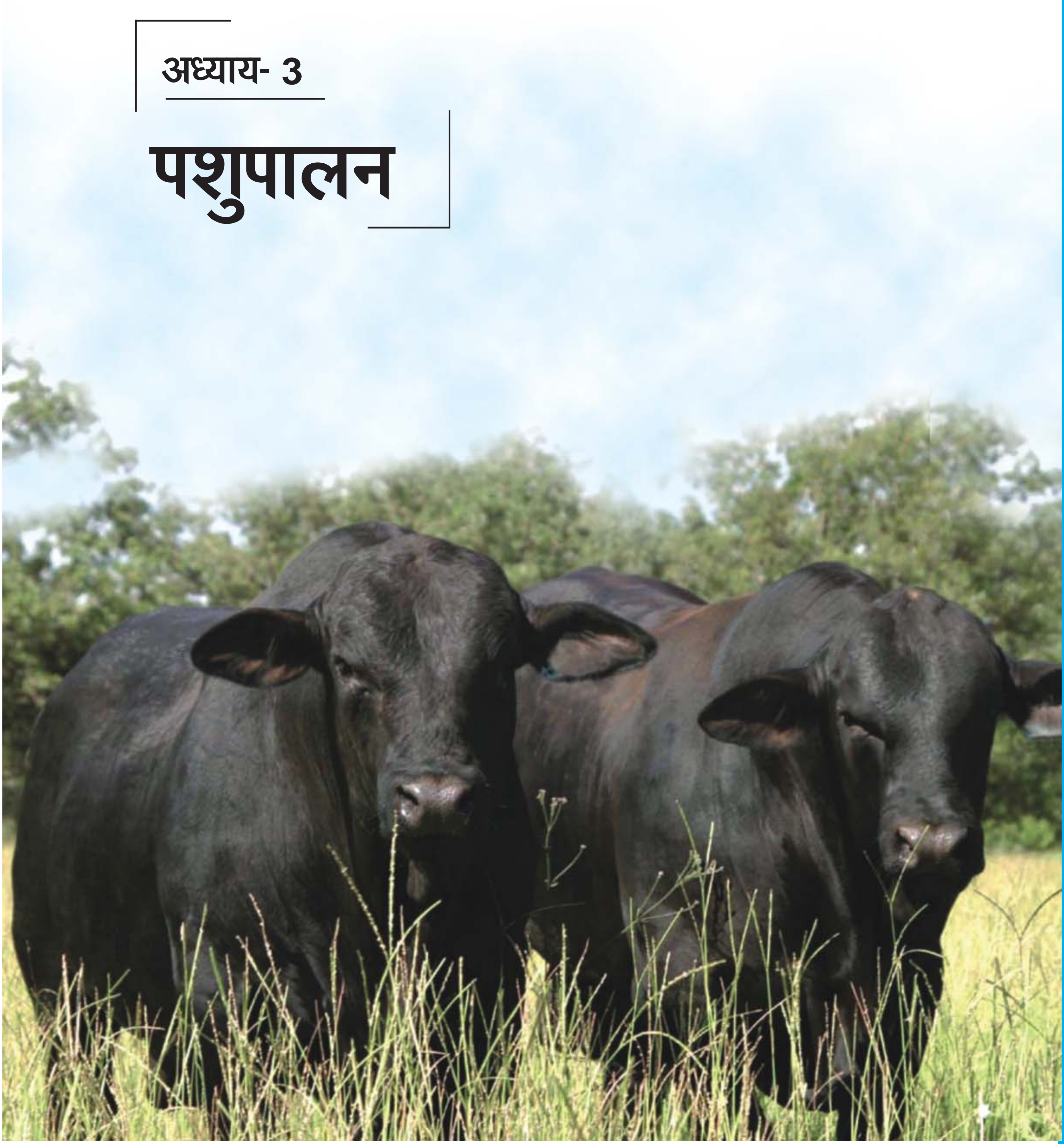

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

अध्याय 3

पशुपालन

3.1 यह विभाग पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन एवं संकर प्रजनन हेतु राज्य सरकारों को उच्च स्तर के जर्मप्लाज्म के उत्पादन एवं वितरण के लिए 18 केन्द्रीय पशुधन संगठनों एवं सम्बद्ध संस्थानों का संचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पशुपालन क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए 12 केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

3.2 केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

3.2.1 इन संगठनों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, तथा चार केन्द्रीय गोयूथ पंजीकरण ईकाइयां सम्मिलित हैं, जो देश में सांडों एवं हिमित वीर्य खुराकों की जरूरत को पूरा करने के लिए आनुवंशिक रूप से उन्नत संकर सांड बछड़ों, अच्छे किस्म के हिमित वीर्य के उत्पादन तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाजम के अवस्थापना हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं।

3.3 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (सी सी बी एफ)

3.3.1 अलमाधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), चिपलीमा, सूनाबेड़ा (उड़ीसा), धामरोड (गुजरात), हैसरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित 7 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं। वे राज्यों को वितरित करने के उद्देश्य से गोपशु की स्वदेशी और विदेशी नस्लों के उच्च उत्पादक सांड़ बछड़ों और भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड़ बछड़े थारपरकर, रेड सिंधी, जर्सी, हालस्टीयन फ्रिशियन एवं वर्ण संकर गोपशुओं, सुरती और मुर्राह भैंस नस्लों से उत्पादित किए जाते हैं। अंदेशनगर और चिपलीमा स्थित फार्म क्रमशः एच एफ x थारपरकर वर्ण संकर और जर्सी x रेड सिंधी वर्ण संकर सांडों का उत्पादन कर रहे हैं। 2006-07 के दौरान (दिसम्बर, 2006 तक) इन फार्मों ने 188 सांड बछड़ों का उत्पादन किया तथा 2086 किसानों को डेयरी फार्मा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया।

3.4 केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैस्सरघट्टा

3.4.1 हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) में स्थित यह एक प्रमुख संस्थान है जो कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग के लिए स्वदेशी, विदेशी वर्ण संकर नस्ल तथा मुराह भैंसों की हिमित वीर्य खुराकें तैयार कर रहा है। यह संस्थान राज्य सरकारों के तकनीकी आधिकारियों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी देता है और देश में निर्मित हिमित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों के परीक्षण के लिए एक केन्द्र के रूप में काम करता है। वर्ष 2006-07 के दौरान (दिसम्बर, 2006 तक) संस्थान ने हिमित वीर्य की 9.61 लाख खुराकें उत्पादित की ।

3.5 केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना (सी एच आर एस)

3.5.1 केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना राष्ट्रीय महत्व की अच्छी नस्ल वाली गाय और भैंसों के पंजीकरण के लिए है तथा अच्छी नस्ल की गायों और नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के लिए अपेक्षित स्वदेशी जर्मप्लाज्म को जुटाने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विकास कार्यक्रम में उपयोग के लिए यह योजना अच्छी किस्म की डेयरी गायों और भैंसों तथा उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सांडों और उनकी संतति की खरीद में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों, निजी क्षेत्र और सरकारी उपक्रमों को सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

3.5.2 योजना के उद्देश्य

1. बेहतर जर्म प्लाज्म का पता लगाना और उसका स्थान।

2. बेहतर जर्म प्लाज्म उत्पादित करने में इस आंकड़े का इस्तेमाल करना।
3. स्वदेशी जर्म प्लाज्म का संरक्षण।
4. डेयरी उद्योग में सुधार के लिए गोपशु और भैंसों की दुग्ध रिकार्डिंग।

3.5.3 गिर, कंक्रेज, हरियाणा और अंगोले की स्वदेशी गोपशु नस्लों और भैंसों की मुर्रा, जाफराबादी, सुरती और मेहसाना नस्लों के दूध की रिकार्डिंग के लिए रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और अंगोले में इस योजना के तहत स्थापित 4 केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित कुल 92 दुग्ध रिकार्डिंग केंद्र स्थित हैं ताकि फिनोटाइप नस्ल विशेषताओं और दूध उत्पादन स्तर की उनकी पुष्टि की जा सके। इन्हें उनके प्रजनन ट्रैक्ट में अभिज्ञात किया गया है और पंजीकृत गायों और भैंसों तथा उनके बछड़ों के विपणन के लिए प्रचार किया जाता है। 2006-07 के दौरान दिसम्बर, 2006 तक 11,368 गायों और भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया है।

3.6 राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना

3.6.1 आनुवंशिक सुधार दीर्घकालिक गतिविधि है और भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना नामक एक प्रमुख कार्यक्रम 10 वर्ष की अवधि के लिए दो चरणों में अक्टूबर, 2000 से देश में शुरू किया था जो प्रथम चरण के लिए 402 करोड़ रुपए तथा 775.85 करोड़ रुपए द्वितीय चरण के आबंटन से शुरू होगा। इस परियोजना में प्राथमिकता आधार पर आनुवंशिक उन्नयन की व्यवस्था है।

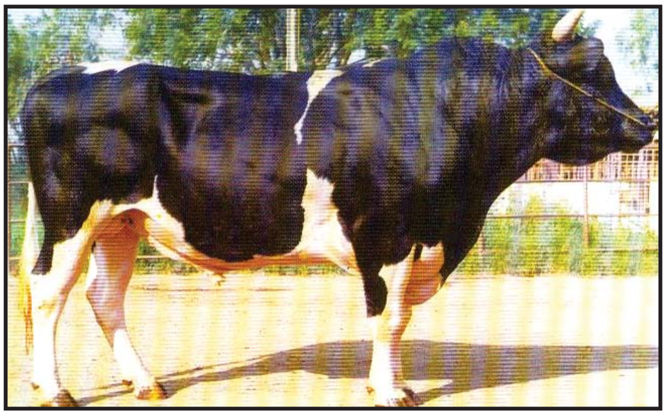

इस परियोजना में महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस परियोजना में राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए 100% अनुदान की व्यवस्था है।

3.6.2 उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य हैं-

(क) किसानों के दरवाजे पर व्यापक रूप से उन्नत कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करना।

(ख) 10वर्षों की अवधि के भीतर कृत्रिम गर्भाधान अथवा उच्च गुणवत्ता वाले सांड़ों की स्वाभाविक सेवाओं के जरिए संगठित प्रजनन के तहत गोपशु और भैंसों के मध्य सभी प्रजनन योग्य मादाओं को तेजी से लाना।

(ग) स्वदेशी गोपशु और भैंस नस्ल के जरिए उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक नस्ल सुधार कार्यक्रम को शुरू करना।

3.6.3 घटक

(क) औद्योगिक गैस निर्माताओं से सप्लाई लेकर तरल नाइट्रोजन के भंडारण और सप्लाई को सुचारू बनाना तथा उसके लिए थोक परिवहन और भंडारण प्रणाली स्थापित करना,

(ख) उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बेहतर सांडों को लाना,

(ग) कृत्रिम गर्भाधान की घर-द्वार तक डिलीवरी के लिए निजी मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान सेवा का संवर्धन,

(घ) मौजूदा स्थिर सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में बदलना,

(ङ.) स्पर्म केन्द्रों, वीर्य बैंकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों पर सांडों तथा सेवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण,

(च) कृत्रिम गर्भाधान की पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में प्रजनन प्रणालियों का अध्ययन तथा

(छ) उत्पादन तथा आनुवंशिक आदानों तथा तरल नाइट्रोजन की सप्लाई के प्रबंधन के कार्य को विशेषज्ञ स्वायत्त

तथा व्यावसायिक राज्य क्रियान्वयन एजेंसी (एस आई ए) को सौंप करके संस्थागत पुनर्संरचना।

3.6.4 योजना की प्रगति

3.6.4.1 परियोजना में भाग ले रहे 27 राज्यों को अब तक 339.78 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान, देश में आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज के तहत जारी धनराशि सहित 46.33 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

3.6.5 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को गठन

3.6.5.1 अक्टूबर, 2000 में परियोजना के शुरू होने से अब तक इस परियोजना के तहत 21 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का गठन किया गया है। ये एजेंसियां व्यावसायिक दृष्टिकोण से परियोजना का क्रियान्वयन कर रही हैं। छोटे राज्यों के मामले में, जो व्यवहार्य राज्य क्रियान्वयन एजेंसयां गठित करने की स्थिति में नहीं हैं। धनराशि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को जारी की जाती है। शेष दो राज्य बिहार और झारखंड इस परियोजना में चालू वित्त वर्ष से भाग लेना शुरू कर देंगे।

3.6.6 प्रजनन योग्य पशुओं की कवरेज में वृद्धि

3.6.6.1 देश में वीर्य उत्पादन 22 मिलियन स्ट्रॉ (1999-2000) से बढ़कर 37 मिलियन स्ट्रॉ (2005-06) हो गया है और गर्भाधान की संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 34 मिलियन हो गयी है। नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार कुल गर्भाधान दर 20 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गयी है। प्रजनन योग्य बोवाईन की कवरेज 16 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई है।

3.6.7 वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकाल का विकास (एमएसपी)

3.6.7.1 समान मानक वाले हिमित वीर्य का उत्पादन करने के उद्देश्य से बीएआईएफ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) (करनाल) और केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान के परामर्श से वीर्य उत्पादन के लिए एक न्यूनतम मानक प्रोटोकाल विकसित किया गया है और इसे 20 मई, 2004 से प्रभावी कर दिया गया है।

3.6.8 वीर्य केन्द्रों के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण

3.6.8.1 कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए हिमित वीर्य स्ट्रॉ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक वीर्य केन्द्र आईएसओ प्रमाण-पत्र हासिल करेगा। ओटी (टीसीएमपीएफ), बिदाज (एनडीडीबी), पुणे (बैफ), हिसार (एचएलडीबी), गुडगाँव (एचएलडीबी), जगाधरी (एचएलडीबी), हरिघाटा (पश्चिम बंगाल), सालबोनी (पश्चिम बंगाल), बेलडांगा (पश्चिम बंगाल), श्यामपुर (उत्तरांचल), नभा (पंजाब) तथा भट्टैन (मिल्कफेड, पंजाब), नादिंनी (कर्नाटक), हैस्सरघट्टा (कर्नाटक), मटटुपट्टी (केरल), विजाग (आन्ध्र प्रदेश) नांडयाल (आन्ध्र प्रदेश), क्रीन नगर (आन्ध्र प्रदेश),बनवासी (आन्ध्र प्रदेश), बस्सी (राजस्थान) स्थित वीर्य केंद्रों ने पहले ही आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिए हैं। यह व्यवस्था की गई है कि अगले वर्ष के दौरान एनपीसीबीबी के तहत सुदृढ़ सभी वीर्य केंद्र आईएसओ प्रमाणीकरण हासिल करेंगे।

3.6.9 वीर्य उत्पादन के लिए इस्तेमाल सांड़ों का परीक्षण

3.6.9.1 विभाग ने सभी प्रकार के यौन रोगों के लिए सांड़ों के रोग परीक्षण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला (सीडीडीएल) और क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं (आरडीडीएल) को यह दायित्व दिया गया है कि वे केन्द्रीय फार्मों, राज्य/सहकारी/भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और निजी फार्मों में वीर्य केन्द्रों के प्रजनन योग्य सभी सांड़ों और सांड माताओं का परीक्षण करें। क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं में अधिकांश राज्यों में सांड़ों और सांड़ माताओं का परीक्षण शुरू कर दिया है तथा संक्रमित सांड़ों तथा सांड़ माताओं को अलग कर दिया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे "पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता" नामक योजना के तहत हिमित वीर्य

सांड़ केन्द्रों, फार्मों और भ्रूण अंतरण प्रयोगशालाओं के आस-पास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खुरपका और मुंहपका रोग के विरूद्ध टीकाकरण शुरू करें।

3.6.10 एनपीसीबीबी का चरण - II

3.6.10.1 राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के चरण-1 के दौरान हासिल किए गए लाभों को समेकित करने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 30.11.2006 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के चरण - II को 775.87 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ 5 वर्ष की और अवधि के लिए स्वीकृत किया। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी, 2007 में जारी की गई है। चरण-2 किसानों के घरद्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी के लिए लगभग 20,000 कृत्रिम गर्भाधान प्रेक्टिशनरों को स्वरोजगार देगा। निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्मिकों की दक्षता सुधारने के लिए अनुदान 3000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रूपए कर दिया गया है, गरीब पशुधन स्वामियों को बेहतर प्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण स्वरोजगार अवसर बढ़ाने और फार्म आय बढ़ाने के लिए लगभग 80,000 सांडों को प्राकृतिक गर्भाधान के लिए शामिल किया गया है।

3.6.10.2 चरण-2 के दौरान निम्नलिखित मसलों पर ध्यान दिया जाएगाः-

(i) बड़ी गोपशु संख्या तथा प्रति पशु इसकी कम उत्पादकता।

(ii) क्षीण होती हुई स्वदेशी गोपशु तथा भैंस नस्लों के संरक्षण पर अत्यधिक जोर।

(iii) देश में कृषक संगठनों तथा प्रजनक समितियों का गठन करना।

(iv) अत्यधिक प्रभावी विस्तार कार्य।

3.7 कुक्कुट तथा छोटे पशुओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय परियोजना

3.7.1 2005-06 के दौरान"राष्ट्रीय कुक्कुट तथा छोटे पशु सुधार परियोजना " नामक एक नई मैक्रो-योजना, जिसमें मौजूदा घटक - केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना, राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता तथा भारवाही पशुधन नस्लों का संरक्षण एवं नए घटक ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का एकीकृत विकास तथा सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता शामिल हैं, को प्रारंभ किया गया है। नई मैक्रो-योजना के लिए ईएफसी ज्ञापन कार्य प्रगति पर है।

3.8 आहार और चारा विकास

3.8.1 आहार और चारे का पोषक महत्व पशुधन की उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। खाद्यान, तिलहन और दाल उगाने के लिए भूमि पर बढ़ते दवाब के कारण चारा फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, अपशिष्टों के विविध उपयोग के कारण चारे की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ रहा है। कई राज्यों में बारंबार सूखे के कारण भी इस बात की आवश्यकता हो गई है कि संवेदनशील क्षेत्रों में चारा बैंक विकसित किए जाएं तथा देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चारा आपूर्ति/ढुलाई सुधारने के लिए नीतियां बनाई जाए। इस समय विभाग केन्द्रीय चारा विकास संगठन नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना क्रियान्वित कर रहा है।"आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को भी सूखे की स्थिति के कारण विशेष रूप से दसवीं योजना के तीसरे वर्ष (2004-05) के लिए दो घटकों अर्थात् भूसो/सेल्युलोसिक अपशिष्ट का संवर्द्धन तथा चारा बैंक की स्थापना के साथ जारी रखा गया है। केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास याजना संबंधी एक नई योजना 2005-06 के दौरान क्रियान्वित की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

3.9 केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना

3.9.1 आहार एवं चारा विकास क्षेत्र में यह योजना राज्यों को उनके प्रायसों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना निम्नलिखित चार घटकों के साथ 2005-06 से क्रियान्वित की जा रही है।

(क) चारा ब्लॉक बनाने वाले एककों की स्थापना

(ख) घास रिजर्व सहित चराई भूमि का विकास

(ग) चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम

(घ) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं

क. चारा ब्लॉक बनाने वाले एककों की सहायता

3.9.2 पशुधन आहार इस समय मुख्य रूप से फसलों के सुखे चारे पर आधारित है। चारा, थ्रेसिंग के बाद पुआल तथा भूसें की थोक सघनता बहुत ही कम है तथा अतः इसके लिए एक बड़े भंडारण स्थल की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए, किसानों के पास न तो पर्याप्त जगह है, न ही परिपक्व फसल को काटने एवं अगले मौसमी फसल को बोने के बीच समय है। इसके परिणामस्वरूप, फसल अपशिष्ट जो आहार खिलाने के लिए उपयुक्त है, को खेतों में अक्सर जला दिया जाता है। भारत वार्षिक रूप से लगभग 540 मिलियन टन फसल अपशिष्ट पैदा करता है जो देश के पशुधन की संख्या को खिलाने के लिए लाभदायक हो सकते हैं। कंपेक्ट ब्लॉकों में चारे तथा बेकार फसल अपशिष्टों की सघनता पशुधन आहार प्रबंधन के लिए एक प्रभावी समाधान है। यह भी संभव है कि भूसें तथा गुड़, सांद्रण, खनिज तथा नमक जैसे आहार परिपूरकों का उपयोग करके पूर्ण पशु आहार ब्लॉक तैयार किया जाए। अतः, फसल अपशिष्टों की उत्पादन उपयोगिता में उक्त क्रिया-कलाप एक महत्वूपर्ण भूमिका अदा करती हैं। इससे चारा ब्लॉकों के रूप में सघनता युक्त चारे की सक्षम लागत तथा प्रभावी ढुलाई हो सकेगी। एक ट्रक में 4 टन ढ़ीले चारे की तुलना में 10 टन आहार ब्लॉकों तक के चारे की ढुलाई आसानी से की जा सकती है। यहाँ मुख्य जोर चारा ब्लॉकों तथा गठरियों के रूप में परिवर्तित करके पशुधन आहार के लिए फसल अपशिष्ट की बर्बादी संबंधी रोकथाम संस्थान तथा इसकी अनुवर्ती उपयोगिता पर है।

3.9.3 ऐसे एककों की स्थापना करने संबंधी प्रोत्साहन काने के उद्देश्य से, इस योजना के तहत 25% तक की पूँजी निवेश लागत सहायता प्रदान की जा सकती है। यह सहायता नाबार्ड अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मात्र मूल्यांकित बैंक योग्य परियोजनाएं ही प्रदान करती है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र की उद्यमियों के साथ-साथ सहकारिताएँ सहायता के योग्य हैं।

3.9.4 वर्ष 2005-06 के दौरान चारा ब्लाक बनाने वाली एक यूनिट की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश को 19.80 लाख रुपए की राशि जारी की गइ है। आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में स्थापित यूनिट से उत्साहवर्धक रिपोर्ट मिली है।

ख. घास रिजर्व सहित चराई भूमि का विकास

3.9.5 इस योजना में वनस्पति कवर के माध्यम से निम्न स्तर की चराई भूमि के सुधार तथा क्षारीय अम्लीय एवं कठोर भूमि जैसी समस्यायुक्त भूमि के पुर्नवास पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, विशेष प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त विशिष्ट घासों तथा लेग्युमों के पौधों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि निम्न स्तर के क्षेत्रों का पुनर्वास करने के साथ-साथ चारा प्रदान करने के लिए एक वनस्पति कवर प्रदान किया जा सके। उपयुक्त लेग्युमों को शामिल करके भूमि की उर्वरता स्थिति में सुधार भी किया जाएगा। योजना के तहत बायोटिक अंतरण को बंद करके/पृथक करके प्राकृतिक रिकवरी की पद्धति के माध्यम से पुनःसृजन करने वाली चराई भूमि वित्त पो-ाण के लिए अनुकूल है। इसमें क्षेत्र का घेराव करना,

भूमि की स्थापना तथा कोंटर बंडिंग, फुरोबिंग, जोतना, उर्वरक आदि जैसे प्राकृतिक पुर्नःसृजन को सहायता संबंधी नमी संरक्षण स्थिति शामिल होंगे। भूमि की किस्म पर आधारित चराई भूमि विकास के लिए ऐसी भूमि का 10 हेक्टेयर एकक अधिकतम 10.00 लाख प्रति एकक तक प्रदान किया जाता है।

3.9.6 उपयुक्त घास कवर को शामिल करके उसी पर निम्न स्तर की चराई भूमि में धीरे-धीरे सुधार किया जाएगा। इन भूमियों पर मौजूदा समय में हो रहे विस्तृत भू-क्षरण को कम किया जाएगा। उत्पादित बायो-मास, उपलब्धता तथा आवश्यकता के बीच के अंतर को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। चारा जिसे इन भूमियों से प्राप्त किया जाएगा का उपयोग, चारा बैंक डिपो की स्थापना करने के लिए किया जा सकता है। चराई भूमि से बायो-मास उत्पादन और सस्ता होगा तथा यह पशु उत्पादन को सहायता प्रदान करेगा। भारत सरकार गैर-सरकारी संगठनों/सहकारी समिति/ग्रामीण समुदायों आदि के माध्यम से क्रियाकलाप को प्रारंभ करने के लिए राज्यों को निम्न स्तर के पाश्चर/चराई भूमि के पुर्नवास के लिए 100% अनुदान सहायता प्रदान करती है। 2006-07 (दिसम्बर, 2006) के दौरान, नागालैंड राज्य को 90.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

ग. चारा बीज उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम

3.9.7 चारे की खेती के तहत क्षेत्र और अधिक मूल्यवर्धक अनाजों, तिलहनों तथा अन्य कैश फसलों के लिए वरीयता के अनुसार स्थायी हो चुका है। अतः, यह अपेक्षित है कि चारा उत्पादन को और अधिक मूल्यवर्धक बनाने के लिए उच्च किस्म के चारा बीज का उत्पादन किया जाए। राज्यों में चारा बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव है कि किसानों से चारा बीजों के वाय-बैक के लिए व्यवस्था करने के जरिए चारा बीजों की उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। इस घटक के तहत, किसानों से चारा बीजों की खरीद के लिए 75% अधिप्राप्ति मूल्य प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार ऐसे किसानों से चारा बीज की खरीद के लिए एक ठोस वचनवद्धता प्रस्तुत करेगी। बाई बैक व्यवस्था चारा बीज उत्पादन क्रियाकलाप प्रारंभ करने में किसानों के हित को सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार, अपने प्रस्ताव में, चारा बीजों का ब्यौरा, क्षेत्र की सीमा, किसान जिससे इस व्यवस्था की रूपात्मकता के साथ-साथ बाई–बैक तैयार कर चुके हैं का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान, नागालैण्ड राज्य को 30.00 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई है।

घ. जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं

3.9.8 योजना के तहत आहार एवं चारा के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाएँ/विशष अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। आहार तथा चारा पहलुओं पर अधिक अनुसंधान/जैव-प्रौद्योगिकी परियोजनाएं आहार तथा चारा एवं पशुधन पोषाहार से संबंधित अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से प्रारंभ की जा सकती है, जिसके लिए प्रत्येक अनुसंधान संस्थान को 100 % केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान धनराशि जारी करने के लिए भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान के दो प्रस्ताव विचारधीन है।

3.10 केन्द्रीय चारा विकास संगठन

3.10.1 इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत देश के विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में स्थित चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए 7 क्षेत्रीय केन्द्र, 1 केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर, चारा फसलों पर केन्द्रीय मिनिकट परीक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनिकट

परीक्षण कार्यक्रम भी वित्तपोषित किया जा रहा है। ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र और केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा

3.10.2 चारा संबंधी फसलों तथा चारागाह घास/फली की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा प्रचार के लिए सरकार ने मामडिपल्ली, हैदराबाद(आंध्र प्रदेश), गांधी नगर(गुजरात), हिसार(हरियाणा), सूरतगढ़(राजस्थान), साहेमा(जम्मू एवं कश्मीर), अलामाधि (तमिलनाडु) तथा कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में सात क्षेत्रीय केन्द्र तथा हैस्सरघट्टा, बंगलौर में एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए हैं। ये केन्द्र फील्ड प्रदर्शनों तथा कृषक मेलों/फील्ड दिवसों के माध्यम से विस्तार गतिविधियां भी चलाते हैं। 2006-07 के दौरान, (दिसम्बर, 2006 तक) इन केन्द्रों ने 157 टन चारा बीजों का उत्पादन किया, 3384 प्रदर्शन आयोजित किए, 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 48 किसान मेले/फील्ड दिवस आयोजित किए।

ख केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा.

3.10.3 क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा चारा बीज और घास/लैग्यूम जैसी पाश्चर प्रजातियों के उत्पादन के काम में लगा हुआ है। यह फार्म आधुनिक मशीनरी और उपकरणों तथा बीज भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता से पूरी तरह से सुसज्जित है। यह केन्द्र फील्ड प्रदर्शनों और किसान मेलों/फील्ड दिवसों के माध्यम से विस्तार गतिविधियां भी चला रहा है। 2006-07 के दौरान(दिसम्बर, 2006 तक) इस फार्म ने 73 टन बीजों के लक्ष्य की तुलना में 49 टन चारा बीजों का उत्पादन किया। इसके अलावा, इस फार्म ने 570 फील्ड प्रदर्शनों, 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 15 किसान दिवसों/फील्ड दिवसों का आयोजन भी किया, जैसा कि लक्ष्य था।

ग. चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम

3.10.4 चारा मिनीकिट प्रदर्शन का उद्देश्य हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चारा संबंधी फसलों की अधिक उपज देने वाली नवीनतम किस्मों तथा उन्नत कृषि विज्ञान संबंधी पद्धतियों के बारे में क्षेत्र प्रदर्शन के जरिए किसानों को शिक्षित करना है। चारा मिनिकटों में उच्च पैदावार वाली चारा फसलों/घासों/लैग्यूमों के बीजों को राज्यों को आगे किसानों में मुफ्त वितरण के लिए आबंटित किया गया है। प्रति किट बीजों की मात्रा चारा फसलों की किस्म और प्रकार के आधार पर एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक होती है। वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों को खरीद और रबी के दौरान 6.82 लाख मिनीकिट आबंटन के लिए नियोजित की गई हैं। इस योजना के सकारात्मक प्रभाव को देखने के लिए इस कार्यक्रम को उत्तर, दक्षिण और पूर्वोत्तर से चुनिंदा राज्यों में हाथ में लिया गया है। गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों को चालू वर्ष के दौरान आबंटन के लिए प्राथमिकता दी गई है। मिनीकिटों को ग्रामीण स्तर पर खाद्य वितरण के लिए राज्यों के पशुपालन निदेशकों को सप्लाई किया जाता है।

3.11 कुक्कुट विकास

3.11.1 कुक्कुट विकास में पिछले तीन दशकों में अत्यधिक प्रगति हुई है और यह घरेलू प्रणाली से बाहर निकल कर औद्योगिक संवर्धन का उद्यम बन गई है। भारत विश्व मानचित्र पर एक अग्रणी अंडा उत्पादक देश है जो प्रतिवर्ष 45 बिलियन अंडों का उत्पादन करता है। ब्रॉयलर उत्पादन भी लगभग 10 प्रतिशत की वार्षिक दर पर काफी अधिक है और लगभग 1.9 मिलियन टन चिकन मीट (एफएओ 2005) हो गया है।

3.11.2 देश में वाणिज्यिक तर्ज पर कुक्कुट पालन को संवर्धित करने के लिए केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों द्वारा दी गई प्रांरभिक गति के बाद कुक्कुट क्षेत्र काफी बढ़ा है और अब लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन प्रबंधन तथा विपणन अत्यधिक संगठित क्षेत्र के अधीन है। शेष 30 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र पर, जिसके योगदान को सुदृढ़ करने की जरूरत है, अब घरेलू कुक्कुट को संवर्धित करके ध्यान दिया जा रहा है।

3.12 "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता"

3.12.1 यह योजना सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है। सहायता की पद्धति सिक्किम केंद्रीय प्रायोजित सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 100 प्रतिशत है जबकि अन्य राज्यों के मामले में इसका अनुपात केन्द्र और राज्यों के बीच क्रमशः 80:20 का है। प्रत्येक फार्म के लिए 85.00 लाख रुपए की अधिकतम राशि प्रदान किए जाते हैं। राज्य हिस्सेदारी की गणना करते हुए उपलब्ध कराई गई भूमि और अन्य आदानों को भी उनकी हिस्सेदारी के रूप में शामिल किया जाएगा। राज्य फार्मों के मौजूदा परिसर में गुनिया फाउल, बटेर, टर्की पालन को भी नई गतिविधि के रूप में शुरू किया जा सकता है। आहार मिल की व्यवस्था और उनकी गुणवत्ता निगरानी व घर में रोग नैदानिक सुविधाओं के साथ पक्षियों के हैचिंग, ब्रूडिंग और पालन के संबंध में उन्हें सुदृढ़ करने के लिए एक बार में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये फार्म इस विभाग द्वारा, अभिज्ञात निम्न आदान प्रौद्योगिकी पक्षियों के परंट स्टॉक का ही रखरखाव करते हैं। प्रतिस्थापन प्रजनन स्टॉक, आहार अवयवों, ढुलाई, दवाओं व टीकों इत्यादि की खरीद के लिए परिक्रामी काष की भी इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान, (दिसम्बर, 2006 तक) इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र को 4.95 करोड़ रुपए सहित 16.82 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दिसम्बर, 2006 तक 136 कुक्कुट फार्मों, 21 बत्तख फार्मों, 4 टर्की फार्मों तथा 3 क्वेल फार्मों सहित कुल 164 फार्मों को सहायता दी गई है।

3.13 केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन

3.13.1 अपने-अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंगलौर (दक्षिणी क्षेत्र), भुवनेश्वर (पूर्वी क्षेत्र), चण्डीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) और मुम्बई (पश्चिमी क्षेत्र) में 4 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन काम कर रहे हैं।

i) गुणवत्ता चूजों को उपलब्ध कराना - केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन उनके ग्रामीण कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लिए उनके संबंधी क्षेत्रों में सभी राज्यों में अभिज्ञात अल्प आदान प्राद्योगिकी कुक्कुट स्टॉक का बहुलीकरण और सप्लाई करते हैं। ये संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य

कृनि विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन आदि द्वारा विकसित अल्प आदान प्रौद्योगिकी का प्रजनन स्टॉक खरीदते हैं। दिसम्बर, 2006 तक 4 संगठनों ने 0.84 लाख से अधिक पेरेंट चूजों तथा 7 लाख कमर्शियल चूजों को लाभार्थी राज्यों को सप्लाई किया। इसके अलावा, एक दिवसीय चूजों के उत्पादन के लिए लाभार्थियों को 5.2 लाख हैचिंग अण्डे सप्लाई किए गए थे।

ii) विविधिकरण कार्यक्रम - अब तक कुक्कुट विकास केवल एक प्रजाति अर्थात् चिकन पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहा है। विभाग ने इस कार्यक्रम के विविधिकरण को एक बलित क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है जिसके तहत बत्तख (दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र), जापानी क्वेल (पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र), टर्की (दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र) तथा गुनिया फाउल

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

(पूर्वी क्षेत्र) को कुक्कुट उद्योग को गति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। भारत में इस अद्भुत पक्षी को लोकप्रिय बनाने के लिए पायलट परियोजना के आधार पर केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (दक्षिणी क्षेत्र) में इमू पालन शुरू किया गया था। 4 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठनों ने दिसम्बर,

2006 तक देश के विभिन्न भागों को लगभग 0.85 लाख बत्तख चूजें, 1.5 लाख बत्तख हैचिंग अण्डे, 0.2 लाख टर्की चूजें, 0.45 लाख किट्स और 2.50 लाख जापानी क्वेल सप्लाई किए हैं।

iii) आहार गुणवत्ता निगरानी विंग का सुदृढ़ीकरण - आहार विश्लेषण प्रयोगशाला अपनी गतिविधियां विभिन्न आहार/आहार अवयवों के विश्लेषण और स्थानीय रूप से उपलब्ध अवयवों पर आधारित अल्प लागत आहार निर्माण विकसित करने संबंधी गतिविधियों पर केन्द्रित कर रहा है। लगभग 4700 आहार/अवयव नमूनों को दिसम्बर, 2006 तक 4 संगठनों द्वारा विश्लेषित किया गया है।

iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम -प्रशिक्षकों, किसानों, महिला लाभार्थियों, विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कुक्कुट संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, बैंकों, सहकारिताओं तथा विदेशी प्रशिक्षणार्थियों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता आधारित और लचीले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। 4 संगठनों ने दिसम्बर, 2006 के अंत तक लगभग 2000 कुक्कुट पालकों तथा 65 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है।

v) यादृच्छिक नमूना परीक्षण - गुड़गांव (हरियाणा) स्थित यादृच्छिक कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र देश में उपलब्ध कुक्कुट के विभिन्न स्टॉक के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्र केंद्र हैं। लेयरों और ब्रायलरों के उत्पादन निष्पादन का आंकलन करने के लिए समान पर्यावरण और मानक प्रबंधन प्रणालियों के तहत परीक्षण किए जाते हैं। इस समय हर वर्ष एक लेयर और 2 ब्रायलर परीक्षण किए जाते हैं।

3.14 कुक्कुट उद्योग को राहत उपाय

3.14.1 कुक्कुट उद्योग को वित्तीय राहत

3.14.1.1 महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में एवियन इंफ्लूएंजा के प्रकोप से देश में कुछ खलबली मच गई। इसके परिणामस्वरूप, कुक्कुट उत्पादों की खपत और मूल्यों में भारी गिरावट आयी। कुक्कुट उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे भारी आर्थिक संकट को देखते हुए भारत सरकार ने अनेक राहत उपायों की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में 4 अप्रैल, 2006 को आवश्यक निर्देश जारी किए। इन राहत उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) मौजूदा मूल के पुनर्भुगतान और आवधिक ऋणों पर ब्याज तथा सभी अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देय कार्यकारी पूंजी को आवधिक ऋणों और कार्यकारी पूंजी में बदलने के लिए एक साल का ऋण स्थगन।

(ii) कार्यकारी पूंजी को आवधिक ऋण में बदलना। पुनर्भुगतान का प्रथम वर्ष ऋणस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद होगा।

(iii) आवधिक ऋण के सहमत कार्यकाल से दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के ऊपर कुक्कुट यूनिटों द्वारा लिए गए आवधिक ऋण का कार्यक्रम पुनः तैयार करना।

(iv) कार्यकारी पूंजी को आवधिक ऋण में बदलने के बाद कुक्कुट यूनिटों को अतिरिक्त कार्यकारी पूंजी निकालने की अनुमति दी जा सकती है जो प्रत्येक यूनिट की वाणिज्यिक दक्षता पर निर्भर करेगा।

(v) जानबूझकर धोखा करने वालों को छोड़कर, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वे चूंककर्ता लेखों को एनपीए न समझे।

(vi) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार शेष मूल राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए 4% का एकमुश्त ब्याज सहायता देना (इसमें मूल राशि का वह भाग शामिल नहीं है जो ओवरड्यू हो गया है)।

3.14.1.2 भारत सरकार ने सभी कुक्कुट यूनिटों को प्रदान ब्याज सहायता के क्रियान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 80 करोड़ रुपए की राशि जारी की हैं।

3.14.2 कुक्कुट पालकों को मक्का जारी करना

3.14.2.1 मक्का औसतन कुक्कुट आहार के अवयव का 50% हिस्सा होता है। कुक्कुट आहार की अनुमानित 12 मिलियन मीट्रिक टन के वर्तमान वार्षिक खपत में 6 मिलियन मीट्रिक टन मक्का होती है। अतः, यह कुक्कुट उद्योग के विकास और उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तदनुसार, देश के कुछ भागों में बर्ड फ्लू के प्रभाव से पीड़ित कुक्कुट उद्योग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त, 2006 में भारतीय खाद्य निगम के पास सार्वजनिक वितरण योजना की आवश्यकता से अधिक स्टॉक से 450 प्रति क्विंटल के राजसहायता प्राप्त के मूल्य पर 5 लाख मीट्रिक टन मक्का जारी की। इसमें एफसीआई की 550 रुपए प्रति क्विंटल की औसतन बिक्री की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए प्रति क्विंटल 100 रुपए की राजसहायता शामिल हैं। कुक्कुट उद्योग को मक्का जारी करने संबंधी निर्णय को ध्यान में रखकर राजसहायता की राशि 50 करोड़ रुपए होती है।

3.14.2.2 उक्त निर्णय के अनुसरण में, राजसहायता प्राप्त मक्के को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं गोवा को जारी किया गया था। इन राज्यों की पहचान उनकी कुक्कुट संख्या एवं एफसीआई स्टॉकों की स्थिति को ध्यान में रखकर की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, अक्टूबर, 2006 में, यह निर्णय लिया गया कि राजसहायता प्राप्त मक्के के फायदे को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान तक पहुँचाया जाए।

3.15 भारवाही पशुधन नस्लों का संरक्षण

3.15.1 10वीं योजना के दौरान प्रारंभ "छोटे जुगाली करने वाले पशुओं, भारवाही पशुओं, सूअरों तथा अश्व संबंधी भारवाही पशुधन नस्लों का संरक्षण" नामाक केंद्रीय प्रायोजित योजना का लक्ष्य पशुधन की भारवाही नस्लों का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना है। इसकी संख्या 10,000 से भी कम है। प्रस्ताव राज्य सरकारों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं जो अर्द्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों, प्रजनकों/कृषक संगठनों आदि की भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

3.15.2 दसवीं योजना के दौरान 15 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 24 नस्लों के दसवीं योजना लक्ष्य की तुलना में पशुधन (7 अश्व/टट्टू, 4 बकरियाँ, 4 भेड़, 6 सूअर, 3 याक, 1 मिथुन एवं 1 ऊँट) की 26 विलुप्तप्राय नस्लों के संरक्षण के लिए 2005-06 तक 12.80 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। इसमें अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के टैरेसा बकरी, अरुणाचल प्रदेश के दूम सूअर, भुटिया टट्टू एवं याक, गुजरात के 4 टीवाड़ी अश्व, हिमाचल प्रदेश के स्थित टट्टू एवं याक, जम्मू एवं कश्मीर के जन्सकारी अश्व, डबल हम्पड ऊँट, कर्नाटक के बंदूर भेड़, केरल की मालाबारी बकरी, अंगामली सूअर, महाराष्ट्र की संगमनेरी बकरी, मेडगील भेड़, मणिपुर के मणिपुरी टट्टू, मिजोरम के मिथुन, जोवाक

सूअर, नागालैण्ड की लम्बे बाल वाली बकरी, पंजाब के ग्रे सिंधी अश्व, राजस्थान के भारवाही अश्व, सिक्किम के हाजी याक, त्रिपुरा की ब्लेक बंगाल बकरी, दूम सूअर, पश्चिम बंगाल के घूंग्रो सूअर, बोनपाला भेड़, गेरोल भेड़ एवं ब्लेक बंगाल बकरी शामिल हैं। प्रदत्त निधियों की विस्तृत स्थिति अनुबंध-3 में दी गई है।

3.15.3 2006-07 के दौरान, दिसम्बर, 2006 तक, जम्मू और कश्मीर में डबल हम्पड ऊँट (25.17 लाख रुपए) एवं जंस्कारी पोनी (34.24 लाख रुपए), अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की टेरेसा बकरी (50.00 लाख रुपए) के संरक्षण के लिए 141.91 लाख रुपए की राशि तथा संगमनेरी बकरी के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र को 32.50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

3.16 केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार(हरियाणा)

3.16.1 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिसार में स्थापित यह फार्म, वर्ण संकरण कार्यक्रम और अनुवांशिक स्टॉक

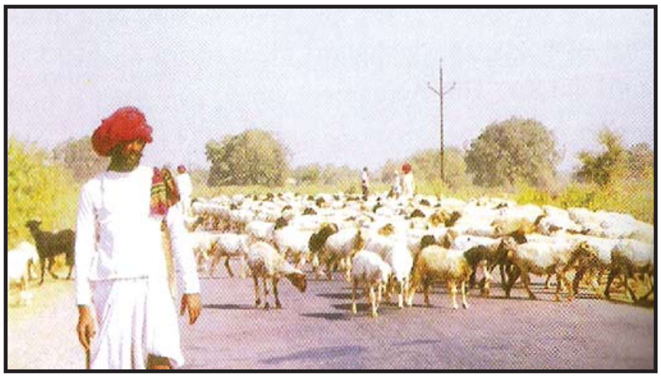

उन्नयन के लिए विभिन्न राज्य भेड़ फार्मों को परिस्थिति अनुकूल मेढ़ों के उत्पादन और वितरण के लिए कार्य कर रहा है। यह फार्म यांत्रिक रूप से भेड़ की ऊन कटाई, भेड़ की ऊन कटाई मशीनों के रख-रखाव तथा भेड़ प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है।

3.16.2 दसवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, फार्म ने 3757 मेढ़ों तथा 80 बत्तखों की आपूर्ति की। इस अवधि के दौरान कुल 333 कृषकों की मशीन से बाल कटाई में प्रशिक्षित किया गया तथा 780 कृषकों को भेड़ प्रबंधन एवं अन्य क्रियाकलापों में प्रशिक्षित किया गया था।

3.16.3 वर्ष 2006-07 के दौरान, 30 नवम्बर, 2006 तक फार्म ने 257 मेढ़ों तथा 51 बत्तखों की आपूर्ति की है। 2003-04 के दौरान फार्म में बीटल बकरियों को शामिल किया गया था। इसके अलावा, 30 नवम्बर, 2006 तक इस फार्म में मशीन से बाल कटाई में 162 कृषकों/कर्मचारियों को तथा भेड़ प्रबंधन एवं अन्य क्रियाकलापों में 646 कृषकों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

3.16.4 '2005-06 से, उक्त फार्म में ब्रुसेलोसिस तथा हीमोनकोसिस के नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है जिसका लक्ष्य भेड़ की उत्पादकता में सुधार लाना एवं मृत्युदर में कमी लाना है। इलीसा जांच का उपयोग करके ब्रुसेला संक्रमित पशुओं की जाँच करने एवं उनका उन्मूलन करने के परिणामस्वरूप संक्रमित पशुओं की संख्या में कमी आई है जिसमें रेव-1 स्ट्रेन टीके संबंधी टीकाकरण को शामिल करने के बाद कमी होने की संभावना है। इसका आयात किया जा रहा है। फीसेज में प्रति ग्राम अण्डों की नियमित निगरानी, एंथलमिनिटिक औषधियों को बार-बार दोहराना, भेड़ के झुंड में एथलमिनिटिक औषधियों की क्षमता की जाँच करने एवं समुचित पाश्चर प्रबंधन के नियंत्रण के तहत हीमोनकस इंफेस्टेशन किया गया है। इन उपायों से दोनों बीमारियों के संक्रमण को रोकने एवं भेड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की संभावना है।

3.17 पशुधन स्वास्थ्य

3.17.1 सघन वर्ण संकरण प्रजनन कार्यक्रमों के जरिए पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के साथ पशुओं में विदेशी बीमारियों सहित विभिन्न रोगों के होने की सभावना बढ़ गयी है। रुग्णता और नश्वरता कम करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा सचल पशुचिकित्सा औषधालयों सहित पोलीक्लीनिकों/पशुचिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों/प्राथमिक चिकत्सा केन्द्रों के जरिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध

कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोगों के तीव्र और विश्वसनीय निदान के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 26,540 पॉलीक्लीनिक/अस्पताल/औषधालय और 25,433 पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र (स्टाकमेन केंद्रों/स्वचालित औषधालयों सहित), जो लगभग 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोग निरोधक टीकाकरण के माध्यम से प्रमुख पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकों की अपेक्षित मात्रा का देश में 29 पशुचिकित्सा टीका उत्पादन इकाइयों में उत्पादन होता है। इनमें से 22 सार्वजनिक क्षेत्र में और 7 निजी क्षेत्र के हैं। आवश्यकता होने पर टीकों का आयात भी अनुमत्य है। पशु चिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध - 9 में दिया गया है।

3.17.2 जबकि देश में बेहतर पशुधन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने संबंधी प्रयास किए गए हैं, साथ ही देश के बाहर से रोगों के प्रवेश की रोकथाम करने तथा पशुचिकित्सा औषधियों के मानको का रख-रखाव करने एवं उसे तैयार करने के प्रयास भी किए जाते हैं। इस समय, इस विभाग के परामर्श से भारत के औषधी नियंत्रक पशुचिकित्सा औषधियों तथा जैविकियों की गुणवत्ता को विनियमित करते हैं।

क. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं

3.17.3 इस सेवा का उद्देश्य पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात को विनियमित करके तथा पशुधन एवं पशुधन उत्पादों, जिसका निर्यात भारत से किया जाता है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्यात प्रमाणीकरण प्रदान करके भारत में पशुधन रोगों के प्रवेश को रोकना है। नई दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई तथा कोलकात्ता स्थित चार संगरोध केन्द्र हैं।

ख. राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र, बागपत

3.17.4 इस समय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान टीकों तथा जैविकों की गुणवत्ता की निगरानी कार्य कर रहा है। किन्तु गुणवत्ता की बेहतर निगरानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अलग संस्थान स्थापित करना अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए, यह तय किया गया था कि बागपत, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैविकीय गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र (राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान) की स्थापना की जाए। इस संस्थान का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है तथा आशा है कि यह संस्थान मार्च, 2007 तक कार्यरत हो जाएगा।

ग. केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं

3.17.5 राज्यों में मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के जरिए एक केन्द्रीय तथा पाँच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का पशुरोग अनुसंधान और निदान केन्द्र केन्द्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। रोग विश्लेषण प्रयोगशाला, पुणे, पशु स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता, पशु स्वास्थ्य और जैविक संस्थान बंगलौर, पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, खानपाड़ा, गुवाहाटी क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय रोग नैदानिकी प्रयोगशालाओं (आरडीडीएल) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

3.18 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

3.18.1 "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण" नामक मैक्रो-प्रबंधन केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, भारत सरकार कुछ संशोधनों के साथ नौंवी योजना स्कीमों को शामिल करके रोग नियंत्रण क्रियाकलापों को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं : -

(i) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(ii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(iii) व्यावसायिक दक्षता विकास

(iv) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.18.2 पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

3.18.2.1 इस घटक के तहत, राज्य/संघ शासित सरकारों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पादन एककों के सुदृढ़ीकरण, मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशुचिकित्सकों एवं पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2005-06 के दौरान, 100.00 लाख टीकों के लक्ष्य की तुलना में 149.22 लाख टीके लगाए गए हैं। 2006-07 के दौरान, 105.00 लाख टीके के लक्ष्य की तुलना में लगभग 120.00 लाख टीके लगाए जाने की संभावना है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से विभिन्न पशुधन एवं कुक्कुट रोगों की घटना पर जानकारी को एकत्र करने तथा पूरे देश में उसके संग्रह करने पर विचार किया जाता है। इस प्रकार एकत्र की गई सूचना को सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों एवं आफिस इंटरनेशनल इपीजूटिस (ओआईई), एशिया एवं प्रशांत पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य आयोग (एपीएचसीए) जैसे संगठनों को मासिक पशुरोग निगरानी बुलेटिन के रूप में प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस सूचना प्रणाली को ओआईई की दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे निचले स्तर तक सूचना के बेहतर प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं में अपनी रोग रिपोर्टों को प्रकाशित करें। अधिकांश राज्य स्थानीय भाषा में भी रिपोर्टें प्रकाशित कर रहे हैं। वर्ष 2005 के दौरान, भारत में ओआईई की सूची में शामिल पशुधन एवं कुक्कुट रोगों की घटना को अनुबंध-10 में दिया गया है।

3.18.3 व्यावसायिक दक्षता विकास

3.18.3.1 पशुचिकित्सा व्यावसाय को विनियामित करने तथा पशुचिकित्सा व्यावसायियों के रजिस्टर के रख-रखाव को ध्यान में रखते हुए "व्यावसायिक दक्षता विकास" कार्यक्रम को "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण" नामक मुख्य योजना एक घटक के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम में उन राज्यो/संघशासित क्षेत्रों में जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को अपना लिया है, राज्य स्तर पर राज्य पशुचिकित्सा परिषद और केन्द्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना पर जोर देता है। जम्मू एवं कश्मीर की छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम को स्वीकार कर लिया है।

3.18.4 राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई)

3.18.4.1 पशप्लेग फटे हुए खुरों वाले पशुओं का अत्यधिक संक्रामक वायरल (मोर बिल्ली वायरस संक्रमण) रोग है जो गोजातिय पशुओं के साथ-साथ छोटे जुगाली करने वाले पशुओं में अत्यधिक मृत्यु का कारण बनता है। भारत में पशुप्लेग नियंत्रण कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में 1954 के दौरान शुरू किया गया था। तब से, यह कार्यक्रम विभिन्न नीतियों को अपनाकर चल रहा है। मौजूदा राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई) मई, 1992 में एएलए/89/04 परियोजनाः "पशुप्लेग उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए पशुधन रोग नियंत्रण के लिए पशुचिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण" के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। ईईसी के साथ वित्तीय समझौता दिनांक 31.7.98 को समाप्त हो गया तथा इसके बाद परियोजना के सभी चालू क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए उपलब्ध घरेलू संसाधनों के साथ योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, "पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण (एलएचएण्ड डीसी) " नामक केंद्रीय प्रायोजित मैक्रो-प्रबंधन योजना के एक घटक के रूप में योजना को का विलय कर दिया गया था।

3.18.4.2 इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देशभर में पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करके पशुप्लेग तथा संक्रामक बोवाईन प्लूरो न्यूमोनिया (सीबीपीपी) का उन्मूलन करना तथा ऑफिस इंटरनेशनल देस इपीजूटिस (ओआईई), पेरिस द्वारा निर्धारित पाथवे का अनुपालन करके पशुप्लेग तथा सीबीपीपी संक्रमण से मुक्ति प्राप्त करना है।

3.18.4.3 भारत को ओआईई द्वारा 25 मई, 2006 को पशुप्लेग संक्रमण मुक्त देश घोषित किया गया है। असम के आठ जिलों में संक्रामक बोवाईन प्लूरो - न्यूमोनिया के लिए उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश अक्टूबर, 2003 से सीबीपीपी से अनंतिम रूप से मुक्त है। सीबीपीपी संक्रमण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए डोजियर ओआईई को प्रस्तुत किए गए हैं।

3.18.4.4 कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति

3.18.4.4.1 पशुप्लेग अथवा कोई अन्य विदेशी रोग पुनः होने के कारण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय पशुरोग आपात समिति तथा राष्ट्रीय आपात कार्यबल गठित किए गए हैं। राज्यों में राज्य पशुरोग आपात समितियां भी उसी तर्ज पर गठित की गई हैं।

3.18.4.4.2 रोग मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों के स्टॉफ की सहायता से देश भर में गांव, स्टाक मार्ग तथा संस्थागत अनुसंधानों के जरिए वास्तविक निगरानी की जा रही है।

3.18.4.4.3 पशुप्लेग के पुनः होने की दशा में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए देश भर के 6 टीका बैंकों में पशुप्लेग टीकों की 2.5 मिलियन खुराकों का सामरिक रिजर्व रखा जा रहा है।

3.18.5 खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.18.5.1 मैक्रो-प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत 100% वित्त पोषण से, जिसमें टीकों की लागत और समर्थन खर्च शामिल है, खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए देश के 54 विनिर्दिष्ट जिलों में खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, राज्य सरकारें मानव शक्ति, बुनियादी सुविधाएं और संभारतंत्रीय समर्थन उपलब्ध करा रही है।

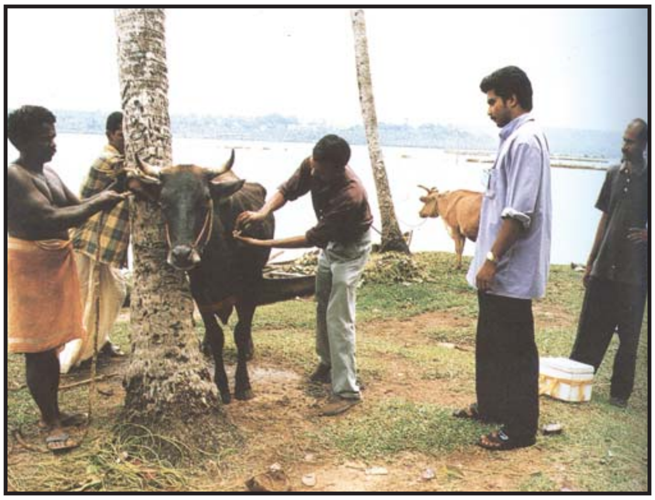

3.18.5.2 2003-04 से 2005-06 के अवधि के दौरान प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दौर में 1107.17 लाख टीके लगाए गए हैं। आज की तारीख तक 202.57 लाख टीके लगाए गए हैं। 2006-07 के दौरान पांचवें दौर में लगभग 280.00 लाख टीके लगाने की उम्मीद है।

3.19 एवियन इंफ्लूएंजाः तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम

3.19.1 भारत में एवियन इंफ्लूएंजा सबसे पहले 18 फरवरी, 2006 को महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे-से क्षेत्र में फैला था जो संक्रामक रूप से फैलकर गुजरात राज्य के पड़ोसी क्षेत्र में चला गया था। दूसरी बार भी यह प्रकोप महाराष्ट्र में ही फैलने की खबर मिली थी। 18 अप्रैल, 2006 से इस रोग के प्रकोप की कोई खबर नहीं है। भारत को एवियन इंफ्लूएंजा से 11 अगस्त, 2006 को मुक्त घोषित किया गया था। यह रिपोर्ट विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) की वेबसाइट पर भी है।

3.19.2 भारत सरकार ने इस रोग के प्रकोप के नियंत्रण और इसके रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई की। नियंत्रण और रोकथाम उपायों में अनेक सामरिक कार्रवाईयां शामिल थीं जिन्हें पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कार्य योजना के अनुसार किया गया था।

3.19.3 एवियन इंफ्लूएंजा के नियंत्रण और रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) संक्रामक और निगरानी क्षेत्रों का सीमांकन कार्य योजना के अनुसार किया गया था। तीन किलोमीटर के क्षेत्र को संक्रामक क्षेत्र और 7 किलोमीटर के और क्षेत्र को निगरानी क्षेत्र नामित किया गया था।

(ii) तथापि, प्रभावित फार्म परिसरों के 10 किलोमीटर की परिधि में घरेलू और वाणिज्यिक दोनों कुक्कुट को मार दिया गया था। अतः नियंत्रण संचालनों में 10,44,599 पक्षियों को मारा गया था।

(iii) कुक्कुट अण्डों, अण्डा उत्पाद, पंख, आहार, आहार सामग्री, संचालन में लगे स्टॉफ द्वारा प्रयुक्त सुरक्षात्मक कपड़ों को भी नष्ट कर दिया गया था। 8500 मीट्रिक टन से अधिक आहार सामग्री और लगभग 17 लाख अण्डों को नष्ट किया गया था।

(iv) उसके बाद संक्रामक परिसरों/क्षेत्र की साफ-सफाई और संक्रमण मुक्त किया गया था तथा प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा साफ-सफाई प्रमाण पत्र जारी करने के बाद संचालन समाप्त किए गए थे।

(v) प्रभावित क्षेत्र में संचालन बाद की निगरानी की गई थी जिसमें 10 किलोमीटर की उस परिधि में वास्तविक निगरानी शामिल थी जिसमें पक्षियों को मारा गया था ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके की अगले 3 महीने तक किसी पक्षी को वहां न रखा जाए और 5 किलोमीटर की और परिधि में भी सीरो निगरानी की गई थी।

(vi) पक्षियों को मारने, संकमण मुक्त करने और ओआईई प्रोटोकोल के अनुसार 3 महीने की अवधि के लिए और निगरानी करने के बाद भारत को 11 अगस्त, 2006 को इस रोग से मुक्त घोषित किया गया था।

(vii) प्रभावित क्षेत्रों में कुक्कुट को पुनः रखने की अनुमति दी गई है जो आवधिक परीक्षण और नमूना परीक्षण पर आधारित होगा।

(viii) भारत सरकार ने कुक्कुट टीकों का सामरिक रिजर्व रखा है। अतः, देश में टीकाकरण का विकल्प उपलब्ध है। तथापि, देश में टीकाकरण अभी शुरू नहीं किया गया है।

(ix) रोकथाम कार्य में शामिल कार्मिकों को वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए गए थे और उन्हे स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा टेमू फ्लू कवर के तहत लाया गया था।

(x) भारत सरकार की नीति मारे गए कुक्कुट के लिए उसके स्वामी को मुआवजा देने की है। यह लागत राज्य सरकार के साथ 50:50 के आधार पर वहन की जाती है। मुआवजे के रूप में 3 करोड़ रूपए से भी अधिक का रुपयों को भुगतान किया गया था। मुआवजा पक्षियों को तत्काल मारने के बाद, विशेषकर घरेलू कुक्कुट के मामले में, दिया जाता था।

(xi) भारत में एवियन इंफ्लूएंजा, विशेषकर घरेलू कुक्कुट से संबंधित, के नियंत्रण और रोकथाम के लिए नई रणनीतियां विकसित की गई हैं। 10 किलोमीटर की परिधि में पक्षियों को मारने का निर्णय को ठोस और निर्णायक कदम के रूप में स्वीकार किया गया है।

3.19.4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सराहना

3.19.4.1 संचालनों को चलाने के तरीकों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा की गई है, विशेषकर निम्नलिखित पहलुओं पर:

- अधिसूचना तत्काल जारी करना
- सूचना की पारदर्शिता
- समूचे 10 किलोमीटर की परिधि में पक्षियों को मारना
- सरकार द्वारा संचालन में मारे गए कुक्कुट के लिए मुआवजे का शीघ्र भुगतान

- स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि विभाग तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय

3.19.4.2 खाद्य और कृषि संगठन ने 23 फरवरी को पत्र द्वारा सूचित किया है कि वह नवापुर के हाल ही के प्रकोप पर निकट निगरानी रख रहा है और सामान्य तौर पर भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से पशुपालन विभाग द्वारा शुरू किए गए तत्काल उपायों की सराहना करता है। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि कुक्कुट पालकों को उनके मारे गए पक्षियों के लिए शीघ्र मुआवजा दिया गया था। एशियाई विकास बैंक ने ऐसे ही कारणों के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की है।

3.19.4.3 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण पूर्व एशिया के कार्यालय के दिनांक 18 अगस्त, 2006 के पत्र के जरिए भारत सरकार द्वारा कुक्कुट पक्षियों को

मारने तथा प्रभावित क्षेत्रों को तेजी से संक्रमण मुक्त करने तथा कुक्कुटों की आवाजाही को रोकने जैसे उठाए गए शीघ्र एवं प्रभावकारी उपायों की प्रशंसा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुक्कुट किसानों को समय पर प्रदान की गई प्रतिपूर्ति ने भी पक्षियों के बीच बीमारी फैलने की जल्दी रिपोर्टिंग तथा तत्काल पक्षियों को मारने के कार्यक्रम में सहायता मिली है। इसके अलावा, अंतिम चार महीनों के दौरान प्रभावकारी निगरानी ने देश को एवियन इंफ्लूएंजा मुक्त स्थिति में पहुंचाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश की H5N1 संक्रमण के प्रति लगातार निगरानी की प्रतिबद्धता की सराहना की है। संघीय तथा तीन प्रांतीय सरकारों के प्राधिकारियों के बीच रोग रोकथाम क्रियाकलापों के बहु क्षेत्रीय समन्वय को संक्रमण फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण माना गया था।

3.19.5 स्वास्थ्य मंत्रालय तथा पशुपालन विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया तथा रेडियो पर संयुक्त आईईसी अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में सुरक्षित कुक्कुट व्यवसाय, तैयारी, खाद्य सुरक्षा दबाव तथा अच्छी प्रकार पकाए गए चिकन तथा अण्डे खाने पर ध्यान दिलाया गया था। कुक्कुट उद्योग को ऐसे अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उनके इस अभियान का भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में समर्थन किया जा रहा है।

3.19.6 रोग का जल्दी पता लगाने के लिए पूरे देश भर में सक्रिय निगरानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत के पास भोपाल में पूर्ण सुसज्जित स्तर-3 की बायो-सुरक्षा प्रयोगशाला है। फरवरी, 2006 में पहले एवियन इंफ्लूएंजा के प्रकोप के बाद से भोपाल में 85000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। लक्षित निगरानी उन क्षेत्रों पर ध्यान देगी जहां प्रकोप फैला था, जिन क्षेत्रों का आस-पास कुक्कुट घनत्व के साथ प्रवासी पक्षियों द्वारा प्रयोग किया गया तथा जहां कुक्कुट बड़ी संख्या वाले पाए जाते हैं। पशुपालन तथा वन विभाग के कार्मिकों को नमूनों को एकत्र करने तथा उन्हें प्रेषण करने के कार्य में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य, वन तथा पशुपालन के क्षेत्रों के बीच संयुक्त प्रणाली मौजूद है तथा वह पूरी तरह से कार्यरत है। अनिवार्य उपकरण तथा सामग्री के रिवर्ज का विकास किया गया है।

3.20 पशुपालन सांख्यिकी

3.20.1 पशुपालन सांख्यिकी प्रभाग पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी गतिविधियों के लिए डाटा बेस रखने के लिए उत्तरदायी है। यह पशुधन क्षेत्र के विकास से संबंधित राज्य

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय विभागों/संगठनों के साथ परस्पर सम्पर्क करके दूध,अंडा,ऊन और मीट जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करने तथा अन्य पशुधन सांख्यिकी के समन्वय का काम करता है। पशुधन उत्पादों का आकलन नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर पर किया जाता है जिसे "प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण" नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत वर्षभर किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर और संघ शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है ताकि वे सर्वेक्षण कर सकें। पशुधन उत्पादन का आकलन मौसमी तथा वार्षिक आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यवार आकलन ''मूल पशुपालन सांख्यिकी'' नामक द्विवार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित किए जाते हैं।

3.20.2 पशुपालन सांख्यिकी को सुचारू बनाने के लिए एक विशे-ाज्ञ समिति "पशुपालन एवं डेयरी साख्यिकी के सुधार के लिए दिशानिर्देश देने संबंधी तकनीकी समिति" लंबे समय से काम कर रही है। यह समिति प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए समेकित नमूना सर्वेक्षण संबंधी योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करती है तथा दूध, अण्डा, ऊन तथा मीट के उत्पादन के आंकलन का अनुमोदन करती है। पशुधन उत्पादन तथा अन्य संबंधित सांख्यिकी के लिए आंकलनों को द्विवार्षिक रूप से "मूल पशुपालन सांख्यिकी " में प्रकाशित करती है। वर्ष 2006 के अद्यतन अंक में 2005-06 तक के आंकड़ें दिए गए हैं।

3.20.3 दसवीं योजना के दौरान इस योजना में दो नए घटक जोड़े गए हैं - (i) एक नमूना सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ा विश्लेषण कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिक समाधान उपलब्ध कराने के लिए और (ii) योजना में कार्यरत राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण पद्धतियों में रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ-साथ पशुपालन सांख्यिकी में अन्तराल को भरने के लिए विशेष अध्ययन करने के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान दिया जाएगा तथा शेष राज्यों को 50:50 अनुदान दिया गया है। आईएसएस प्रक्रिया में रिफ्रेसर प्रशिक्षण कोर्स वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू किया गया था। इसके बाद से, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। वर्ष 2006-07 के दौरान जिन राज्य/संघ शासित प्रदेशों में रिफ्रेशर प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए जाने है, वे हैं: राजस्थान, कर्नाटक, पाण्डिचेरी, बिहार, झारखण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर। विशेष अध्ययन के लिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु सरकारों को आदान सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं।

3.21 पशुधन संगणना

3.21.1 विभिन्न प्रजातियों की पशुधन की संख्या का प्रत्येक चार वर्षों में आयोजित इस 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना के आधार पर गणना की जाती है। पशुधन क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की उचित योजना तथा उसे तैयार करना, विभिन्न प्रजातियों के पशुधन की संख्या, उनकी आयु/लिंग, नस्ल तथा उनके स्थानीय वितरण की सूचना की उपलब्धता पर निर्भर है। पशुधन संगणना एकमात्र स्रोत है जो कि ऐसी विस्तृत सूचना दे सकता है। यह कुक्कुट, कृषि उपकरण तथा मशीन और मात्स्यिकी सांख्यिकी के संबंध में भिन्न प्रकार की सूचना भी प्रदान करता है। 1997 में आयोजित 16वीं पशुधन संगणना तक कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय संगणना आयोजित करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी था। 17वीं पशुधन संगणना का कार्य पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यवेक्षण में राज्य सरकारों के पशुपालन विभागों द्वारा किया गया था।

3.21.2 सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अक्टूबर, 2003 में 17वीं पशुधन संगणना आयोजित की थी। योजना

का बृहद उद्देश्य पशुधन तथा कुक्कुट, कृषि उपकरणों और मात्स्यिकी के संबंध में आंकड़े एकत्र करना है। संगणना में ग्रामीण एवं शहरी ब्यौरों के साथ सभी घरेलू चीजों की जिलावार सूचना शामिल की जाती है। घरेलू वस्तुओं, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, गांवों में पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, पशुधन तथा मात्स्यिकी साधनों के लिए बाजार के संबंध में सूचना को शामिल किया जाता है। गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ों, टट्टूओं, गधों, ऊँटों, याक तथा मिथुन, सूअरों, खरगोशों, कुत्तों तथा कुक्कुट के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तथा रिपोर्ट के विभिन्न प्रकारों तथा भागों में प्रकाशित किए जाते हैं। 28 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश की रिपोर्ट के साथ अखिल भारतीय संगणना रिपोर्ट जारी की गई है। कुछ राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में गोपशु तथा भैंसों के आंकड़ों की नस्लवार आंकड़ा रिपोर्ट भी जारी की गई है। वर्ष 2003 की अखिल भारतीय संगणना रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट के साथ-साथ मात्स्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबवाइट पर उपलब्ध है।

3.21.3 17वीं संगणना के कार्य की समीक्षा के साथ-साथ 18वीं पशुधन संगणना के लिए कार्यक्रम तथा निर्देश मैनुअल को अंतिम रूप देने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर, 2007 में आनी अपेक्षित है। समिति ने 18वीं संगणना के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है तथा वह भारत के महापंजीयक के निर्देशानुसार नए डिजाइन सहित राज्य, तालुका तथा गांव कोड आदि के साथ द्विभाषी मुद्रण के लिए राज्यों को वितरण के लिए भेजी जाती है। 18वीं संगणना के लिए ईएफसी भी तैयार कर लिया गया है तथा विभिन्न मंत्रालयों में वरिष्ठ अधिकारियों/सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

3.21.4 वर्ष 2005-06 के दौरान, पशुधन संगणना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 2.51 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2006-07 के दौरान, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 3.00 करोड़ रुपए जारी किए जाने की संभावना है।

3.21.5 17 वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में पशुधन की स्थिति अनुबंध-6 में दी गई है।

3.22 पशुधन बीमा

3.22.1 यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान पूरे देश में 100 चुने हुए जिलों में 120.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ सरकार के न्यूनतम संख्या कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पायलट आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, वर्ण-संकरित तथा उच्च उत्पादकता वाली गोपशु तथा भैंसों का उनके अधिकतम मौजूदा बाजार मूल्य पर बीमा किया जा रहा है। बीमा का केकवल 50% प्रीमियम लाभार्थी द्वारा दिया जाता है, जबकि राजसहायता की शेष पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

3.22.2 पशुधन बीमा योजना, पशुधन और उनके उत्पादों में गुणवत्ता सुधार को लाने के लिए उन्नत पशुओं को पालने को लोकप्रिय बनाने के लिए दो उद्देश्यों के साथ तैयार की गई है जिसमें कृषकों तथा गोपशु पालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के कारण हुई क्षति के लिए सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने तथा लोगों को पशुधन बीमा के लाभों के बारे में बताना है।

3.22.3 यह योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। केंद्र सरकार इस योजना को संबंधित राज्यों के राज्य पशुधन विकास बोर्डों के जरिए क्रियान्वित कर रही है। ऐसे राज्य जहां ऐसे बोर्ड नहीं हैं, वहां यह योजना राज्य सरकारों के पशुपालन निदेशक, पशुपालन विभाग के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना से वर्ण-संकरित तथा उच्च उत्पादकता वाले गोपशु और भैंस रखने वाले किसानों (बडे/छोटे/सीमांत) तथा गोपशु पालकों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

3.22.4 इस योजना के अंतर्गत धनराशि का योजना के तहत प्रीमियम राजसहायता के भुगतान, पशुचिकित्सा व्यवसायियों

को उनकी सेवाओं के लिए मानदेय के भुगतान तथा लक्षित समूह के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रचार अभियान के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रीमियम राजसहायता तथा मानदेय और प्रचार अभियान के लिए कुछ धनराशि राज्य पशुधन विकास बार्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पास रखी गई है। कुछ धनराशि का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार अभियान के लिए उपयोग किया जा रहा है।

3.22.5 31 दिसम्बर, 2006 तक 1.96 लाख से अधिक पशुओं का बीमा किया गया था तथा संबंधित किसानों को तत्काल लाभ देकर 500 से अधिक दावों का निपटान भी किया गया था।

अध्याय- 4

डेयरी विकास

अध्याय- 4

डेयरी विकास

4.1 नौवीं योजना के दौरान भारतीय डेयरी उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसने 2004-05 के दौरान 90.70 मिलियन टन से भी अधिक दूध की वार्षिक वृद्धि प्राप्त कर ली है। वर्ष 2005-06 के दौरान भारत का दुग्ध उत्पादन 97.1 मिलियन टन (अनंतिम) स्तर तक पहुंच गया है तथा वर्ष 'क्षेत्रीय रोग नैदानिकी 2006-07 में इसके 100 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है। इससे इस उद्योग ने विश्व में न केवल प्रथम स्थान हासिल किया है बल्कि देश की बढ़ती आबादी के लिए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में सतत वृद्धि सुनिश्चित की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेयरी क्षेत्र करोड़ों गरीब परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण अनुपूरक साधन है तथा उन करोड़ों लोगों के लिए रोजगार और आय के अवसर जुटाने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में लगभग 230 ग्राम प्रतिदिन की बढ़ोत्तरी भी हुई है, परन्तु विश्व के प्रतिदिन औसतन 265 ग्राम की तुलना में यह बहुत ही कम है। भारत सरकार, दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी। भारत में दुग्ध उत्पादन तथा विपणन की व्यवस्था अनोखी है। अधिकतर दूध छोटे, सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो ग्रामीण स्तर पर सहकारिता के रूप में संगठित हैं। इन्हें स्थिर बाजार तथा उत्पादित दूध का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में देश में एक लाख से भी अधिक ग्राम स्तरीय सहकारिता सोसाइटियों के तहत 12 मिलियन किसानों को लाया गया है।

4.2 डेयरी क्षेत्र में विभाग के प्रयास गैर-ऑपरेशन फ्लड में डेयरी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका जोर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादन करने के लिए राज्यों में सहकारिताओं की ढांचागत संरचना तैयार करना, बीमार डेयरी सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना तथा मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने पर है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने 2005-06 के दौरान डेयरी क्षेत्र में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नामतः डेयरी/कुक्कुट उद्यम, पूँजीगत निधि सहित चार योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रख रहा है।

4.3 गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजनाएं (आईडीडीपी)

4.3.1 गहन डेयरी विकास परियोजना (आई डी डी पी) को गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 100% अनुदान सहायता आधार पर 1993-94 में आरंभ किया गया था। योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- दुधारू गोपशुओं का विकास;
- तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि;
- लागत प्रभावी तरीके से दूध की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा विपणन;
- दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना;
- अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाना;
- अपेक्षाकृत अधिक उपेक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, पौ-िणक तथा आर्थिक दर्जे में सुधार।

4.3.2 मार्च, 2005 में योजना का संशोधन किया गया था। संशोधित योजना का नाम "गहन डेयरी विकास कार्यक्रम(आईडीडीपी) " दिया गया है और उन जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, जिन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के दौरान डेयरी विकास कार्यकलापों के लिए 50.00 लाख रूपए से कम धनराशि मिली थी।

4.3.3 संशोधित योजना के अंतर्गत धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों (राज्य दुग्ध परिसंघों/संघों) को जारी किए जाते हैं और राज्य दुग्ध परिसंघों/संघों द्वारा उनकी विशेषज्ञता एवं व्यवसायिकता को देखते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

4.3.4 योजना की शुरूआत से कुल 427.15 करोड़ रुपए के लागत से 25 राज्यों एवं एक संघ शासित प्रदेश को शामिल करते हुए 188 जिलों सहित 77 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया और 31.12.2006 तक 290.15 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इन परियोजनाओं से 31.12.2006 तक प्रतिदिन 14.45 लाख लीटर दूध की अधिप्राप्ति द्वारा 19,556 गांवों के 11.12 लाख, कृषकों को लाभ हुआ है।

4.4 गुणवत्ता स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना

4.4.1 विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। तथापि, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संग्रहण तथा प्रसंस्करण में विद्यमान गुणवत्ता मानक में सुधार की आवश्यकता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में संबंधित ज्ञान में कमी और ग्रामों में परवर्ती दुग्ध प्रशीतित सुविधा में कमी होने के कारण दुग्ध की

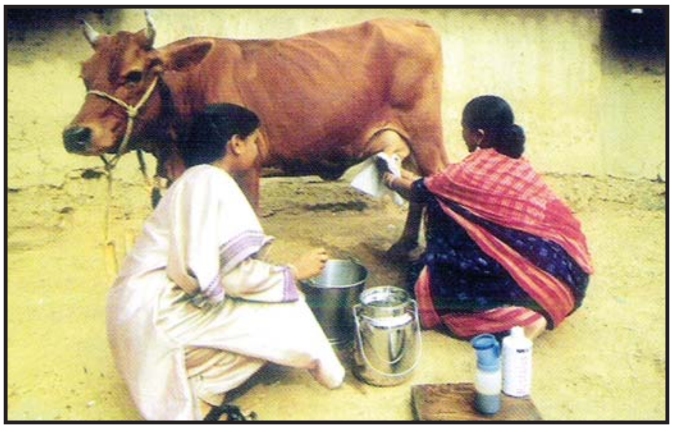

माइक्रोबायलोजिकल गुणवत्ता घटिया है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भारतीय डेयरी उत्पादों का उत्पादन आवश्यक हो गया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात संभावनाओं पर जोर देने के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वदेशी जनसंख्या को स्वच्छ दुग्ध उपलब्ध कराने के लिए भारतीय दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाया जाए।

4.4.2 इसे ध्यान में रखते हुए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने दसवीं योजना के दौरान 30.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 'गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना ' नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शुरू किया है। अक्टूबर, 2003 में अनुमोदित इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में ग्रामीण स्तर पर गुणवत्ता दूध के उत्पादन में सुधार लाना है। योजना के अन्तर्गत, बेहतर दूध दोहने की प्रक्रिया पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। किसान सदस्यों को प्रशिक्षण, डिटर्जेंट, स्टील के बर्तन, विद्यमान प्रयोगशाला सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण इत्यादि जैसे विशिष्ट घटकों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान के आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। थोक दुग्ध कूलरों के रूप में ग्रामीण स्तर पर दुग्ध प्रशीतन सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तपो-ाण की प्रक्रिया भारत सरकार तथा संबंधित डेयरी सहकारिता समिति/ संघ/राज्य सरकार के बीच 75:25 आधार पर वहन किया जाता है। 2005-06 के दौरान योजना आई डी डी पी के साथ मिला दिया गया था।

4.4.3 शुरूआत से, विभाग ने 31 दिसम्बर, 2006 तक 126.19 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 153.78 करोड़ रुपए की कुल लागत से 20 राज्यों को तथा एक संघशासित प्रदेश को शामिल करते हुए 112 परियोजनाओं को अनुमोदित किया। अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए चालू वर्ष के दौरान (31 दिसम्बर, 2006) तक 15.05 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

4.5 सहकारिताओं को सहायता

4.5.1 1999-2000 में आरंभ की गई 'सहकारिताओं को सहायता' नामक योजना बीमार डेयरी सहकारी संघों को जिला स्तर पर तथा सहकारी परिसंघों को राज्य स्तर पर पुनर्जीवन देने पर विचार करती है। पुनर्वास योजना को राष्ट्रीय

डेयरी विकास बोर्ड द्वारा राज्य डेयरी परिसंघों/जिला दुग्ध संघों के परामर्श से तैयार किया गया। प्रत्येक पुनर्वास योजना को इसके अनुमोदन की तारीख से 7 वर्षों के अंदर क्रियान्वित किया जाना है।

4.5.2 विभाग ने 192.49 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र असम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में दुग्ध संघों के 31 पुर्नवास प्रस्तावों का अनुमोदन किया था। भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ 50:50 के आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2006 तक योजना के अंतर्गत 73.14 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

4.6 डेयरी/कुक्कट उद्यम पूंजीगत निधि

4.6.1 असंगठित क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तनों को लाने के लिए ग्रामीण स्तरीय प्रसंस्करण, लागत प्रभावी तरीके से पाश्च्यूरीकृत दूध की बाजार गुणवत्ता संवर्ध्न और आधुनिक उपकरण तथ प्रवर्धन कुशलता का उपयोग करके वाणिज्यिक स्केल का रखरखाव करने के लिए परम्परागत प्रौद्योगिकी का संवर्धन और नए नस्ल के पक्षियों एवं ग्रामीण किसानों में कुक्कुट पालन के लिए कम आदान वाले प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से डेयरी उद्यम पूंजीगत निधि योजना की नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत बैंकयोग्य परियोजनाओं के माध्यम से योजनागत प्रस्ताव के तहत ग्रामीण लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में खेतिहर किसान, प्रत्येक उद्यमी, देश के विभिन्न हिस्सों के सहकारिता तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के सभी वर्गों के समूहों को शामिल किया गया है।

4.6.2 इस योजना को नाबार्ड के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है और योजना के क्रियान्वयन के लिए परिक्रामी कोष में रखे जाने के लिए 2005-06 के दौरान नाबार्ड को 15.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। वर्ष 2006-07 तथा इसके बाद इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 15.00 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2006 तक नाबार्ड को 9.20 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

4.6.3 योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक वित्तीय सहायता के पात्र हैं: -

डेयरी क्षेत्र:

क्र.सं.	घटक	अधिकतम कुल परियोजना लागत* (लाख रुपए में)
1.	छोटे डेयरी फार्म स्थापित करना दुग्ध उत्पादन के लिए दस पशु संयंत्र (भैंस/वर्ण संकरित गाएं)	3.00 लाख रुपए प्रति संयंत्र (दस पशुओं तक) कोई भी गैर ऑपरेशन फ्लड क्षेत्र। कुल लागत आवयक बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करता है।
2.	मिल्किंग मीनों/मिल्कोटेस्टर/ थोक दुग्ध प्रशीतन यूनिट इत्यादि	15.00 लाख रुपए मिल्किंग मीन, मिल्कोटेस्टर थोक दुग्ध प्रशीतन यूनिटों (2000 लीटर क्षमता तक)
3.	स्वदेशी दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरणों की खरीद।	10 लाख रूपए प्रति यूनिट यूनिट लागत रखरखाव के लिए दूध की प्रमात्रा पर निर्भर करता है। कुल लागत ढांचों के निर्माण कार्य, प्रकार और मशीनरी के स्रोत पर निवेश पर निर्भर करता है।

डेयरी क्षेत्रः

क्र.सं.	घटक	अधिकतम कुल परियोजना लागत* (लाख रुपए में)
4.	कोल्ड चेन सहित डेयरी उत्पाद के ढुलाई सुविधाएं स्थापित करना।	20 लाख रूपए प्रति यूनिट यूनिट लागत लाने ले जाने/रखरखाव के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रमात्रा/लाने ले जाने वाले उत्पादों के प्रकार पर निर्भर करता है। कुल लागत ढुलाई वाहन एवं मशीनरी के प्रकार एवं स्रोत पर होने वाले निवेश पर निर्भर करता है।
5.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं	25 लाख रुपए प्रति यूनिट -यूनिट लागत भंडारण के लिए दुग्ध/दुग्ध उत्पादों की प्रमात्रा और भंडारण के लिए उत्पादों के प्रकार पर निर्भर करता है। -जबकि लागत प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन के प्रकार एवं स्रोत पर निर्भर करता है।
6.	प्राइवेट पशुचिकित्सा क्लीनिक स्थापित करना	मोबाईल क्लीनिकों के लिए 2.00 लाख रुपए प्रति यूनिट और स्थाई क्लीनिकों के लिए 1.5 लाख रुपए प्रचालन क्षेत्र 5000 से 6000 गोपशु यूनिटों सहित 8 से 10 गांव

* भारत सरकार कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करती है।

कुक्कुट क्षेत्रः

क्र.सं.	घटक	अधिकतम कुल परियोजना लागत* (लाख रुपए में)
1.	कम आदान वाले प्रौद्योगिकी पक्षियों के साथ-साथ बत्तख/टर्की/गुनिया फाउल/क्वेल/इमू/आस्ट्रीच इत्यादि के लिए भी कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित करना।	30.00
2.	आहार गोदाम, आहार मिल, आहार विश्लेषण प्रयोगशालाएं स्थापित करना।	16.00
3.	कुक्कुट उत्पादों का विपणन (विशेष ढुलाई वाहन, शीत गृह भण्डारण सुविधाएं एवं पक्षियों को रखने के लिए शेड इत्यादि)	25.00
4.	निर्यात क्षमता के लिए अण्डा ग्रेडिंग, पैकिंग एवं भण्डारण	80.00
5.	फुटकर कुक्कुट ड्रेसिंग यूनिट (300 पक्षी प्रति दिन)	5.00
6.	कुक्क्ट उत्पादों की बिक्री के लिए अंडा/ब्रायलर काट	0.10
7.	केंद्रीय ग्रोअर यूनिट (12,5000 पक्षी प्रति बैच और प्रति वर्ष 4 बैच)	20.00

4.6.4 सहायता की प्रक्रिया

- उद्यमियों का अंशदान 10%
- भारत सरकार द्वारा प्रदत्त परिक्रामी कोष से "शून्य" ब्याज पर ऋण 50%
- कृषि कार्यकलापों के लिए लागू ब्याज पर बैंक ऋण 40%

4.6.4.1 कृषि कार्यकलापों के लिए लागू ब्याज घटक को भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों द्वारा नियमित/समय पर भुगतान किए जाने की स्थिति में 50% तक राजसहायता दी जाती है।

4.6.4.2 आरंभ से, 31.10.2006 तक नाबार्ड द्वारा 24.96 करोड़ रुपए की कुल लागत से 27 राज्यों में फैले 2606 डेयरी एवं कुक्कुट यूनिटों को मंजूरी दी गई है।

4.7 दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 -एक विनियामक अभियांत्रिकी

4.7.1 भारत सरकार ने 1991 में डेरी क्षेत्र का लाईसेंस समाप्त करने के परिणामस्वरूप, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत 9.6.1992 को दुग्ध तथा दुग्ध आदेश(एमएमपीओ) 1992 लागू किया था। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक दूध अथवा प्रतिवर्ष 500 मीटरी टन से अधिक ठोस दूध का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति/डेरी संयंत्र को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। इस आदेश का प्रमुख उद्देश्य आम जनता के हित में इच्छित गुणवत्ता के तरल दुग्ध की आपूति में वृद्धि और रखरखाव करना है और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा वितरण को विनियमित भी करना है।

4.7.2 डेयरी क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की तेज गति को बनाने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर दुग्ध और दुग्ध आदेश 1992 में संशोधन किए हैं ताकि डेरी उद्यमों को सरल बनाने के लिए इसे अधिक उदार और उन्मुख बनाया जा सके। भारत सरकार ने मार्च, 2002 में नई क्षमता को स्थापित करने संबंधी अवरोधों को दूर करने का निर्णय लिया था और मिल्क शेड की अवधारणा को समाप्त करने के लिए जबकि पाया गया है कि निर्धारित स्वच्छता, स्वास्थ्यकर मानकों, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के लिए पंजीकरण की आवश्यकता अनिवार्य है।

4.7.3 भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.10.2003 की अधिसूचना संख्या सा0 का0 1153(ई) के तहत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश -92 के पैरा 5(5) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश-92 की अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट स्वच्छता, स्वास्थ्यकर वातावरण, खाद्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश के अंतर्गत इकाईयों की आवधिक निरीक्षण करने के लिए गुणवत्ता आडिटर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद को अधिसूचित करती है। इस प्रावधान के अंतर्गत, डेयरी संयंत्रों को वर्ष में एक बार अधिसूचित निरीक्षण एजेंसियों द्वारा अपने संयंत्र का निरीक्षण कराना होगा।

4.7.4 केन्द्र और राज्य पंजीकरण प्राधिकरणों ने 31.03.2006 तक सहकारिताओं, निजी और सरकारी क्षेत्रों में 280.51 लाख लीटर प्रतिदिन की संयुक्त क्षमता के साथ 789 इकाईयों को पंजीकृत किया है। 31 जुलाई, 2006 तक निरीक्षण एजेंसियों द्वारा 425 डेयरी यूनिटों का निरीक्षण कार्य कर लिया गया था।

4.8 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा -ऑपरेशन फ्लड पूर्ण तथा सहकारी आन्दोलन का समेकन

4.8.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) एक सांविधिक निकाय है जिसे एनडीडीबी अधिनियम, 1987 के तहत संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एनडीडीबी सहकारिता के तहर्ज पर डेयरी तथा अन्य कृषि आधारित तथा संबद्ध उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना, योजना बनाना तथा कार्यक्रम आयोजित करता है तथा ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता भी प्रदान करता है।

4.8.2 ऑपरेशन फ्लड जो एकक एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम है, ने 30 अप्रैल, 1996 को अपना तीसरा चरण पूरा किया। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर पहले से प्राप्त लाभांशों को समेकित करना तथा भारत के डेयरी उद्योग के सतत विकास के लिए सहकारी ढांचे को सुदृढ़ करने पर था।

4.8.3 आपरेशन फ्लड के चरण-3 को पूरा करने के बाद निम्नतर स्तर पर सहकारिताओं को सुदृढ़ करने के लिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक कार्यक्रम क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 1997 में भारत सरकार ने उक्त समझौते की स्वीकृति दे दी। इसके परिणामस्वरूप, सितम्बर, 1997 से उपाय शुरू किए गए थे जो 2004-2005 तक जारी रहे।

4.8.4 सहकारिताओं को सुदृढ़ करना

4.8.4.1 2006-07 के दौरान डेयरी सहकारिताओं को सहकारी कार्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, उत्पादकता संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन और राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क तैयार करने के क्षेत्रों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से बराबर तकनीकी और वित्तीय समर्थन मिलता रहा। मार्च, 2006 तक 1162.50 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से डेयरी सहकारिताओं की 91 योजनाओं को स्वीकृत किया गया हैं जिसमें से ब्याज वहन करने वाले ऋणों, ब्याज मुक्त ऋणों और अनुदान के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता 937.65 करोड रुपए के बराबर है। 224.85 करोड़ रुपए की शेष राशि दुग्ध संघों/फैडरेशनों द्वारा दिया जाएगा। मार्च, 2007 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड लगभग 500 करोड़ रुपए का संवितरण करेगा।

4.8.4.2 डेयरी सहकारिताओं को अपने-अपने निदेशक मंडलों तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने तथा किसानोन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से, जहां उत्पादकों को प्रौद्योगिकी तथा डेयरी प्रणालियां दिखाई गई थीं, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सेवाएं मिलती रहीं। डेयरी सहकारिताएं सहकारी सदस्यों के रूप में महिलाओं के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ''सहकारिताओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना'' नामक कार्यक्रम क्रियान्वित करती रही और उन्हें ऐसे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती रही जा उनके सशक्तिकरण में मदद करते हैं। महिला स्वसहायता समूहों का गठन भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक रहा।

4.8.5 उत्पादकता अभिवृद्धि

4.8.5.1 वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने पशुपालन, आहार, प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से डेयरी सहकारिताओं को सहयोग दिया।

4.8.6 पशु प्रजनन

4.8.6.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा गुजरात एवं महाराष्ट्र में वर्ण संकरित और भैंस सांडों के मूल्यांकन के लिए डेयरी पशुयूथ सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। वर्ण संकरित सांडों के उत्पादन एवं मूल्यांकन के लिए मल्टी आव्यूलेशन एंड एंब्रीओ ट्रांसफर (एमओईटी) प्रौद्योगिकी पर आधारित ओपन न्यूक्लियस प्रजनन प्रणाली भी जारी है। वर्ष के दौरान, गुजरात में आनंद कृषि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मल्टीपल आव्यूलेशन तथा भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से हालेस्टियन फ्रीस्टियन और शुद्ध जर्सी बछड़ों को उत्पादित करने के काम में सहयोग जारी रखा।

4.8.6.2 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला कार्योटाइपिंग, फैट प्रोटीन जेनोटापिंग, (बोवाईन ल्यूकोसाइट अडहेशन, डेफीसिऐंसी सिंड्रोम, सिट्रूलिनिया और यूरीडाइन मोनोफासफेट सिंथेस की कमी) आनुवंशिक रोगों के स्क्रीनिंग, वंशकूल सत्यापन और हिमित वीर्य मूल्यांकन में विभिन्न सहकारिताओं के साथ-साथ सरकारी पशु फार्मों को भी पशु आनुवंशिक सेवाएं प्रदान करता रहा है।

4.8.7 पशु पोषण और आहार प्रौद्योगिकी

4.8.7.1 इस वर्ष के दौरान डेयरी सहकारिताओं ने मिश्रित गोपशु आहार के नमूनों का परीक्षण करने, बाईपास प्रोटीन

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

आहार, उनके कच्चे साम्रगियों और खनिज मिश्रणों तथा खनिज लवणों के नमूनों का परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सेवाओं का लाभ उठाया। इसके अलावा, इलैक्ट्रान कैप्चर डिटेक्टर वाले गैस क्रोमाटोग्राफ का इस्तेमाल करके आहार और चारे में कीटनाशक अपशिष्टों का परीक्षण करने संबंधी कार्य शुरू किया गया। वर्ष के दौरान डेयरी सहकारिताओं ने कम्प्यूटर आधारित राशन-सतुंलित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता का लाभ उठाया।

4.8.7.2 दुग्ध संघों ने मिनरल मैपिंग और विकास तथा क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रणों को तैयार करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता का लाभ उठाया। इस वर्ष के दौरान कर्नाटक दुग्ध परिसंघ के तहत गुब्बी में एक खनिज मिश्रण संयंत्र लगाया गया तथा रूद्रपुर, उत्तराचंल में एक यूरिया मौलासिस खनिज ब्लाक स्थापित किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दुग्ध संघों और परिसंघों द्वारा और विविधीकरण के लिए विभिन्न चारा फसलों के प्रजनक बीजों की खरीद को भी समन्वित करता रहा।

4.8.8 पशु स्वास्थ्य

4.8.8.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने खुरपका और मुंहपका रोग, हैमोरेजिक सैपटीसेमिया और ब्लेक वाटर के नियंत्रण के लिए पशुओं के व्यापक टीकाकरण को आयोजित करने में डेयरी सहकारिताओं की सहायता की। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गांवों में एंटीसैप्टिक ट्रीट स्प्रे के नियमित इस्तेमाल और मासटेक्ट द्वारा सबक्लीनिकल मासटिटिस का पता लगाने जैसे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में भी डेयरी सहकारिताओं को समर्थन दिया। डेयरी सहकारिताओं ने ऐसे गांवों की संख्या में वृद्धि की सूचना दी जो पशुचिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं।

4.8.8.2 इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने व्यापक टीकाकरण, पशु आवाजाही प्रबंधन, प्रकोप प्रबंधन, सीरो निगरानी, रोग निगरानी आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से केरल में खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण परियोजना क्रियान्वित करने में केरल सरकार को अपना समर्थन जारी रखा।

4.8.8.3 बोवाइन गोटावायरस, ब्रूसेलोसिस और संक्रामक बोवाईन रीनोट्रेचेटीटिस के विरूद्व टीकों के विकास में अनुसंधान के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कार्य के प्रयासों से काफी अच्छे परिणाम मिलें। पैरा ट्यूबरक्लोसिस, बोवाईन ट्यूबरक्लोसिस और बोवाईन जैनेटल, कैम्पीलो बैक्टीरीयोसिस के प्रयोगशाला आधारित निदान के मानकीकरण के लिए भी अध्ययन किए गए। ट्यूबरक्लोसिस, पैराट्यूबरक्लोसिस, संक्रामक बोवाईन, रिनोट्रेचिस और ब्रूसेलोसिस के लिए पशुरोग निदान सेवाएं भी जारी रहीं।

4.8.9 गुणवत्ता प्रबंधन

4.8.9.1 इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सतत सुधार लाने के लिए डेयरी सहकारिताओं की गुणवत्ता पहलकदमियों के अपना समर्थन जारी रखा। दुग्ध एकत्रीकरण और प्रशीतन में प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल, डेयरी संयंत्र खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन तथा खुदरा दुकानों पर डिलीवरी तक दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंसुलेटिड वैनों के इस्तेमाल पर जोर रहा। इस वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण और डेयरी संयंत्रों सुधार गतिविधियों को भी समर्थन दिया गया। वर्ष के दौरान 11 दूध संघों ने ग्रामीण साफसफाई पर यूनिसिफ-एनडीडीबी संयुक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन को जारी रखा। इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था है कि क्रियान्वयन गांवों में स्वच्छ और साफसफाई की स्थितियों से कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा।

4.8.10 दूध खरीद और विपणन

4.8.10.1 अप्रैल-अक्टूबर 2006 के दौरान डेयरी सहकारिताओं द्वारा औसत दुग्ध खरीद 201 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से

थोड़ी सी अधिक थी। इसी अवधि के दौरान डेयरी सहकारिताओं द्वारा औसत तरल दूध विपणन 182 लाख लीटर प्रतिदिन की खरीद थी। विपणन के क्षेत्र में डेयरी सहकारिताओं ने अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने, उत्पाद पोर्टफोलियो को विविधता देने, सेवाओं को सुधारने, ब्रिकी संवर्धन तथा उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता का लाभ उठाया।

4.8.11 नई पीढ़ी की सहकारिताएं

4.8.11.1 कंपनी अधिनियम, 1956 के उत्पादक कंपनी अध्याय के तहत शामिल दुग्ध उत्पादक कंपनियां उसी कार्य को करते हुए तथा उसी विनायामक ढांचे के भीतर सहकारिताओं के उसी स्वरूप को रखते हैं जैसा कि कंपनियों द्वारा रखा जाता है। यही कारण है कि उत्पादक कंपनियों को नई पीढ़ी की सहकारिताएं कहा जाता है।

4.8.11.2 सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में नई पीढ़ी की सहकारिताओं के संवर्धन की दिशा में पहला कदम नवम्बर, 2005 में तब उठाया गया था जब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के एक दल ने व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के बाद जूनाबढ़ के गांव में उत्पादक कंपनी कानून के प्रावधानों के तहत दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध उत्पादक संस्थाओं में संगठित करना शुरू किया था। दुग्ध खरीद संचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुग्ध एकत्रीकरण, परीक्षण और दुग्ध उत्पादकों को भुगतान के लिए नई प्रणालियां शुरू की गई हैं। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश के चितूर जिले में चितूर दुग्ध संघ की एक यूनिट बालाडी डेयरी के प्रबंधन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपा गया है, दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध उत्पादक संस्थान गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। चूंकि दोनों क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादक संस्थानों के माध्यम से दुग्ध खरीद का कार्य स्थायित्व पर पहुंच गया है। अतः उन्हें अपनी-अपनी उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.8.12 राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क का सृजन

4.8.12.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क के सृजन में सहायता की है, जिसमें डेयरी सहकारिताएं प्रमुख भागीदार तथा इंटरनेट आधारित डेयरी सूचना प्रणाली की उपयोगकर्ता है। यह प्रयास डेयरी सहकारिताओं को समयबद्ध तरीके से सूचना संकलित करने में समर्थन प्रदान करता है तथा उन्हें प्रभावी निर्णय लेने में भी मदद करता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डिजीटाईज्ड सूचना के लागत प्रभावी स्रोत के रूप में दुग्ध संघों में डेयरी भौगोलिक सूचना प्रणाली को तैनात करने में भी सुविधा प्रदान करता है।

4.8.13 परियोजनाएं

4.8.13.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने नई दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद निर्माण बुनियादी सुविधाओं के सृजन और टर्नकी अथवा परामर्शदायी आधार पर मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने/सुदृढ़ करने के लिए देश भर में विभिन्न सहकारी दुग्ध संघों को तकनीकी सहायता देनी जारी रखी। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फैडरेशन को भी तकनीकी आदान उपलब्ध कराएं तथा भारतीय मानक ब्यूरो को विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया। चालू वित्तीय वर्ष (दिसम्बर, 2006 तक) 13 टर्नकी परियोजनाएं और 9 परामर्शदायी परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं।

4.8.14 उत्पाद विकास

4.8.14.1 वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लखनऊ दुग्ध संघ उत्तरप्रदेश को दही और मिष्टी दोई के उत्पादन तथा मिथिला दुग्ध संघ बिहार को मखाना खीर के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण की शुरूआत की। इसके अलावा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सब्जी मिश्रित ताजी तथा फ्राई पनीर के लिए निर्माण प्रोसेस विकसित किए। राष्ट्रीय डेयरी विकास ने क्रीम, चीज तथा चना पायसम के लिए मानकों के मानकीकरण प्रक्रिया संबंधी अपना कार्यक्रम जारी रखा तथा चार विभिन्न फलेवरों में प्रोविभोटिक दुग्ध पेय के लिए प्रौद्योगिकी बनाने का काम भी जारी रखा।

4.9 दिल्ली दुग्ध योजना

4.9.1 दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना 1959 में की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर सम्पूर्ण दूध की सप्लाई करना तथा दुग्ध उत्पादकों को

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना था। घी, टेबल बटर, योगर्ट, पनीर, छाछ और फ्लेवर्ड दूध जैसे दुग्ध उत्पादों के निर्माण और ब्रिक्री के कार्य को भी सहायक गतिविधि के रूप में शुरू किया गया है। दिल्ली दुग्ध योजना की प्रारंभिक स्थापित क्षमता 2.55 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रसंस्करण/पैकिंग करने की थी तथापि शहर में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस क्षमता को 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के स्तर तक चरणों में विस्तारित किया गया है। दिल्ली दुग्ध योजना ने लगभग 70 फीसदी और एलएएन स्थापित किए हैं ताकि इसकी व्यापारिक गतिविधियों को स्वचालित किया जा सके। विभाग ने http://dms.gov.in नामक वेबसाइड तैयार की है ताकि संबंधित उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल कर सके।

4.9.2 प्रबंधन

4.9.2.1 दिल्ली दुग्ध योजना के प्रमुख महाप्रबंधक है। उनकी सहायता वरिष्ठ अधिकारी अर्थात उप महाप्रबंधक (प्रशासन), उप महाप्रबंधक (तकनीकी) और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की जाती है।

4.9.2.2 इसकी एक प्रबंधन समिति है जिसके पास पदों के सृजन, हानि को बट्टेखाते में डालने और मूल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की धनराशि के पुनर्विनियोजन को छोड़कर भारत सरकार के विभाग की शक्तियां हैं। मौजूदा प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), निदेशक (वित्त), उपभोक्ताओं के 2 प्रतिनिधि तथा महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना इसके सदस्य है। निदेशक/उप सचिव (डेयरी विकास) विशेष आमंत्रित है।

4.9.3 आईएसओ 9001/2000-प्रमाणीकरण

4.9.3.1 दिल्ली दुग्ध योजना को मैसर्स एसजीएस यूनाईटेड किंगडम लिमिटेड (प्रणाली एवं सेवा प्रमाणीकरण) से प्रमाणपत्र संख्या एसजी 06/0827 के तहत आई एस ओ प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है, जो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संबंध में कच्ची सामग्री की खरीद, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण के लिए 12.4.2006 से 11.4.2009 तक के लिए वैध है। यह सरकारी संगठन के लिए अति उच्च एवं मूल्यवान प्रमाणपत्रों में से एक है, जिसमें दिल्ली दुग्ध योजना के क्रियाकलापों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की अन्य डेयरियों की प्रौद्योगिकी एवं दक्षता के समतुल्य रखा गया है।

4.9.4 एचएसीसीपी प्रमाणीकरण

4.9.4.1 खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता उत्पादों के आश्वासन के रूप में प्रमाणपत्र संख्या आईएन 06/एनए 09.0112 के तहत मैसर्स एचएसीसीपी कोडक्स एलीमैंटेरियस से जोखिम विश्लेषण एवं क्रिटीकल नियंत्रण मुद्दे (एचएसीसीपी) प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है जो अच्छी किस्म के उत्पादों के निर्माण एवं विपणन में ठीक प्रकार से काम करने के लिए 22.3.2006 से 21.3.2009 तक वैध है। यह प्रमाणपत्र सुनिश्चित करता है कि दिल्ली दुग्ध योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म के उत्पादों को उपलब्ध कराने में पूरी तरह तैयार है।

4.9.5 दुग्ध खरीद

4.9.5.1 दिल्ली दुग्ध योजना मुख्यतः पड़ोसी राज्यों के राज्य डेयरी फेडरेशनों से कच्चा/ताजा दूध खरीद रही है और सहकारिता समितियों से भी यह कुछ मात्रा में दूध की खरीद करती है ताकि उनकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

4.9.5.2 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 2003-2004 से खरीदे गए दूध की कुल मात्रा नीचे दी गई हैः-

(आंकड़े लाख कि0ग्रा0 में)

वर्ष	खरीदे गए दूध की कुल मात्र्रा	औसत/प्रतिदिन
2003-04	756.87	2.07
2004 05	992.16	2.71
2005 06	1029.33	2.82
2006-07 (नवम्बर, 06 तक)	373.68	1.53

4.9.6 दुग्ध उत्पादन और वितरण

4.9.6.1 दिल्ली दुग्ध योजना निम्नलिखित किस्म के दूध को उसके सामने दिए गए बिक्री मूल्य पर प्रसंस्करित और आपूर्ति कर रही हैः-

क्र.सं.	दूध की किस्म	वसा	एसएनएफ	दर/प्रति लीटर*	से प्रभावी
1.	टोंड दूध (पाली पैक)	3.0%	8.5%	17.00 रुपए	07.09.2006
2.	टोंड दूध (खुला)	3.0%	8.5%	16.00 रुपए	07.09.2006
3.	डबल टोंड दूध	1.5%	9.0%	15.00 रुपए	07.09.2006
4.	फुल क्रीम दूध	6.0%	9.0%	21.00 रुपए	07.09.2006

* 24.01.2007 से उक्त दरों में एक रुपए की वृद्धि की गई है।

4.9.6.2 दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादनों की बिक्री के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के समूचे शहर में 1631 बूथ और 442 पूर्ण दिवसीय दूध स्टाल है, जो इस प्रकार हैः-

(क)	डी एम एस बूथ	1631
(ख)	लूज मिल्क आउटलेट	164
(ग)	15 सरकारी भवनों सहित दिल्ली दुग्ध योजना के पूर्ण दिवसीय दूध स्टाल	442

4.9.6.3 दूध बूथों को छात्रों, पूर्वसैनिकों, सेवा निवृत्त सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों, अपंग व्यक्तियों, विधवाओं, बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा देखा जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना अस्पतालों, सरकारी कैंटीनों, होस्टलों तथा रक्षा यूनिटों आदि जैसे लगभग 143 संस्थानों को भी दूध की आपूर्ति करता हैं।

4.9.7 निष्पादन उपयोगिता

4.9.7.1 दिल्ली दुग्ध योजना इस समय प्रतिदिन लगभग 2.85 लाख लीटर दूध की बिक्री कर रहा है। डीएमएस के पास अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता का लाभ उठाने के लिए, मदर डेयरी, दिल्ली के लिए प्रतिदिन लगभग 40,000 लीटर दूध का पैकिंग किया जा रहा है।

4.9.7.2 डीएमएस की बिक्री और मदर डेयरी दूध के लिए डीएमएस द्वारा पारम्परिक पैकिंग से यह 3.00 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुँच गया है, जिससे डीएमएस संयंत्र की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोगिता में वृद्धि के कारण, दूध के मूल्य में कमी आई है, जो निम्न प्रकार हैः-

वर्ष	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत में)	दूध की बिक्री (लाख लीटर में)	परिवर्ती लागत	निर्धारित लागत	कुल लागत (प्रति लीटर)
2003-04	54.6	923.53	13.85	3.11	16.96
2004-05	70.2	1212.68	14.63	2.64	17.27
2005 06	73.0	1276.39	14.35	2.23	16.58
2006-07 (नवम्बर, 06 तक)	61.0	736.30	15.70	2.43	18.13

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

4.9.7.3 वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों में बारिस, बाढ़ और सूखे के कारण कमी वाले तथा बीच की अवधि के दौरान दूध की कमी की वजह से दिल्ली दुग्ध योजना दूध की पर्याप्त मात्रा नहीं खरीद सकी और इसलिए नवम्बर, 2006 तक अपनी संयंत्र क्षमता का केवल 61.0% का ही इस्तेमाल कर सकी।

4.9.7.4 डीएमएस घी और टेबल बटर का भी उत्पादन तथा बिक्री कर रहा है। 2003-04 से घी और टेबल बटर का उत्पादन तथा बिक्री की जानकारी नीचे दर्शाई गई हैः-

(आंकड़े मी0 टन में)

वर्ष	घी		टेबल बटर	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
2003-04	452.35	290.60	74.02	53.63
2004-05	483.91	576.15	25.20	41.18
2005 06	658.88	593.95	38.85	33.84
2006-07 (नवम्बर, 06 तक)	168.72	247.00	8.55	19.49

टिप्पणीः- *बिक्री में पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है।

4.9.7.5 डीएमएस दिल्ली के नागरिकों को आपूर्ति करने के लिए योगर्ट (कुल्हड़ों में), फ्लेबर्ड मिल्क (पाउच में), पनीर (200 ग्राम/1कि0ग्रा0 पैक में) तथा छाँच (200 मि0ग्रा0 पाउच में) का भी उत्पादन तथा विपणन कर रहा है। 2003-04 से उत्पादन किया गया फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, पनीर तथा छाँच की मात्रा नीचे दर्शाई गई हैः-

वर्ष	फ्लेवर्ड मिल्क (200 मि0ली0 पाउच में)		योगट (100 ग्राम कप एवं कुल्हड़ों में)	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री*
2003-04	703	698	1427	1418
2004-05	617	611	1389	1323
2005 06	517	514	1354	1344
2006-07 (नवम्बर, 06 तक)	112	115	695	688

टिप्पणीः- * बिक्री में पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है।

वर्ष	पनीर (200ग्राम/1कि0ग्रा0 पैक में) (मीट्रिक टन में)		छाँच (200 मि0ली0 पाउच/हजार संख्या में)	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री*
2003-04	55.02	54.96	103	102
2004-05	59.72	59.58	151	147
2005 06	59.98	59.74	195	193
2006-07 (नवम्बर, 06 तक)	23.19	23.07	102	101

टिप्पणीः- * बिक्री में पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है।

4.9.8 वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

4.9.8.1 2004-2005 तथा 2005-2006 की दुग्ध अधिप्राप्ति, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन/बिक्री से संबंधित लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई हैं:-

क्र.सं.	योजना के प्रमुख घटक	2005-06		2006 07	
		लक्ष्य *	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (नवम्बर, 06तक)
1.	दुग्ध की अधिप्राप्ति (लाख किलोग्राम)	1106.00	1029.33	1145	373.68
2.	दूध की बिक्री(लाख लीटर में)	1460.00	1276.39	1560	736.30
3.	उत्पादन	878.00			
	(i)घी(मी.टन)		658.88	709	168.72
	(ii)टेबल बटर(मी.टन)		38.85		8.55

*बजट प्राक्कलन के अनुसार।

4.9.9 वित्तीय परिव्यय

4.9.9.1 कच्चे दूध,एस एम पी, बटर ऑयल, सफेद बटर आदि जैसे आदानों पर व्यय सहित सभी लेखों पर व्यय तथा पूंजीगत मदें, भारतीय संचित निधि से किया जाता है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के बिक्री की रकम को सरकारी राजस्व के खाते में डाला जाता है। बजट प्राक्क्लन तथा संशोधित प्राक्कलन में वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 तथा 2007-08 के लिए प्रदत्त/प्रस्तावित निधियां नीचे दर्शाई गई हैं:

(रुपए करोड़ में)

शीर्ष/योजना	2005-2006		2006-07			2007-08
	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय (नवम्बर, 06तक)	बजट प्राक्कलन
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर-योजना	193.00	192.50	225.00	196.06	137.16	207.36
II. योजना (i) उपकरणें की खरीद/बूथों के निर्माण के लिए	-	-	0.50	0.50	0.12	0.50
(ii) सीपीडब्लयू के माध्यम से सिविल तथा इलैक्ट्रिक निर्माण कार्य का निष्पादन	-	-	0.50	0.50	0.15	0.50
कुल (2)	-	-	**1.00**	**1.00**	**0.27**	**1.00**

टिप्पणी: * इसमें प्लांट तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन, प्रमुख कार्यो (सिविल) आदि पर होने वाले 1.97 करोड़ रुपए का योजना व्यय शामिल है।

4.9.10 उत्पादन लागत और हानि

4.9.10.1 हानि के मुख्य कारण हैं:

(1) कच्ची सामग्री, लाइट, डीजल ऑयल, पानी, पॉलिथिन फिल्म, बिजली तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं के लागत मूल्य में निरन्तर वृद्धि।

(2) 2000-01 से 2004-05 के दौरान संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग।

(3) संयंत्र और मशीनरी के प्रमुख हिस्सों का कोई उन्नयन नहीं हुआ।

4.9.11 डीएमएस के कार्यकरण/कुशलता में सुधार

4.9.11.1 गुणवत्ता नियंत्रण उपाय

गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों को सख्त किया गया है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों में मिश्रित न्यूट्रलायजरों अथवा सक्षारीय बेकार पदार्थों का शीघ्र जायजा/पहचान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के संस्थापित उपकरण में एक सोडियम मीटर तत्काल लगा दिया गया है। दूध में संदूषक तथा गंदगी का पता लगाने के लिए एक गैस तरल क्रॉमेटो ग्राम भी स्थापित किया गया है। गुणवत्ता,नियंत्रण कार्यों का और आगे उन्नयन के लिए, निम्नलिखित परीक्षण उपकरण स्थपित किए गए।

- मिल्को स्कैन (दो)
- इलेक्ट्रानिक दुग्ध परीक्षण सेंट्रीफिग्स
- कार्ल फिचर अटैचमेंट के साथ पोटेनशियोमेटेरिक ट्रिटेकटर

4.9.12 दुग्ध विपणन

- रूके हुए क्षमता का उपयोग करने के लिए मदर डेयरी के लिए 40,000 लीटर दूध का पारम्परिक पैकिंग।
- डीएमएस दूध के बूथों का आधुनिकीकरण।
- दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को लाने-ले-जाने के लिए बाहरी स्रोत से वाहनों की व्यवस्था करना।
- दूध की बिक्री के संवर्धन के लिए वितरकों/डीलरों को नियुक्त करना।
- बाजार के मांग के अनुसार नियमित एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- डीएमएस कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

4.9.13 हानि को कम करने के लिए किए गए उपाय

4.9.13.1 दिल्ली दुग्ध योजना की बिक्री में वृद्धि

4.9.13.1दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 5.00 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण/पैकिंग करने की है। 1.3.2000 से दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमत में वृद्धि से दूध की बिक्री 4..5 लाख लीटर प्रतिदिन से घटकर 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई। दूध की बिक्री में वृद्धि अप्रैल, 2003 के बाद होनी शुरू हुई और यह वर्ष 2005-06 तक मदर डेयरी के लिए दूध की कस्टम पैकिंग सहित 3.50 लाख लीटर प्रतिदिन (औसत) तक पहुंच गई।

4.9.13.1.2 दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान में दूध की बिक्री प्रतिदिन 2.49 लाख लीटर है। दिल्ली दुग्ध योजना बाजार की मांग के अनुसार पूर्व रूप से दूध की आपूर्ति कर रहा है। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना के पास अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता होने के कारण मदर डेयरी दुग्ध के पारम्परिक पैकिंग करने का निर्णय लिया गया था। इस समय, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मदर डेयरी, दिल्ली के लिए प्रतिदिन लगभग 40,000 लीटर दूध का पारम्परिक पैकिंग किया जा रहा है और इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है।

4.9.13.1.3दिल्ली दुग्ध योजना की बिक्री और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मदर डेयरी दूध की कस्टम पैकिंग मिलाकर 2.89 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई जिससे दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र की क्षमता का इस्तेमाल बढ़ा है। राजस्थान और गुजरात में बाढ़ के कारण दिल्ली दुग्ध योजना दूध की

पर्याप्त मात्रा नहीं खरीद सकी और वह वित्तीय वर्ष 2006-07 (नवम्बर, 2006 तक) में अपनी क्षमता का केवल 61% इस्तेमाल ही कर सकी।

4.9.13.2 डीएमएस के स्टाफ की संख्या में कमी

4.9.13.2.1सरकारी मशीनरी में कमी करने तथा प्रशासनिक खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, डीएमएस द्वारा स्टाफ की संख्या को कम करने का निर्णय लिया गया है:-

श्रेणी	1.4.97 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	31.3.2003 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	31.10.2005 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	30.11.2006 तक वास्तविक संख्या
"क"	29	25	25	18
"ख"	56	46	46	25
"ग"	1022	853	697	482
"घ"	1299	1222	1108	917
कुल	**2406**	**2146**	**1876**	**1442**

4.9.13.2.2स्टाफ की संख्या में कमी के कारण लगभग 4.00 करोड़ रुपए तक निर्धारित लागत में कमी होने की संभावना है।

4.9.13.3 दूध की वापसी एवं वसा और एसएनएफ हानि में कमी

4.9.13.3.1 2002-03 से पूर्व, दिल्ली दुग्ध योजना में प्रतिदिन 15-20 हजार लीटर दूध की वापसी होती थी। अगले दिन इसे निकालने से पहले इसका पुनःप्रसंस्करण/रिसाइकल किया जाता था। इस पुनः प्रसंस्करण के कारण, दिल्ली दुग्ध योजना को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था और संगठन को आवर्ती हानि होती थी। अब कड़े उपाए किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप, वापस आने वाली दूध की मात्रा घटकर प्रतिदिन 1-2 हजार लीटर रह गई है।

वसा और एसएनएफ हानियों में भी कमी आई है जो इस प्रकार है:-

वर्ष	वसा में हानि (%)	एसएनएफ हानि (%)
2002-03	2.65	2.52
2003-04	2.43	2.25
2004-05	2.42	1.68
2005-06	2.78	2.23
2006-07 (नवम्बर, 2006 तक)	2.42	2.16

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

4.9.13.4 दूध की ढुलाई के लिए परिवहन की बाहर से व्यवस्था करना

4.9.13.4.1परिवहन की बाहर से व्यवस्था चरणों में की जा रही है। 1.11.2006 तक 79 मार्गों पर बाहर से व्यवस्था की गई जिसमें सुबह के 56 मार्ग और शाम के 23 मार्ग शामिल हैं। दिल्ली दुग्ध योजना के परिवहन बेड़े से वाहनों को हटाने से श्रमिकों और कैश कलेक्शन कार्यों के साथ और इंसुलेटिड वाहनों को दिल्ली दुग्ध योजना की आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा।

4.9.13.5 दिल्ली दुग्ध योजना के प्लांट का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

4.9.13.5.1दिल्ली दुग्ध योजना का प्लांट जिसे शुरूआत में स्थापित किया गया था बहुत पुराना हो चुका है और अत्यधिक बिजली की खपत हो रही है और इस प्रकार संगठन की हानि में वृद्धि हो रही है। प्लांट की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5.00 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करना है। दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन लगभग 3.5 लीटर दूध का प्रसंस्करण कर रहा है। चूंकि यह प्लांट पुराना है, यह अपने अधिकतम क्षमता तक कार्य कर रहा है और इस प्रकार इसकी स्थापित क्षमता तक दूध का प्रसंस्करण करना संभव नहीं हो पायगा। यदि दिल्ली दुग्ध योजना का उन्नयन करने से, इसको होने वाली हानि को कम-से-कम किया जा सकता है तो कुछ समय के साथ लाभ हो सकता है। 2006-07 के दौरान, सेल्फ-डेस्लजिंग सेपारेटर, प्लेट कंडेंसर और ईटीपी अपशेष पानी के लिए रिसाईकिल सिस्टम की अधिप्राप्ति की गई है और इन्हें आरंभ किया जा रहा है। इससे दूध के उत्पादन पर बिजली की लागत में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली दुग्ध योजना का उन्नयन भी धन की उपलब्धता की स्थिति में किया जाएगा।

4.9.13.5.2दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान क्षमता उपयोगिता 61% से अधिक है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाते हुए इसकी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे है जिससे हानि में कमी हो।

4.10 दिल्ली दुग्ध योजना का निगमीकरण

4.10.1 दिल्ली दुग्ध याजना की गतिविधियां पूर्णतया वाणिज्यिक प्रकृति की है और इसलिए इसे वाणिज्यिक तर्ज पर चलाने तथा इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इसे निगमित करने का निर्णय लिया है। तदुनसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली दुग्ध योजना के स्वायत्तशासी बनाने के लिए इसका निगमीकरण करने के संबंध में विभाग के प्रस्ताव को "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन दे दिया है। विभाग इस संबंध में 12 माह के भीतर मंत्रिमंडल के पास एक विस्तृत प्रस्ताव भेजेगा।

अध्याय-5

मात्स्यिकी

अध्याय-5

मात्स्यिकी

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 मात्स्यिकी क्षेत्र देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी पहचान एक अत्यधिक आय तथा रोजगार सृजनकर्ता के रूप में की गई है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा अर्जन करने के अलावा अनेकों राजसहायता प्राप्त उद्योगों में वृद्धि करता है तथासस्ते और पौषणिक आहार का साधन भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोगों के लिए एक जीविका का साधन है। देश में मात्स्यिकी विकास का सामना करने वाली मुख्य चुनौतियों में फिन तथा शैल मछली के मत्स्य पालन के लिए सतत प्रौद्योगिकियों का विकास, मछली की पैदावार में वृद्धि, हारवेस्ट तथ पोस्ट हारवेस्ट ऑपरेशन और मत्स्यन यानों के लिए मछली उतारने एवं रखने संबंधी सुविधाओं से संबंधित मात्स्यिकी संसाधनों तथा उसकी क्षमता का जायजा लेना है।

- भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक तथा ताजा जल मछली उत्पादकों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- 2005-06 के दौरान अनुमानित मत्स्य उत्पादन लगभग 65.72 लाख टन थी।
- 429 मछली पालन विकास एजेंसियां (एफएफडीए को मंजूर किया गया था जिनमें सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के सभी संभावित जिलों को शामिल किया गया था।
- 2005-06 तक एफ एफ डी ए के माध्यम से 6.98 लाख हे0 जल क्षेत्र को वैज्ञानिक मत्स्य पालन के तहत लाया गया।
- 2005-06 के दौरान 8.25 लाख मछली पालकों/ मछुआरों को उन्नत अभ्यास में प्रशिक्षित किया गया तथा 12.04 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए।

5.2 बलित क्षेत्र

5.2.1 मात्स्यिकी राज्य का विषय है इसलिए इसके विकास के प्रयास करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। मात्स्यिकी विकास में मुख्य जोर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने, रोजगार सृजन करने और मछुआरों के कल्याण एवं उनके सामाजिक आर्थिक स्तरों में सुधार लाने पर दिया जाता है।

5.3 चालू योजनाएं

1. अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास।
2. समुद्री मात्स्यिकी, अंतःसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास।
3. मछुआरा कल्याण कार्यक्रम।
4. मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार।
5. मात्सियकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण।
6. मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता।

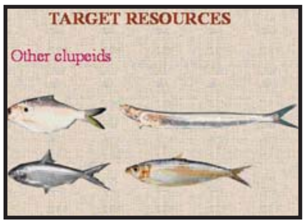

5.4 अन्तर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि का विकास

5.4.1 मैक्रो मैनेजमेंट दृष्टिकोण के तहत, राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वयन के लिए अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जलकृषि तथा कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों (जलाशय/नदियों आदि) ताजाजल, खाराजल, शीतल जल, जल जमाव क्षेत्र, सेलाईन/एल्काइन मिट्टियों के रूप में देश में उपलब्ध अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों को शामिल किया गया है। इस योजना के छः घटक हैं, यानि, ताजाजल, जलकृषि का विकास, खाराजल जलकृषि का विकास, पहाड़ी क्षेत्रों में जलकृषि, जल जमाव वाले क्षेत्रों का जलकृषि संपदा के रूप में विकास, अंतर्देशीय सेलाइन/जलकृषि तथा अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी के लिए अंतर्देशीय सेलाईन/एलकाइन का उपयोग (तालाब/नदियां आदि) ताजा जल जलकृषि का विकास घटक को राज्यों तथा खाराजल जलकृषि के विकास को एकल एजेंसी संबंधित राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से संबंधित मत्स्य कृषक विकास एजेंसी (एफएफडीए) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । देश में 429 एफएफडीए का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

5.4.2 ताजा जल जलकृषि का विकास

5.4.2.1 इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल कृषि में पूर्ण रूप से कार्यरत प्रशिक्षित एवं सुव्यवस्थित मछली पालकों के कैडर का सृजन करने के ख्याल से मत्स्य पालन को लोकप्रिय बनाना, रोजगार अवसरों का सृजन करना, जल कृषि व्यवसायों का विविधिकरण करना तथा मत्स्य पालकों को सहायता प्रदान करना है।

5.4.2.2 अन्तर्देशीय मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए पोखरों के निर्माण, पोखरों एवं तालाबों का पुर्नरुद्धार/नवीकरण,प्रथम वर्षीय आदानों(मत्स्य बीज, मत्स्य आहार,उर्वरकों,खादों आदि), एकीकृत मत्स्य पालन, बहते जल में मत्स्य पालन मत्स्य बीज हैचिरयों तथा मत्स्य बीज मिलों की स्थापना के लिए मत्स्य पालकों को राज सहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मछली की उत्पादकता में और वृद्धि करने के लिए एरेटरों की खरीद करने के उद्देश्य से प्रगतिशील मछली पालकों को सहायता भी प्रदान की जाती है।उक्त उल्लिखित क्रियाकलापों के लिए राज-सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के मछली पालकों को ऊँची दरों पर दी जाती है। ताजा जल प्राउन बीज हैचरी, प्रयोगशाला, भू तथा जल निरीक्षण कीटों, सजावटी मछली के लिए एकीकृत एककों, पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की ढुलाई के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। विकासात्मक गतिविधियों के मद में व्यय का शेयर भारत सरकार तथा राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर किया जा रहा है।

5.4.2.3 2005-06 के दौरान, जलकृषि के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र लगभग 22,758 हेक्टेयर था। उन्नत व्यवसायों में प्रशिक्षित मछुआरों की संख्या लगभग 29952 थी। मत्स्य पालन की उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने तथा एफ एफ डी ए के प्रयासों के कारण, कार्यक्रम के तहत शामिल पोखरों तथा तालाबों की राष्ट्रीय औसत उत्पादकता लगभग 2300 कि.ग्रा./हे./वार्षिक है। इस योजना के आरंभ होने से 2005-06 तक 6.98 लाख हैक्टेयर जलक्षेत्र को मछली पालन के अंतर्गत लाने का काम किया गया है तथा 8.25 लाख मछली पालकों को मत्स्य पालन के उन्नत व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 12.04 लाख लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है।

5.4.3 खाराजल जल कृषि का विकास

5.4.3.1 लघु क्षेत्रों में झींगा पालकों को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी तटवर्ती राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समहों के संघ राज्य क्षेत्रों में 39 खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वष 2005-06 के दौरान लगभग 1127 हैक्टैयर अतिरिक्त क्षेत्र को झींगा पालन के अंतर्गत लाया गया है तथा 798 किसानों को उन्नत प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया है।

5.4.3.2 योजना के आरंभ से 2005-06 तक लगभग 28885 हैक्टेयर क्षेत्र को झींगा पालन के अंतर्गत लाया जा चुका है

तथा झींगा पालन के उन्नत प्रणाली में 26536 झींगा पालकों को प्रशिक्षित तथा 25726 लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

5.4.4 वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में योजना की प्रगति

5.4.4.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास के लिए राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान 25.66 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई तथा वर्ष 2006-07 के दौरान दिसम्बर, 2006 तक 12.45 करोड़ रुपए जारी किए गए।

5.5 समुद्री मात्स्यिकी, मूलभूत संरचना एवं पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन का विकास

5.5.1 समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए कार्यक्रम

5.5.1.1 पारंपरिक नौकाओं के मोटरीकरण, इंधन पर उत्पाद शुल्क की राजसहायता द्वारा लघु मशीनीकृत क्षेत्र को सहायता देने, सुरक्षित लैंडिंग के लिए मूलभूत ढांचों की स्थापना, बर्थिंग तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन इत्यादि जैसे कई केन्द्रीय क्षेत्रों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा इस प्रकार पारंपरिक मछुआरों के सामाजिक आर्थिक हालात को सुधारने के लिए विभाग में पूरी योजना अवधि के दौरान समुद्री क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से वित्तीय सहायता जारी रखा गया है।

5.5.1.2 जीरो बेस्ड बजटिंग (जेड बी बी) एक्सरसाईज के आधार पर, तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/लाभाथी समूहों से प्राप्त जनाकरी के आधार पर चालू योजनाओं को 'समुद्री मात्स्यिकी, ढांचागत तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन का विकास' नामक व्यापक योजना के तहत लाया गया है। गहरे समुद्र में मात्स्यिकी संसाधनों के दोहन पर लक्ष्य केन्द्रित करते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संशोधित एकीकृत योजना मे नए घटकों (1) तटीय मात्स्यिकी का विकास (2) गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास(3) मूलभूत ढांचा का विकास (4) पोस्ट हार्वेस्ट संबंधी मूलभूत ढांचा का विकास को भी शामिल किया गया है।

5.5.2 योजना का घटकवार ब्यौराः

5.5.2.1 तटीय मात्स्यिकी का विकास

5.5.2.1.1 उन्नत डिजाईन के मध्यम आकार के नौकाओं की शुरुआत

5.5.2.1.1(i) 3.9 मिलियन टन के अनुमानित क्षमतावान समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों में से, लगभग 2.8 मिलियन टन मौजूदा हार्वेस्ट है। देश में संसाधन मुख्यतः गहरे समुद्र में अथवा लघु स्तरीय मत्स्यन नावों की मत्स्यन क्षमता से बाहर होने के कारण अभी शेष एक मिलियन टन का दोहन नहीं हो पा रहा है। देश के ई ई जेड के मत्स्यन क्षमता का बुद्धिमत्तार्ण दोहन के लिए पर्याप्त संख्या में समुचित रूप से डिजाइन किए गए नौकाओं की आवश्यकता है। तदनुसार उपयुक्त डिजाईन तथा नए जेनरेशन की नौकाओं को हासिल करने के लिए मछुआरा समूह को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैक्रो योजना में एक नए घटक को जोड़ा गया है।

5.5.2.1.1(ii) लगभग 18 मीटर की लंबाई वाले संसाधन विशिष्ट मत्स्यन जलयानों का मल्टी डे मध्यम वर्ग के इस घटक को प्रति यूनिट 40.00 लाख रुपए लागत के साथ क्रियान्वित किया जाना है जिसके लिए 10% समान बैक एंडेड राजसहायता को 4.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक प्रदान किया जाता है। इस घटक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(एन सी डी सी) द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

5.5.2.1.2 पारंपरिक जलयानों का मोटरीकरण

5.5.2.1.2(i) पारम्परिक जलयानों का मोटरीकरण मछुआरों के शारीरिक तनाव को कम करने और मुख्यतः फिश कैच आय में वृद्धि लाने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनके मत्स्यन क्रियाकलापों की सीमा को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक मत्स्यन क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से यह उत्पादोन्मुखी योजना सातवीं योजना के दोरान शुरु की गई थी। इस योजना को इस संशोधन के साथ जारी रखा गया है कि मात्र 8-10 एच पी के ओ बी एम के लिए राजसहायता लाभ दी जाएगी। इस

घटक के अंतर्गत 50 प्रतिशत ईंजन लागत राजसहायता के रूप में प्रति ओ बी एम क लिए अधिकतम 20,000 रुपए प्रदान किए गए हैं जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में ईंजन पर राजसहायता की पूर्ण लागत की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। सातवीं योजना से समुद्र तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अब तक 39,000 पारम्परिक जलयानों का मोटरीकरण किया जा चुका है।

5.5.2.1.3 एच एस डी ऑयल पर मछुआरा विकास संबंधी छूट

5.5.2.1.3(i) 20 मीटर लम्बाई से छोटे मत्स्यन जलयानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे एच एस डी ऑयल पर केन्द्रीय सीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना को 1990-91 में आरंभ किया गया था। उस समय में छोटे मशीनीकृत मछली पालकों/ऑपरेटरों को सहयोग देने के लिए इसे जारी रखा गया। इन जलयानों के कार्यकरण लागत में कमी लाने के लिए जिससे इन लोगों के मत्स्यन दिनों, फिश कैच और आय में वृद्धि करने मे इन्हें प्रोत्साहन दी जा सके। इस घटक के अंतर्गत एच एस डी ऑयल पर 1.50 रुपए प्रति लीटर के केन्द्रीय सीमा शुल्क लागत पर आर्थिक सहायता दी गई है, जिसे 80:20 के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाता है और एच एस डी ऑयल पर सम्पूर्ण रूप से बिक्री कर छूट प्राप्त राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र द्वारा वहन किया जाना है।

5.5.2.1.4 समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा

5.5.2.1.4(i) समुद्री मात्स्यिकी खतरनाक होने के कारण इसकी जोखिम एवं स्थायी अपंगता के अलावा मत्स्यन नौकाओं तथा उपकरणों की हानि से होती है। हाल के अध्ययन से यह पता चला है कि अधिकतम आपदा संबंधी घटनाएं घटिया उपकरणों वाले जलयान तथा जलयान बोर्ड पर आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण होता है। पता लगाने संबंधी पैकेज तथा संचार उपकरण प्रदान करके छोटे मशीनीकृत जलयानों को सुसज्जित करके इस मामले को हल करने पर विचार कर रहा है। इस घटक में 20 मीटर लंबाई से छोटे मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों पर एक वायरलेस सेट और जी पी एस स्थापित करने पर विचार किया गया है। इन मशीनों की युनिट लागत लगभग 1.50 लाख रुपए है, जिसमें से 20% पर 30,000 रुपए से अधिक नहीं, 10वीं योजना में लगभग 1,666 नौकाओं को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन सी डी सी) के जरिए बैक एंडेड राजसहायता दी जाती है।

5.5.2.2 गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास

5.5.2.2.1संसाधन विशि-ट गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयान

5.5.2.2.1(i) नवम्बर, 2002 के दौरान विभाग द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के आधार पर भारतीय अनन्य क्षेत्र मे भारतीय फ्लैग जलयानों को अनुमति देते हुए दिसम्बर, 2005 तक 25 भारतीय कंपनियों को 95 संसाधन विशिष्ट जलयानों के लिए अनुमति पत्र (एल ओ पी) जारी किए गए। दिसम्बर, 2005 तक 13 भारतीय कंपनियों द्वारा 34 अनुमति पत्रों का समर्पण किया जा चुका है तथा इसके अलावा 26 संसाधन विशिष्ट जलयानों के लिए 9 कंपनियों को अनुमति पत्र प्रदान किया गया है। इस प्रकार 21 कंपनियों को 87 अनुमति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

5.5.2.2.1(ii) सरकार द्वारा प्रोत्साहित देश गहरे समुद्र में मात्स्यिकी क्षेत्र में पूर्व में शुरू की गई स्टर्न ट्रॉलरों/झींगा ट्रालरों का बेड़ा ज्ञात क्षेत्रों में झींगा पालन के चरमरा जाने के कारण फिलहाल कम उपयोग हो रहा है तथा मछली के लिए बॉटम ट्रोलिंग गैर-लाभकारी हो गया है। तथ्यों को नजर मे रखते हुए कि समुद्री टूना की भारी मात्रा एवं ई ई जेड में इससे जुड़ी प्रतियों का प्रायौगिक तौर पर दोहन नहीं हो सकता है तथा इन ट्रालरों को मोनो-फिलामेंट लांग लाइनिंग मे परिवर्तित करने को विद्यमान ट्रालर बेड़े के कम उपयोग तथा टूना संसाधनों की दोहरी चुनौती से निपटने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप माना जा रहा है। नए घटक के तहत तकनीकी अर्जन एवं वित्तीय प्रोत्साहन इस घटक के अंतर्गत कार्यक्रम में 10 विद्यमान झींगा ट्रालरों को संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र के लिए मात्स्यिकी जलयान में परिवर्तित करना परिकल्पित है जिसके लिए प्रति जलयान 15

लाख रुपए की बैक एंडेड राजसहायता प्रदान की जाती है। दिसम्बर, 2006 तक 6 ट्रालरों को ट्यूना लांग लाईनर में रूपांतरित किया जा चुका है। आई सी ए आर केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के जरिए आयातित प्रौद्योगिकी में उपयुक्त संशोधन करके पशुपालन एवं डेयरी विभाग का अधीनस्थ कार्यालय भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के जरिए इस घटक का कार्यान्वयन किया गया है। इस घटक के अंतर्गत, जलयान मानीटरिंग प्रणाली (वी एम एस) को आरंभ करना। आरंभ मे 50 गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों को कोस्ट गार्ड को शामिल करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

5.5.2.3 बुनियादी ढांचे का विकास

5.5.2.3.1 मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों को स्थापित करना

5.5.2.3.1(i) मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कारक है जो समुद्री मछली उत्पादन में वृद्धि लाने और निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जन कराने में सहयोग देता है। मात्स्यिकी क्षेत्र की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1964 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की गई जिसका उद्देश्य है सुरक्षित रूप से मछली उतारने और मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों, पारंपरिक मत्स्यन नौकाओं और गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों को ठहराने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए सुविधाओं में है मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्र जिसमें खारा जल, वार्फ, जेट्टी ड्रेजिंग, पुनरूद्धार, क्वे, नीलामी के लिए हाल, स्लीपवे, कार्यशाला, जाल मरम्मत करने के लिए शेड और अन्य सहायक सुविधाएं शामिल हैं।

5.5.2.3.1(ii) योजना की शुरूआत से, 6 बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 58 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 189 मछली उतारने के केन्द्रों के कार्यान्वयन का कार्य विभिन्न तटीय राज्यों/संघशासित प्रदेशों में आरंभ किया गया है। इसके अलावा, 12 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 11 मछली उतारने वाले केन्द्रों के मरम्मत तथा उनके नवीनीकरण/आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया है।

5.5.2.3.1(iii) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस योजना को 'मत्स्यन बंदरगाह एवं मछली उतारने के केन्द्रों' के घटक के रूप मे मैक्रो प्रबंधन योजना के साथ मिला दिया गया है। इस घटक के क्रियान्वयन के लए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। इस घटक के तहत (1) तटवर्ती राज्य सरकारों को 50% परियोजना मूल्य तथा छोटे मत्स्यन बंदरगाह तथा मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए केन्द्र शासित प्रदेशों को 100% (2) बड़े मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए तटीय राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा पोर्ट ट्रस्ट तथा मछुआरा एसोसिएशन/संस्थाओं को 100% सहायता (3) प्रचालन एवं स्थानान्तरण (बीओटी) के आधार पर छोटे मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए 50% सहायता वाले विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को इस घटक के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस घटक के तहत नए मत्स्य बंदरगाहों/मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के अलावा,इस घटक के तहत विद्यमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण का भी काम चल रहा है तथा विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों की मरम्मत तथा नवीनीकरण/आधुनिकीकरण के लिए तटवर्ती राज्यों तथा पोर्ट ट्रस्टों को परियाजना लागत की 50% तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5.5.2.4 ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज का रख-रखाव

5.5.2.4 (i) देश के तट क्षेत्रों में प्रचालित मत्स्यन जलयान के विभिन्न वर्ग के सुरक्षित लैंडिंग तथा जलयान ठहराने की सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तटवर्ती राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा पोर्ट ट्रस्टों की सहायता से केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत मत्स्यन बंदरगाह एवं मछली उतारने की सुविधाओं को विकसित किया गया है। प्राकृतिक क्रियाकलापों के कारण उतारने के केन्द्र के गाध निकालने की शर्त पर प्रत्येक मत्स्यन बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्र को काम करना होगा। गाध निकालने की दर किसी स्थान विशेष की स्थितियों तथा अन्य हैड्रौलिक पारामीटरों तथा व्याप्त तटीय क्रियाकलापों पर निर्भर करेगा। सुरक्षित नौकायान के लिए बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्रों के बेसिन को ठीक-ठाक रखने के लिए आवधिक रख-रखाव/ड्रेजिंग

अति आवश्यक है। पहले से विद्यमान तथा भविष्य में विकसित किए जाने वाले मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के लिए नियमित रख-रखाव/ड्रेजिंग की आवश्यकता है।

5.5.2.4(ii) केन्द्रीय सहायता के तहत बनाए गए विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों द्वारा सामना की जा रही गाद की समस्याओं का हल करने के उद्देश्य से, 1248.00 मिलियन जापानी येन की जापानी अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत एक ट्रेलिंग सक्सन हापर ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज की खरीद की है। कम पानी में ड्रेजिंग के लिए ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज उपयुक्त है। 2.00 से 2.50 मीटर ड्राफ्ट और 200 क्यूबिक मीटर हापर क्षमता युक्त ड्रेजर की क्षमता से प्रति वर्ष लगभग 2.00 लाख क्यूबिक मीटर स्थिति युक्त समस्याओं को हटाया जा सकता है।

5.5.2.4(iii) पत्तन विभाग, केरल सरकार के माध्यम से ड्रेजर का प्रचालन एवं रख-रखाव किया गया जिसके लिए रख-रखाव तथा बीमा आदि का खर्च योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को योजना के तहत विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों पर ड्रेजिंग/गाध निकालने के खर्च का 50% केन्द्रीय सहायता प्रदान किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में रख-रखाव, ड्रेजिंग का पूरा खर्च संघ सरकार वहन करती है।

5.5.2.5 पोस्ट हार्वेस्ट बुनियादी सुविधाओं का विकास

5.5.2.5(i) मछली पालकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने तथा ग्राहकों को उचित मूल्य पर ताजी मछलियां उपलब्ध कराने के लिए सुविधा सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत, राज्य मात्स्यिकी सहकारिता, सहकारी संघ तथा प्राथमिक सहकारिता को मछली हैंडलिंग सेडों, हिम संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, खुदरा परिव्यय आदि के अनुरूप अपने विपणन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 1996-97 तक 19 राज्यों को 41 विपणन एकक मंजूर किए गए। 8वीं योजना में स्वीकृत एककों को पूरा करने के लिए संतुलित केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को नौवीं योजना में भी जारी रखा गया। तथापि पोस्ट हार्वेस्ट बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए तथा पोस्ट हार्वेस्ट हानि को आदर्श विपणन से कम करने के लिए 10वीं योजना के दौरान इस योजना को मैक्रो योजना के एक घटक के रूप में जारी रखा गया है।

5.5.2.5(ii) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस घटक के अंतर्गत दो उप घटक हैं यानि (1) मत्स्य संरक्षण तथा भंडारण बुनियादी सुविधाओं का विकास और (2) खुदरा बिक्री के लिए खोका, मछली की दुकान, इंसुलेटेड/प्रशीतन वाहन, आईस बॉक्स, मछली प्रदर्शन के लिए केबिनेट, कूलर इत्यादि जैसे विपणन बुनियादी ढांचे का विकास। इस कार्यक्रम को स्थान विशिष्ट तरीके से मछुआरिनों के स्व-सहायता वर्गों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, संयुक्त क्षेत्रों, सरकारी उपक्रमों, निगमों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस घटक के अंतर्गत वित्त पोषण प्रक्रिया इस प्रकार है (1) सरकारी उपक्रमों/निगमों/संघों को 100% अनुदान (1.00 करोड़ तक सीमित); (2) गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं/संयुक्त क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरिनों के समुदाय के लिए 75% अनुदान (0.75 करोड़ तक सीमित) और सामान्य क्षेत्रों में 50% अनुदान (0.50 करोड़ रुपए तक सीमित); तथा (3) पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय/ जनजातीय क्षेत्रों को 50% अनुदान (0.40 करोड़ रुपए तक सीमित) तथा सामान्य क्षेत्रों के लिए 25% अनुदान (0.25 करोड़ रुपए तक सीमित)।

5.5.3 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान योजना की प्रगति

5.5.3.1 समुद्री मात्स्यिकी, अन्तःसंरचनात्मक तथा पोस्ट हार्वेस्ट, संचालन के विकास के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को 2005-06 के दौरान 61.08 करोड़ रुपए की राशि तथा 2006-07 के दौरान 31 दिसम्बर, 2006 तक 33.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

5.6 मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम

5.6.1 इस योजना के निम्नलिखित 3 घटक हैं-

(i) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास

(ii) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुघर्टना बीमा योजना

(iii) बचत एवं राहत योजना

5.6.1.1 आदर्श मछुआरा गांवों का विकास

5.6.1.1.1इस घटक का उद्देश्य मछुआरों के गांवों में आवास, पेय जल तथा सामुदायिक हॉल का निर्माण जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। एक मछुआरा गाँव में कम से कम 10 घर होने चाहिए। प्रत्येक 20 घर के लिए एक ट्यूबवेल की दर से गाँव में ट्यूवेलों को प्रदान किया जाएगा। मनोरंजन एवं सामान्य कार्यस्थल के रूप में, एक समुदाय भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक मछुआरा गाँव में कम से कम 75 घर अनिवार्य हैं। योजना के तहत यूनिट लागत घरों के लिए 40,000 रु., ट्यूबवेलों के लिए 30,000 रु., (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 35,000 रु.) तथा समुदाय भवन के लिए 1,75,000 रु. के रूप में है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच व्यय की हिस्सेदारी समान रूप से की जाती है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में व्यय केन्द्र द्वारा पूरा-पूरा वहन किया जाता है।

5.6.1.2 सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना

5.6.1.2.1 इस घटक का उद्देश्य मछली पकड़ने में लगे सक्रिय मछुआरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे सक्रिय मछुआरों की मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में एक वर्ष के लिए 50,000 रु. तथा आंशिक अपंगता के लिए 25,000 रु. का बीमा किया जाता है। बीमा प्रीमियम की ऊपरी सीमा 15 रु. प्रति वर्ष है। वार्षिक प्रीमियम की 50 प्रतिशत की अनुदान सहायता केन्द्र द्वारा तथा बाकी 50 प्रतिशत की सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। फिश कॉपफेड के माध्यम से भाग लेने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में एकल नीति शुरू की गई है।

5.6.1.3 बचत सह राहत योजना

5.6.1.3.1इस घटक का उद्देश्य मछली पकड़ने की दृष्टि से खराब मौसम में समुद्री मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस घटक के तहत, मछली बहुलता के महीनों के दौरान लाभार्थी मछुआरे अपने उपार्जन के एक हिस्से का अंशदान करते हैं। समुद्री मछुआरों के लिए 8 महीनों के लिए अंशदान 75 रु. प्रति माह है तथा अंतर्देशीय मछुआरों के उद्देश्य से 9 महीनों के लिए 50 रु. प्रति माह है। यह अंशदान केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है तथा जमा की गई राशि को 300 रु. प्रति माह की दर से चार/तीन समान किस्तों में समुद्री/अन्तर्देशीय मछुआरों में बांट दिया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में, उनका मैचिंग शेयर केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

5.6.2 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान योजना की प्रगति

5.6.2.1 वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान बचत-सह-राहत योजना के तहत लगभग 3.28 लाख मछुआरों को कवर करने, 22053 घरों के निर्माण तथा समूह दुघर्टना बीमा घटक के तहत 16.31 लाख मछुआरों को कवर करने के लिए 33.03 करोड़ रुपए की राशि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों/फिशकापफेड को जारी की गई थी।

5.6.2.2 वर्ष 2006-07 के दौरान, लगभग 0.30 लाख मछुआरों को बचत-सह-राहत योजना के तहत कवर करने, उनके लिए 18000 से भी अधिक घरों के निर्माण तथा सामूहिक दुर्घटना बीमा के तहत 14.27 लाख मछुआरों को कवर करने के लिए 31 दिसमबर, 2006 तक 19.06 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

5.7 मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार

5.7.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है जिससे कि मात्स्यिकी विस्तार कार्यक्रम

को प्रभावी ढंग से चलाने में सहायता दी जा सके। यह योजना मछुआरों को उनकी योग्यता में सुधार लाने के लिए भी सहायता प्रदान करती है। प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह योजना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित/उन्नयन करने के लिए भी योजना प्रदान की जाती है। वर्ष 1999-00 से यह योजना राज्यों के मामले में 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता तथा संघ शासित प्रदेशों के मामले में 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के साथ चलाई जा रही है।योजना के अन्य घटक इस प्रकार हैं- मत्स्य उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में विस्तार सामग्री प्रदान करने की दृष्टि से मैनुअलों को प्रकाशित करना; प्रौद्योगिकियों पर वीडियो फिल्म तैयार करना और इसका प्रचार करना; बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों आदि का आयोजन करना है। वर्ष 2005-06 के दौरान इस योजना का विलय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम के साथ कर दिया गया है।

5.8 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान योजना की प्रगति

5.8.1 2005-06 के दौरान, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, 4 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन, जागरण केन्द्र की स्थापना, प्रशिक्षण/विस्तार मैनुअल को तैयार करने, हैंडबुकों के प्रकाशन, वृतचित्र बनाने तथा कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करने के लिए विभिन्न राज्य/संगठनों को 2.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.8.2 वर्ष 2006-07 के दौरान (31 दिसम्बर,2006 तक) मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना/उन्नयन, जागृति केन्द्रों, प्रशिक्षण/विस्तार मैनुअलों की तैयारी, हैंडबुकों के प्रकाशन, वृतचित्र बनाने तथा कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करने के लिए विभिन्न राज्य/संगठनों को 1.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

5.9 मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण

5.9.1 24.50 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग के सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ क्रियान्वयन के अधीन है।। इस नई योजना के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैः-

- अंतर्देशीय मात्स्यिकी का कैच जायजा सर्वेक्षण
- सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग
- उपग्रह डाटा का प्रयोग करके भौगोलिक सूचना पद्धति का विकास,
- अंतर्देशीय मात्स्यिकी की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर संगणना, और
- समुद्री मात्स्यिकी पर कैच जायजा सर्वेक्षण,

5.9.1.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी पर कैच जायजा सर्वेक्षण

5.9.1.1.1 मात्स्यिकी से संबंधित आँकड़ें एकत्र करके और उनसे संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परिकल्पना, अर्थ और प्रक्रिया के मानकीकरण के उत्तरदायित्व के साथ इस घटक को केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), आईसीएआर, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल को सौंपा गया है। पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और डाटा विश्लेषण पर कार्य सीआईएफआरआई द्वारा किया जा रहा है।

5.9.1.1.2 सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सी आई एफ आर आई ने पहले ही एक प्रक्रिया विकसित कर ली है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। कैच जायजा सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र डाटा को पूरा करने के लिए सीआईएफआरआई ने एक साफ्टवेयर विकसित किया है तथा उसे जारी कर दिया गया है। राज्य/संध शासित प्रदेशों के अधिकारियों को इस साफ्टवेअर के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि अंतर्देशीय मात्स्यिकी उत्पादन पर आवश्यक आंकलन रिपोर्ट तैयार की जा सके।

5.9.1.2 सूचना प्रौद्योगिकीः

5.9.1.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी घटक के तहत राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों/सीआईएफआर आई/डी ए डी

एफ मुख्यालय, भारतीय मात्स्यिकी सांख्यिकी, मुम्बई द्वारा उपकरण प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद की लिए 25 राज्यों तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश को अब तक राशि जारी की जा चुकी है।

5.9.1.3 भौगोलिक सूचना व्यवस्था का विकास:

5.9.1.3.1जी आई एस के विकास को सीआईएफआरआई बैरकपुर को सौंप दिया गया है। योजना को बनाने के समय, जल निकायों के रूप और आकार के आंकलन के लिए मानसून पश्चात अवधि के लिए एनआरएसए से आईआरएस-आई डी के उपग्रहीय चित्रों को प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। 0.5 हैक्टेयर तथा इससे अधिक क्षेत्र वाले जल निकायों का पता लगा लिया गया था तथा उनका नक्शा बना लिया गया था और बिहार तथा राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में इनका क्षेत्र सांख्यिकी भी कर लिया गया था। उसके बाद अंतर्देशीय मात्स्यिकी की गणना के घटक को जी आई एस के विकास के घटकों के साथ विलय कर देने का निर्णय लिया गया। पूरे देश को कवर करते हुए मानसून पूर्व एवं पश्चात मौसमों के लिए विविध स्पैक्ट्रल बैंडों में 5.8 मीटर विभेदन के एलआईएसएस-3 के चित्रों तथा दो मौसमों में पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में एल आई एस एस-4 ब्लैक एंड वाईट चित्रों का प्रयोग करते हुए आधुनिक कार्यप्रणाली के तहत, सीआईएफआरआई, बैरकपुर द्वारा अंतर्देशीय जल निकाय के भौगोलिक सूचना तंत्र (जी आई एस) का विकास किया जाएगा। जिलों के 30 प्रतिशत वैसे जलनिकाय जो 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले है, के ग्राउंड ट्रूथिंग को पूरा किया जाएगा। ग्राउंड टूथिंग के दौरान, जलनिकायों के किस्म, जल फैलाव क्षेत्र, जल अवरोधन, मात्स्यिकी का उपयोग आदि जैसे विभिन्न पारामीटरों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र किया जाएगा, जिसे बाद में जीआईसी में अध्यारोपित कर दिया जाएगा। इस आधुनिकीकृत प्रौद्योगिकी के साथ परियोजना के लागत को बढ़ाकर 758.24 लाख रुपए कर दिया गया है। भविष्य की आगामी योजना तथा विकास के लिए संभावित क्षेत्रों को नक्शे में मुख्य रूप से दर्शाया जाएगा। एक भू-संदर्भित मात्स्यिकी डाटा बेस प्रबंधन तंत्र विकसित किया जाएगा तथा इन सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं से जोड़ तथा नेटवर्क कर दिया जाएगा। सभी राज्यों से संबंधित मानसून पश्चात वाली अवधि के लिए जलनिकायों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है तथा मानसून-पूर्व अवधि से संबंधित यह कार्य चल रहा है।

5.9.1.4 समुद्री मात्स्यिकी संबंधी संगणना

5.9.1.4.1 समुद्री मात्स्यिकी संबंधी संगणना किए जाने के घटक को मुख्य भूमि से जुड़े समुद्री तटीय राज्यों के लिए केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी एम एफ आर आई) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) को सौंपा गया है। समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में शामिल लोगों और वस्तुओं की गणना करने के लिए इसे 2005 में सभी समुद्र तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। संगणना की रिपोर्ट को 26 जुलाई, 2006 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी समुद्र तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 3322 समुद्री मत्स्यन गांव स्थित है और लगभग 35.75 लाख समुद्री मछुआरों की कुल संख्या सहित लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप है। सभी तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लगभग 56.5% मछुआरे शिक्षा के विभिन्न स्तरों तक शिक्षित हैं और अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के आंकड़े क्रमश: 67% और 76% है। सभी तटवर्ती राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लगभग 46.8% मछुआरे सक्रिय रूप से मत्स्यन में और मत्स्यन से संबंधित सहायक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं और अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप के लिए ये आंकड़े क्रमश: 77.2% और 20.00% है। भारत में 29241 ट्रालर, 983 पर्स-सीनर्स, 14183 गिलनेटर, 8862 डालनेटर, 1190 लाइनर, 76748 मोटरीकृत, 107448 गैर मोटरीकृत और 5284 अन्य मशीनीकृत जलयान समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

5.9.1.5 समुद्री मात्स्यिकी पर कैच जायजा संबंधी सर्वेक्षण

5.9.1.5.1 समुद्री मात्स्यिकी के कैच जायजा संबंधी सर्वेक्षण को कारगर बनाने के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मंत्रालय एवं राज्य मात्स्यिकी विभागों के बीच कड़ी का काम करता है। एफ एस आई को प्रजातियों के जैवकीय घटक गीयर, बाजार पर जोर देते हुए आंकडे एकत्र करने तथा राज्य सरकारों एवं सीएम एफ आर आई से प्राप्त आँकड़ों का मिलान करने का काम सौंपा गया है। इस संबंध

में विभाग ने डीजी, एफएसआई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ सीएनएफआरआई के तौर-तरीकों को अपनाने में राज्यों को होने वाली समस्या, यदि कोई हो, का भी समाधान करेगा। 2-3 तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को साथ लेकर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए समिति चार स्थानों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा मंगलौर में मिल चुकी है।

5.9.2 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान योजना की प्रगति

5.9.2.1 इस योजना के तहत 2005-06 के दौरान 4.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी तथा 2006-07 के दौरान 31 दिसम्बर, 2006 तक 2.89 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

5.10 मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता

5.10.1 केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोची (सिफनेट)

5.10.1.1 केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोची (सिफनेट) की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मात्स्यिकी प्रशिक्षण प्रणाली आयोजित करने के लिए कोचीन में 1963 में की गई थी। उसके बाद चेन्नई और विशाखापट्टनम में इस संस्था की दो और यूनिटें स्थापित की गई थीं। उसके बाद चेन्नई तथा विशाखापट्टनम में उस संस्था की ओ और यूनिटें स्थापित की गई। मात्स्यिकी यानों के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों को तथा तटीय प्रतिष्ठानों के लिए तकनीशियनों को उपलब्ध कराना इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है।

5.10.1.2 मेट फिशिंग वैसल कोर्स तथा इंजन ड्राइवर फिशिंग वैसल कोर्स नामक 18-18 महीने के दो नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनकी कुल क्षमता 200 प्रशिक्षार्थी है। उक्त मुख्य पाठ्यक्रमों के अलावा, इन सभी केन्द्रों पर विभिन्न अल्पकालिक/सहायक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। संस्थान ने कोचीन में वर्ष 2005-06 के दौरान मत्स्यन और नौचालन विज्ञान में चार वर्षीय स्नात्तक पाठ्यक्रम शुरू किया है ।

5.10.1.3 2005-06 और 2006-07 के दौरान (दिसम्बर, 2006 तक) इन दो प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (एम एफ बी सी तथा ई डी एफ बी सी) में क्रमशः 74 और 65 लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा, 2005-06 तथा 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी, गियर प्रौद्योगिकी आदि में प्रायोजित/विभागीय उम्मीदवारों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्रमशः 892 और 50 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।

5.10.1.4 2005-06 और 2006-07 (31, दिसम्बर, 2006 तक) क्रमशः 2.55 करोड़ रुपए और 1.86 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था।

5.10.2 एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना, कोची

5.10.2.1 इस परियोजना में मछलियों की गैर-परंपरागत किस्मों का प्रसंस्करण करने, उन्हें लोकप्रिय बनाने तथा जांच करके उनका विपणन करने पर विचार किया गया है। इस परियोजना में एक शीत-सह-प्रशीतन संयंत्र, विविधिकृत मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पादकों के प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए एक सुसज्जित प्रसंस्करण यूनिट, कच्ची मछली, परियोजना द्वारा संचालित किए जानेवाले तैयार उत्पादों के गुणवत्ता विश्लेषण करने तथा विभिन्न प्रकार के मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास के लिए अनुकूल पैकेजों की जांच तथा विकास करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है। यह परियोजना मत्स्यन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मेरीन रेफ्रीजरेशन तथा मत्स्य गुणवत्ता नियंत्रण में एपरेंटिसशिप प्रशिक्षण जैसी विधाओं में संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करती है।

5.10.2.2 एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना की वर्तमान स्थिति

योजना आयोग तथा व्यय सुधार समिति द्वारा एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना के कार्यनिष्पादन के समीक्षानुसार, यह पाया गया कि एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना को छोटा किए जाने की आवश्यकता है। इसी आधार पर एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना के कार्यकलाप के अध्ययन के लिए विभाग ने काडर समीक्षा समिति सहित दो समितियां गठित की है तथा आदेश पत्र के संशोधन, इस गतिविधियों के पुनः निर्धारण, इसके कुछ गतिविधियों का विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को स्थानान्तरित

करना, तथा इसके संशोधित अधिदेश को ध्यान में रखते हुए एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना में पदों के उन्नयन सहित समितियों ने इस संबंध में कई सिफारिशें की हैं। सिफारिशों का जायजा करने के पश्चात, एकमात्र मत्स्यन जलयान और वर्तमान गिअर स्टेशन को केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनीयरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) को तथा स्लिपवे तथा अन्य सुविधाओं समेत समुद्री इंजीनीयरी प्रभाग भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना की वर्तमान चार्टर की भी समीक्षा की गई तथा ऐसी मछलियों को विपणन योग्य माल में बदलकर कम मूल्यवाली मछली का प्रोसेसिंग तथा इनके मूल्यवर्धन को एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना के महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में पता लगाया गया है।

5.10.2.2.2 तदनुसार, विभागीय कैंटीन को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को स्थानान्तरित करने सहित मात्स्यिकी अनुभाग तथा गीयर अनुभाग के स्टाफ सदस्यों को सिफनेट तथा उनके समुद्री इंजीनियरी अनुभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है। आई एफ पी में संशोधित, अधिदेश को मान्यता देने के बाद इस प्रकार अभिज्ञात किया गया हैः

1. प्रौद्योगिकी का विकास तथा ग्रामीण मछुआरा समुदाय, लघु उद्योगों तथा संपर्क तथा जाब वर्क के माध्यम से निर्यात प्रोसेसिंग हाऊसिस वाले लाभार्थियों को इसका स्थानान्तरण।

2. कम मूल्य वाली, गैर परंपरागत किस्म की तथा मौसम के दौरान प्रचुर मात्रा में पकड़ी जाने वाली मछलियों जैसे विभिन्न किस्मों के मछलियों के प्रसंस्करण तथा उत्पाद विविधिकरण द्वारा मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास।

3. पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी, प्रशीतन प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मूल्यवर्धित उत्पादों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना।

4. स्थानीय मत्स्य किसानों, मछुआरा समुदाय के स्वसहायी समूहों, कार्यरत मछुआरा सहकारिता सोसाइटियों तथा पंचायती राज संस्थान को समर्थन देते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए मत्स्य प्रसंस्करण में परामर्श तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।

5. कम मूल्यवाले, गैर पारंपरिक प्रजाति के तथा मौसम के दौरान प्रचुर मात्रा में पकड़ी जाने वाली मछलियों समेत मछली के सभी किस्मों का प्रचार तथा मूल्यवर्धित उत्पादों का जांच विपणन

6. नए क्षेत्रों में मूल्यवर्धित उत्पादों का विस्तार, प्रचार एवं जांच विपणन तथा उद्यमियों को समुद्री खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग में आने के लिए प्रोत्साहन को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से बाजार का विकास करना।

5.10.2.2.3 वर्ष 2005-06 के दौरान 100.73 टन मछलियों का प्रसंस्करण तथा 57.50 टन 4.75 टन मछलियों का विपणन किया गया। 2006-07 के दौरान (31 दिसम्बर, 2006) 72.11 टन मछली का प्रसंस्करण तथा 56.49 टन का विपणन किया गया।

5.10.2.2.4 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान (31 दिसम्बर, 2006) के दौरान क्रमशः 0.96 करोड़ तथा 1.50 करोड़ रुपए का व्यय वहन किया गया था।

5.10.3 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण

5.10.3.1 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, भारतीय ई ई जैड के समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करने के लिए नोडेल एजेंसी है। इस संस्थान के पश्चिमी तट के साथ-साथ पोरबंदर, मुम्बई, मारमुगांव तथा कोच्ची,पूर्वी तट के साथ-साथ चेन्नई तथा विशाखापत्तनम और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर में 7 ऑपरेशन बेस है। महासागर में जाने वाले कुल 13 संरक्षण जलयानों को मात्स्यिकी संसाधन संरक्षण तथा निगरानी के लिए तैनात किया जाता है। संसाधन सर्वेक्षण के अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के कार्य में विनियम तथा प्रबंधन के उद्देश्य से मात्स्यिकी संसाधनों को मनीटर करना, गहरे समुद्र एवं महासागरीय मत्स्यन के लिए विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट एवं गीअर की उपयुक्तता का जायजा लेना, सीफनेट/पालीटेकनिक प्रशिक्षुओं को इन वेसल प्रशिक्षण प्रदान करना, मत्स्यन समुदाय को विभिन्न मीडिया के माध्यम से मात्स्यिकी संसाधनों

पर जानकारी का प्रचार-प्रसार, उद्योग, अन्य उपयोगकर्ताओं आदि भी शामिल हैं। यह संस्थान एम0एस0सी तथा पीएचडी डिग्रियों के लिए मुंबई, आन्ध्र प्रदेश, चेन्नई, कोचीन तथा गोवा विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। संस्थान का सर्वेक्षण पोत बाटम ट्राल सर्वेक्षण, मिड वाटर/कालमनर संसाधन सर्वेक्षण तथा डीमर्सल, कालमनर तथा महासागरीय टूना एवं सहायक संसाधनों और महासागरीय शार्कों के लिए भी लॉंगलाइन सर्वेक्षण का कार्य करता है। इसके अलावा, पर्यावरण- हितेषी मत्स्यन प्रणालियों के विकास के लिए कई प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। वैज्ञानिक सर्वेक्षण क्रुजों में नियमित रूप से हिस्सा लेते है तथा मत्स्य संसाधनों तथा संबद्ध जैविकीय तथा पर्यावरणीय पैरामीटरों संबंधी डाटा एकत्र करते हैं।

5.10.3.2 2005-06 तथा 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) की अवधि के दौरान, सर्वेक्षण जलयानें क्रमशः 1756 तथा 1058 दिवसों के लिए समुद्र में गए थे तथा 4519 तथा 2737 घंटों तक वास्तविक मत्स्यन कार्य किया गया था जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः 266360 तथा 179935 हुकों के वास्तविक मत्स्यन प्रयास किए गए।

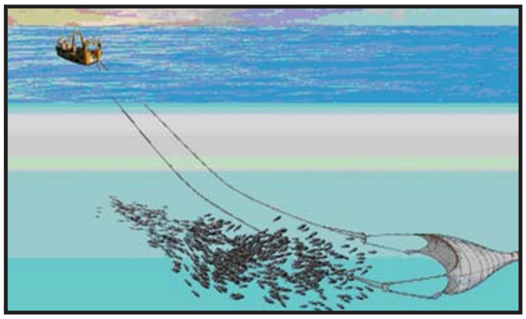

5.10.3.3 2005-06 तथा 2006-07 (31 दिसम्बर,2006 तक) क्रमशः 29.20 करोड़ रुपए तथा 15.11 करोड़ रुपए का व्यय वहन किया गया था।

5.10.3.4 संस्थान में 21 फरवरी, 2005 तक दो अप्रयुक्त जलयानों के प्रतिस्थापन में दो मोनोफिलामेंट लॉंग लाइनरों को प्राप्त करने कर लिया है। ऑन बोर्ड वैज्ञानिक कार्य सम्पन्न करने के लिए इन जलयानों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। महासागरीय टूना संसाधनों का सर्वेक्षण करने के अलावा मछुआरों को मोनोफिलामेंट मत्स्यन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाएगा।

5.10.4 केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर

5.10.4.1 1968 में बंगलौर में स्थापित इस संस्थान का उद्देश्य मत्स्यन बंदरगाह तथा खारा जल फार्मों के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिक अध्ययन आयोजित करना है। संस्थान विभाग के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत संस्वीकृत चालू मात्स्यिकी बंदरगाहों के निर्माण की प्रगति का निगरानी करता है तथा परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन में समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करता है। संस्थान तटवर्ती राज्य सरकारों को उनके द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में सहायता भी करता है। अगस्त, 2003 के दौरान संस्थान को जलाहाली स्थित एच एम टी परिसर में स्थित नए भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है। अगस्त, 2003 के दौरान यह संस्थान जलाहल्ली बंगलौर स्थित एचएमटी काम्पलेक्स के नए परिसर में स्थानान्तरित हो गये है। संस्थान द्वारा किए गए कुछ क्रियाकलाप निम्नलिखित हैंः-

(1) मत्स्यन बंदरगाह के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान तथा उनका सर्वेक्षण करना।

(2) प्राथमिक निर्माण योजनाओं तथा विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करना।

(3) इंजीनियरी तथा आर्थिक अन्वेषण

(4) खारा जल झींगा फार्मों के लिए परियोजना व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करना तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण

5.10.4.2 2005-06 के दौरान, इस संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश में थेंगापटटीनम मत्स्यन बंदरगाह, अन्थेरवेदीपलेम/बिय्यापुथिप्पा मत्स्यन बंदरगाह, कोलालेस मत्स्यन बंदरगाह के विकास के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार किया तथा जारी किया। इसने महाराष्ट्र में घोगला मछली उतारने के केन्द्र, वनकबरा एवं देवगढ़ मत्स्यन केन्द्रों से संबंधित अद्यतन परियोजना रिपोर्ट को तैयार किया तथा जारी किया।

5.10.4.3 2006-07 के दौरान (31 दिसम्बर, 2006 तक) इस संस्थान ने 68 स्थलों का सांझा सर्वेक्षण किया तथा संबद्ध राज्यों/संध शासित प्रदेशों के रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसने आन्ध्रप्रदेश में निजामपटटनम मत्स्यन बंदरगाह चरण-2 मत्स्यन बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्र तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में मायाबंदर मछली उतारने के केन्द्र के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार तथा जारी किया। गुजरात के भदेली मत्स्यन बंदरगाह तथा कर्नाटक में होन्नावर मत्स्यन बंदरगाह चरण-2 से संबंधित मसौदा तकनीकी रिपोर्ट तैयार तथा जारी किया। उड़ीसा, गोवा तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघशासित क्षेत्र) में मत्स्यन बंदरगाह/ मछली उतारने के केन्द्र के विकास के लिए मास्टर प्लान रिपोर्ट बनाया तथा जारी किया। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल राज्यों तथा संध शासित क्षेत्र पांडिचेरी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 20 मछली उतारने के केन्द्रों के विकास से संबंधित टीआरपी पर संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई प्रस्तुत किया।

5.11 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड

5.11.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को हाल ही में स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद मे है। अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र तथा समुद्र मत्स्य कैप्चर पालन, प्रसंस्करण तथा मछली के विपणन की दोहन न किए गए संभावनाओं का दोहन करने के लिए मात्स्यिकी के ईष्टतम उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए बोयोटेक्नोलॉजी सहित अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करके मात्स्यिकी के संपूर्ण विकास के लिए इस बोर्ड को 10.07.06 को आन्ध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किया गया।

5.11.2 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का उद्देश्य इस प्रकार है:-

(i) मात्स्यिकी तथा जलकृषि से संबंधित प्रमुख गतिविधियों को केन्द्र में लाना तथा उनका व्यावसायिक प्रबंधन।

(ii) विभिन्न मंत्रालयों/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा चलाए जा रहे मात्स्यिकी संबंधी गतिविधियों तथा राज्य/संघ शासित सरकारों के साथ भी समन्वय करना।

(iii) उत्पादों तथा कल्चर मात्स्यिकी के उत्पादप, प्रसंस्करण, भंडारण, आवाजाही तथा विपणन को सुधारना।

(iv) मछली के स्टॉक सहित प्राकृतिक जलीय संसाधनों का सतत प्रबंधन तथा संरक्षण प्राप्त करना।

(v) उत्पादन को बढ़ाने तथा फार्म मात्स्यिकी उत्पादकता के लिए जैव-प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना।

(vi) मात्स्यिकी के लिए आधुनिक मूलभूत मैकेनिज्म प्रदान करना तथा उनका प्रभावशाली प्रबंधन तथा इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

(vii) संपूर्ण रोजगार सृजन करना।

(viii) खाद्य तथा पौष्टिक सुरक्षा की ओर मछली के योगदान को बढ़ाना।

5.11.3 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा आरंभ किया जान वाला प्रमुख क्रियाकलाप

(i) **तालाब एवं पोखर में सघन जलकृषि** : इसका लक्ष्य उत्पादकता को 2 टन प्रति हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन प्रति हैक्टेयर के स्तर तक पहुंचाना है। बीज,आहार, रासायनिक खाद के मामले में बेहतर आदान-प्रदान करने के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से 24.1 लाख हैक्टेयर में से 8 लाख हैक्टेयर भूमि को सघन पालन में लाया जाएगा। इसके अलावा, 50,000 हैक्टैयर नई भूमि का भी सघन जलकृषि में लाया जाएगा।

(ii) **जलाशय मात्स्यिकी से उत्पादकता बढ़ानाः** मत्स्य उत्पादन को पूर्ण रूप से ऊपर उठाने का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत जलाशय है, जहां इस समय औसत उत्पादकता 16 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है, जिसे फिंगरलिंग के समुचित स्टॉकिंग के द्वार 150 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के स्तर तक लाया जा सकता है।

(iii) **खारा जल तटीय जलकृषि** : यह निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाने वाला संभावनापूर्ण क्षेत्र है तथा तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के लागू हो जाने से सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों से झींगा पालन के संबंध में उत्पन्न अनिश्चितता समाप्त हो गई है। इसलिए झींगा पालन के लिए एक लाख हैक्टेयर

अतिरिक्त क्षेत्र को लाने के लिए अगले पांच वर्षों में इसके पूर्ण विस्तार की आशा की जाती है। इसके अलावा, खारा जलीय फिनफिश के पालन के लिए एक अन्य 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जाना है।

(iv) **गहरे समुद्र में मात्स्यिकी तथा टूना प्रसंस्करणः** संसाधन विशिष्ट जलयानों की प्राप्ति के लिए परमिट पत्र प्रदान करने वाली इस योजना को इसके अलावा टूना सहित गहरे समुद्र में मत्स्य पालन संसाधन के दोहन के लिए मध्याकार नौकाओं को आरंभ करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(v) **मत्स्यपालनः** कई देशों में सफलतापूर्वक उपयोग किए गए उपयुक्त तकनीकी को अपनाकर तथा मत्स्यपालन का प्रचार-प्रसार करके, समुद्री मत्स्य उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा को आय को ठोस ढंग से बढ़ाया जा सकता है। यदि आवश्यकता हुई, तो बीज उत्पादन के लिए तकनीकी का आयात किया जाएगा। 20% की सीमा तक राजसहायता देकर फिनफिश बीज के उत्पादन में विविधीकरण लाने के लिए कुछ मौजूदा झींगा हैचरियों को भी प्रोत्साहित किया जाना है।

(vi) **सी रैचिंगः** समुद्री जल में हैचरी ब्रेड फाय आरंभ करके किया गया रैचिंग, समुद्र में प्रमुख मत्स्य नस्लों के लचर स्टाक को एक नई मजबूती देने में मदद करेगा। यह बोर्ड द्वारा संरक्षण के मामले में उठाया जाने वाले कदमों में से एक होगा। इसके तहत उपयुक्त बीज का उत्पादन एक प्रमुख क्रियाकलाप होग, जिसे मौजूदा हैचरियों के समन्वय, नर्सरियों की स्थापना तथा तकनीशियनों के आवश्यक प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है।

(vii) **सीबीड उगानाः** सीबीड का पैदावार मत्स्यपालन में विविधिकृत क्रियाकलाप है, जिसमें 2 लाख परिवारों को अनुपूरक आय तथा रोजगार प्रदान करने की संभावना है। पांच वर्षों में एनएफडीबी की भूमिका व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन तक सीमित कर दिया जाएगा।

(viii) **पोस्ट हार्वेस्ट कार्यक्रम के लिए मूलभूत सुविधाः** एनएफडीबी मौजूदा सुविधाओं को सुधारने तथा कैच के स्वास्थ्यकर हैंडलिंग के लिए पोस्ट हार्वेस्ट के रूप में अतिरिक्त सुविधाआं पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा तथा इन सारी सुविधाओं को पूर्ण रूप से तैयार हो चुके मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों पर भी उपलब्ध कराने पर केन्द्रित करेगा।

(ix) **मछली ड्रेसिंग केन्द्र तथा मछली का सोलर ड्राइंगः** घटिया हैंडलिंग आदि से होने वाले घाटे को कम करने के लिए बिक्री केन्द्रों के माध्यम से मछली का स्वास्थ्यकर ढंग से प्रसंस्कृत करने तथा पैक करने की सुविधाओं के साथ प्रमुख मछली उतारने के केन्द्रों के नजदीक मछली के ड्रेसिंग केन्द्रों को स्थापित किया जाना है।

(x) **धरेलू विपणनः** 10 नगरों में थोक बाजारों तथा 50 नगरों/शहरों के करीब 50 खुदरा बिक्री केन्द्रों की श्रृंखला को आधुनिकीकृत करने के लिए एनएफडीबी निजी उद्यमियों के साथ इक्विटी साझेदारी (20 प्रतिशत तक) कर सकता है।

(xi) **अन्य गतिविधियांः** एनएफडीबी द्वारा आरंभ किए जाने वाले अन्य प्रस्तावित गतिविधियों में ट्राउट पालन, मछलियों के लिए कृत्रिम निवास स्थान को लगाने, फिश एग्रीगेशन उपकरणों, महशीर का प्रजनन एवं पालन, सजावटी मछलियों का पालन, बिवाल्वों का पालन, समुद्री पर्ल कल्वर, जलकृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, मात्स्यिकी सेवा केन्द्रों आदि को शामिल किया गया है ।

5.11.4 9 सितम्बर, 2006 को इस बोर्ड का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की गतिविधियों के प्रभावशाली निगरानी तथा क्रियान्वयन के लिए 50 सदस्यों वाले शासी निकाय तथा 14 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

5.11.5 वर्ष 2006-2012 के लिए 2100.00 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट है। बोर्ड के विभिन्न गतिविधियों को आरंभ करने के लिए वर्ष 2006-07 के लिए 151.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। तथापि, योजना सितम्बर, 2006 में ही आरंभ की गई है इसलिए चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमानित वास्तविक व्यय 30.00 करोड़ रुपए है।

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

5.12 सुनामी राहत पैकेज

5.12.1 तटीय राज्यों तमिलनाडु ,केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह पर 26 दिसम्बर, 2004 को आए सुनामी का विनाशकारी प्रभाव डाला है। चूंकि व्यवसायिक आवश्यकता के कारण मछुआरा समुदाय तटीय इलाकों में ही बसते हैं अतः उन्हें सुनामी का सबसे ज्यादा कहर झेलना पड़ा है।

5.12.2 10,749 से अधिक लोगों ने तूफानी लहरों में अपनी जान गवाईं और उनमें से अधिकांश मछुआरे थे। इसके अलावा, वे बेघर हो गए तथा जीवन यापन के साधन यथा नाव, जाल आदि से भी हाथ धो बैठे। इसलिए विभिन्न सुनामी प्रभावित क्षेत्रों को सम्मिलित करके तथा तत्काल पुनर्वास तथा मत्स्यन गतिविधि तथा मछुआरों के जीवनयापन के साधन को पुनः आरंभ करने को ध्यान में रखते हुए ''राजीव गांधी पुर्नवास पैकेज'' नामक विशेष पैकेज को आरंभ किया गया है। इस विशेष पैकेज में कैटामरन को मरम्मत करने/बदले जाने, इंजन लगे नावों तथा मशीनीकृत नावों, मोटरों जाल इत्यादि का प्रावधान किया गया है। सुनामी प्रभावित राज्यों/ अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 2822.17 करोड़ रुपए के राहत पैकेज में से 1208.05 करोड़ रुपए को मात्स्यिकी क्षेत्र को प्रदान किया गया है जिसमें 568.81 रुपए राजसहायता के रूप में तथा 639.24 करोड़ रुपए ऋण के रूप में शामिल हैं। मत्स्यन क्षेत्र के लिए दी गई राजसहायता में 23.21 करोड़ रुपए मत्स्यन बंदरगाहों के मरम्मत तथा 545.60 करोड़ रुपए क्राफ्ट तथा गीअर की मरम्मत तथा उन्हें बदलने के लिए है। जहां तक नावों के मरम्मत /बदले जाने का प्रश्न है सभी प्रभावित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पुनर्वास कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है। तथापि, सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत कोर समूह द्वारा स्वीकृत मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण, जीवन यापन समर्थन तथा अन्य गतिविधियों जैसी लंबी अवधि के उपाय अपने विभिन्न चरणों में है।

5.13 जलकृषि संबंधी खाद्य एवं कृषि संगठन की मात्स्यिकी समिति की उप समिति के तीसरे अधिवेशन को 4-8 सितम्बर, 2006 को भारत में आयोजित करना।

5.13.1 भारत में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के जलकृषि संबंधी मात्स्यिकी समिति की उप समिति के तीसरे अधिवेशन की नई दिल्ली में 4 से 8 सितम्बर, 2006 तक मेजवानी की। माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने 4 सितम्बर, 2006 को अशोक होटल, नई दिल्ली में इस अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अधिवेशन मे संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी के प्रतिनिधि और चार अंतर सरकारी पर्यवेक्षकों तथा चार अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनां के प्रतिनिधियों के अलावा, खाद्य और कृषि संगठन के 48 सदस्य देशों ने भाग लिया। श्री अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव(मात्स्यिकी) को उप समिति का अध्यक्ष चुना गया।

अध्याय-6

व्यापारिक मामले

6.1 प्रस्तावना

6.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया है जिससे आयात प्रक्रिया के लिए सभी पशुधन उत्पाद इसके कार्यक्षेत्र में लाए जा सकें। तद्नुसार, पशुधन उत्पादों के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655(ई), मात्स्यिकी उत्पादों के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 1043(ई) और के लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2001 की संख्या 1175(ई) जारी की गई थी जिसमें सभी पशुधन उत्पादों के आयात के लिए सफाई आयात परमिट अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पशु मूल के पालतू पशु आहार मदों के आयात के लिए स्वच्छता शर्तों के संबंध में दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 को एक अधिसूचना संख्या 1842(ई) (दिनांक 4 जनवरी, 2006 को शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या 10(ई) के साथ) को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, पशु मूल के पालतू पशु आहार मदों के आयात के लिए स्वच्छता शर्तों के संबध में दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 को एक अधिसूचना संख्या 1842(ई) (दिनांक 4 जनवरी, 2006 को शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या 10(ई) के साथ) को जारी किया गया था। निर्यात कर रहे देश में रोगों की स्थिति के साथ-साथ देश में रोग की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद ही स्वच्छता आयात परमिट जारी किया जाता है।

6.2 आयात की प्रक्रिया

6.2.1 यह विभाग विभिन्न राज्य सरकारों/फार्मों/संगठनों से प्राप्त पशुधन तथा टीकों, औषधियों और बायोलाजिकल्स सहित पशुधन से संबंधित वस्तुओं के आयात/निर्यात/उत्पादन/विपणन के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई कर रहा है। इन प्रस्तावों पर विभाग के विचार को व्यापार ओर निवेश मामलों पर समिति द्वारा उक्त पर विचार करने के बाद संबंधित राज्य सरकारों/फार्मों/संगठनों के नाम से अपेक्षित आयात लाइसेंस जारी करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी/भारतीय दवा नियंत्रक (डीसीआई) को भेजे जाते हैं। व्यापार और विनिवेश मामलों पर समिति पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत और सदस्यों के रूप में सभी संयुक्त सचिवों के साथ बैठक करती है। उक्त समिति की बैठक प्रति माह नियमित रूप से होती है। इस वर्ष के दौरान समिति की 14 बैठकें हुई थी और दिसम्बर, 2006 तक विभिन्न फार्मों/संगठनों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों को 129 ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' जारी किए गए हैं।

6.2.2 पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में और सभी संयुक्त सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एक जोखिम विश्लेषण समिति का गठन किया गया है। पशुधन उत्पादों के आयात के लिए आवेदन पत्र विभाग की बेवसाइट (www.dahd.nic.in) पर उपलब्ध है। वैज्ञानिक सिद्धान्तों और ओ आई ई विनियमों के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने वाले, विभाग के तकनीकी विशे-ज्ञों द्वारा, प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच तथा विश्लेषण किया जाता है। आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने अथवा एस आई पी जारी करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों की जोखिम विश्लेषण समिति द्वारा जांच की जाती है। संयुक्त सचिव(व्यापार) को संबोधित समीक्षा/अभ्यावेदन पत्र भरकर असन्तुष्ट आवेदक जोखिम विश्लेषण समिति के निर्णय की समीक्षा करा सकते है। दिसम्बर, 2006 तक मात्स्यिकी उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए 1154 स्वच्छता आयात परमिट जारी किए गए।

6.2.3 विभाग ने हाल ही में, पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के क्रियाकलापों से जुड़े विभिन्न फार्मों/संगठनों को स्वच्छता आयात परमिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र ऑन-लाइन जमा कराने की प्रक्रिया आरंभ किया है। स्वच्छता आयात परमिट के लिए ऑन-लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया विभाग के वेबसाइट (www.dahd.nic.in) पर उपलब्ध है।

अध्याय-7

विशेष घटक योजना(एससीपी)/ जनजातीय उपयोजना(टीएसपी)

7.1 विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे क्रियाकलापों/योजनाओं की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना के लिए पृथक निधियों का आबंटन संभव नहीं है। विभाग प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रत्यक्ष लाभोन्मुखी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। तथापि, जहां कहीं भी संभव है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को अधिकतम कवरेज प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए हैं। केन्द्रीय मिनीकिट वितरण कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों से संबंधित 25 प्रतिशत खेतों में चारा बीज मिनीकिटों के वितरण तथा चारा प्रदर्शन आयोजित करने का प्रावधान है। खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पशुओं को टीका लगाने के लिए केन्द्रीय अनुदान के 20 प्रतिशत का उपयोग करने का प्रावधान है। इसी तरह, ताजा जल जलकृषि का विकास संबंधी योजना के तहत, नए मत्स्य तालाबों के निर्माण, पोखरों के पुनरुद्धार/नवीकरण, प्रथम वर्षीय आदानों, एकीकृत मत्स्य पालन आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बढ़ी हुई राजसहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

7.2 तथापि, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य की योजनाओं को तैयार करते समय उक्त क्रियाकलापों के लिए निधियों का अलग से आवंटन करें।

अध्याय-8

महिलाओं का सशक्तिकरण

8.1 पशुपालन एवं डेयरी में महिलाएं

8.1.1 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभाग में कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विभाग दिशा निर्देश के रूप में हमेशा समाज के कमजोर वर्गों को लाभ देने पर जोर देता रहा है।

8.1.2 पशुपालन क्षेत्र में, कुछ कार्यकलापों में पुरूष तथा महिलाएं साथ-साथ काम करते हैं विशेष रूप से पशुओं को चारा देने, इत्यादि का काम जो अधिकतर महिलाओं एवं पुरुष द्वारा साथ-साथ किए जाते है, इसके साथ-साथ इन्हीं पशुओं का इस्तेमाल परिवहन के लिए करने उन्हें चराने अथवा जोतने के लिए ले जाना जैसी कुछ गतिविधियां ऐसी है जो पुरू-ों द्वारा ही की जाती है। अतः पशुपालन के क्षेत्र में पुरुष तथा महिलाओं की भूमिका एक दूसरे की पूरक है और इनकी

- भारत में दूध, मीट, अंडा तथा मछली जैसे गैर खाद्य अनाज वस्तुओं के पक्ष में खाद्य उपभोग वस्तुओं में विविधता है। महिलाएं इन मदों के विपणन और मूल्यवर्धन में और बड़ी भूमिका अदा करेंगी।

भूमिका को विनिर्दिष्ट रूप से श्रेणीबद्ध कर अलग - अलग करना संभव नहीं है। पशुपालन सामान्य रूप से एक ऐसी क्रियाकलाप है जिसमें महिलाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों महिलाओं की आय क्षमता में वृद्धि के जरिए अत्यधिक रोजगार सृजन होता है जिससे अंततः विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है। अद्यतन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट (जुलाई, 04 से जून, 05 एन एस एस का 61वां चरण)के अनुसार, मुख्य या सहायक स्थिति के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र से जुड़े 22.45 मिलियन लोगों में से, लगभग 16.84 मिलियन महिलाएं हैं।

8.1.3 महिलाएं डेयरी सहकारिता आंदोलन में अग्रणी रही है जिसे प्रारंभ में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम तथा बाद में सरकार द्वारा क्रियान्वित समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से चलाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड देश भर में 50 जिला संघों में महिला डेयरी सहकारिता नेतृत्व कार्यक्रम चला रहा है। इससे डेयरी सहकारिताओं में महिला डेयरी किसानों की भागीदारी बढ़ी है। मार्च, 2006 तक, 9000 सदस्यता वाली 133 महिला डेयरी सहकारिताएं आयोजित की गई थी।

8.1.4 कुक्कुट क्षेत्र में, विशष रूप से ग्रामीण कुक्कुट संवर्धन से संबंधित योजना में, इस बात पर जोर दिया गया है कि चूंकि ग्रामीण कुक्कुट एक आय प्रतिपूरक योजना है, और इसे अधिकाशतः महिलाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, अतः महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने पर बल प्रदान किया जाना चाहिए।

8.2 मात्स्यिकी के क्षेत्र में महिलाएं

8.2.1 मात्स्यिकी के विकास में महिलाओं का योगदान और मात्स्यिकी के विभिन्न उप क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में उनके द्वारा अदा की गई सक्रिय भूमिका एक सुविदित तथ्य

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

है। समुद्री मात्स्यिकी में, महिलाएं समुद्री मात्स्यिकी कार्यकलापों में भाग नहीं लेती है । तथापि, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली मछुआरिनों का एक ठोस वर्ग जीवन यापन के साधन के रूप में पारंपरिक गियर और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मत्स्य बीज एकत्र करने, छोटी मछली पकड़ना, मुसेल, एडीवल आएस्टर, समुद्री अपतृण इत्यादि एकत्र करने के कार्य में लगी हुई हैं। मात्स्यिकी से संबंधित इन कार्यकलापों को इन महिलाओं द्वारा अपने परिवार को आर्थिक सहायता देने क लिए अपनाया जाता है न कि मात्स्यिकी उद्योग से लाभ उठाने के लिए पूर्णकालीन या अल्पावधि व्यवसाय या व्यापार के लिए किया जाता है।

8.2.2 मत्स्य विपणन मत्स्य प्रसंस्करण तथा उत्पाद विकास पोस्ट हार्वेस्ट कार्यकलापों के ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। मात्स्यिकी क्षेत्र में उनकी भागीदारी तथा योगदान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, माइक्रो वित्त, उनको ग्रुप में संगठित करना और क्षमता निर्माण कुछ बलित क्षेत्र हैं।

8.3 विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएं तथा कार्यक्रम, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, महिलाओं के लिए भी लाभकारी रहे हैं, पर इससे संबंधित कोई विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, ऐसे डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इत्यादि जैसे लाभार्थियों की श्रेणीवार जानकारी एकत्र करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्याय-9
अंतराष्ट्रीय सहयोग

9.1 अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन/समझौते

9.1.1 वर्ष 2006-07 के दौरान, विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किसी समझौता/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

9.2 विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

9.2.1 भारत में पशुपालन/मात्स्यिकी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाली विदेशी एजेंसियां मुख्यतः स्विटजरलैंड(एस डी सी) और फ्रांस सरकार हैं।

9.2.2 स्विस सरकार के सहयोग से सिक्किम में इंडो-स्विस परियोजना 31.3.2006 तक मान्य था। सिक्किम सरकार से तकनीकी अनुमति की दृष्टि से 31.3.2006 से आगे परियोजना के विस्तार के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, 31.3.2006 से चार वर्ष तक बढ़ाए जाने के लिए इस मसले को डी ई ए को संदर्भित किया गया है।

9.2.3 गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में इस समय ताजा जल प्रॉन मात्स्यिकी की स्थापना संबंधी दो परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये परियोजनाएं फ्रांस सरकार की सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं और इन्हें 31.12.2006 तक बढ़ाया गया है।

9.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहयोगिता से 28 जुलाई, 2006 को नई दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र और पाकिस्तान से स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्रियों का एवियन इंफ्लूएंजा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था।

9.4 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता

9.4.1 यह विभाग पशु स्वास्थ्य और मात्स्यिकी संबंधी निम्नलिखित अंतराष्ट्रीय संगठनों का नियमित सदस्य भी है (विभाग वार्षिक सदस्यता अंशदान दे रहा है):

क) ऑफिस इंटरनेशनल देस एपिजूडिस(ओ0आई0ई0), पेरिस, फ्रांस।

ख) इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन(आई0ओ0टी0सी0), सेशल्स -एफ0ए0ओ0 के तहत एक संगठन।

ग) एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ कमीशन फार द एशिया एंड द पैसिफिक (ए0पी0एच0सी0ए0), बैंकाक -एफ ए ओ के तहत एक संगठन।

घ) बंगाल की खाड़ी परियोजना/मात्स्यिकी के संबंध में अंतर सरकारी संगठन (आईजीओ)।

9.4.2 भारत आफिस इंटरनेशनल देस एपिजूडिस (ओ आई ई) का एक स्थायी सदस्य है जो पशु स्वास्थ्य मानक स्थापित करने के लिए उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2002 तक एक चौथी श्रेणी के सदस्य देश के रूप में भारत अब तक ओ आई ई को वार्षिक शुल्क/सदस्यता शुल्क देता रहा है। तथापि, ओ आई ई ने भारत के स्तर में वृद्धि करते हुए इसे चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में कर दिया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

अध्याय-10
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के आत्महत्या प्रवृत्त जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज

10.1 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के कई जिलें आर्थिक कठिनाई के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या की कई घटनाएं देखी गई हैं। पहचान किए गए ऐसे जिलों की संख्या 31 (आंध्र प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 6 तथा केरल में 3) है। इन जिलों में किसानों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाने के लिए विभाग विशेष पशुधन तथा मात्स्यिकी पैकेज क्रियान्वित कर रहा है। इस विशष पैकेज के घटकों को तीन वर्ष की अवधि में इस प्रकार पूरा किया जाना हैः-

10.2 विशेष पैकेज के घटक निम्न प्रकार हैं:

(i) **उच्च उत्पादकता वाले दुधारू पशुओं को शामिल करना:** प्रतिवर्ष प्रति जिला 1000 उच्च उत्पादकता वाले दुधारू पशुओं को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि आर्थिक हताशा के प्रति अधिक संवेदनशील छोटे तथा सीमांत किसानों को आय का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराया जा सके।

(ii) **बछड़ा पालन कार्यक्रम:** तीन वर्षों के लिए प्रति जिला प्रतिवर्ष 1000 उच्च उत्पादकता वाले दुधारू जानवरों को शामिल करते हुए इन वर्षों में प्रति जिला 500 मादा बछड़ों को भी शामिल करना होगा। पहचान किए गए जिलों के किसान बछड़ों के पालन में आने वाले लागत को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक साल की अवधि के लिए बछड़े के पालन पर आने वाले लागत पर 50% राजसहायता देने पर विचार किया गया है।

(iii) **गोपशु/भैंस प्रजनन सेवाएं प्रदान करना:** राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीसीबीबी) चार राज्यों में पहले ही क्रियान्वित किया जा रहा है। 31 जिलों के सभी प्रजनन योग्य गोपशु तथा भैंसों तक इन सेवाओं को मुफ्त पहुंचाने तथा घर-द्वार सेवाओं के माध्यम से सघन बनाने का प्रस्ताव है। इन जिलों में प्रत्येक पशु के लिए छूट केवल एक बार ही दिया जाएगा। इसके अलावा, 70% प्रजनन योग्य पशुओं को इस्ट्रस सिनक्रोनाइजीकरण द्वारा कवर करने का प्रस्ताव है।

(iv) **डेयरी से संबंधित पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान:** उच्च उत्पादकता वाले गायों/भैंसों के उचित स्वास्थ्य देखभाल के लिए होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए, प्रभावित जिलों के किसान इस प्रकार के खर्च को नहीं उठा सकेंगे। प्रस्ताव में सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए शामिल किए गए पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने का प्रावधान है।

(v) **दूध चिलिंग यूनिटों की स्थापना:** खरीद को सुलभ बनाने के उद्देश्य से दूध रखने के लिए चिलिंग केंद्र प्रदान करना आवश्यक है। डेयरी यूनिटों के प्रत्येक 10,000-12,000 लीटर दूध उत्पादक समूह के लिए चिलिंग केंद्रों की स्थापना के लिए इस पैकेज के तहत आवश्यक राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(v) **आहार तथा चारा आपूर्ति कार्यक्रम (नया घटक):** 31,000 उच्च उत्पादकता वाले गाय तथा भैंसों की प्रतिदिन चारा आवश्यकता 31,000 चारा ब्लॉक (14-15 किलोग्राम प्रति) बैठता है। ऐसे ब्लॉकों को खिलाने के लिए, प्रति बैच का शामिल करने के लिए प्रतिवर्ष लगने वाले व्यय का 25% सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।

(vi) **चारा स्टाक बनाने वाले यूनिटों की स्थापना:** चारा ब्लॉक बनाने वाले यूनिटों की इन प्रभावित जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां पर्याप्त मात्रा में

अनाज का भूसा, सूखा चारा आदि उपलब्ध है ऐसे प्लाटों की ओर उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए राजसहायता को 50% तक बढ़ाने तथा आत्महत्या संभावित जिलों में 20 यूनिटों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(vii) मात्स्यिकी कार्यक्रमः इन जिलों में 100 हैक्टेयर क्षेत्र में मात्स्यिकी को शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 20% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले 25% मौजूदा राजसहायता को बढ़ाकर दुगुना करके क्रमशः 40% तथा 50% कर दिया गया है। राजसहायता का पूरा भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

10.3 कुल राशि की आवश्यकता

10.3.1 इस विशेष पैकेज में 698 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत हैं, जिसमें 510.79 करोड़ रुपए बजट से तथा 187.21 करोड़ रुपए ऋण स्वरूप हैं। अगले वर्ष (2007-08) के लिए 170.00 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	घटक	3 वर्ष के लिए बजटीय आवश्यकता	2006-07 के लिए बजटीय आवश्यकताएं	2006-07 के विभाग के लिए आवश्यक अतिरिक्त परिव्यय	3 वर्षों के लिए आवश्यक ऋण
1.	उच्च पैदावार वाले दुधारू पशुओं को शामिल करना	139.50	46.50	46.50	139.50
2.	बछड़ा पालन कार्यक्रम	33.96	11.32	11.32	-
3.	प्रजनन सेवाएं	195.55	65.00	40.00	-
4.	दुधारू पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान	2.79	0.93	-	-
5.	दुग्ध प्रशीतन यूनिट स्थापित करना	12.00	4.00	-	-
6.	आहार एवं चारा आपूर्ति कार्यक्रम	86.40	28.80	28.80	
7.	चारा ब्लाक बनाने के लिए यूनिट स्थापित करना	8.50	2.85	-	8.50
8.	मात्स्यिकी कार्यक्रम	32.09	10.00	7.00	39.21
	कुल	**510.79**	**169.40**	**133.62**	**187.21**

10.4 दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य सेवा संबंधित घटक को राज्य पशुपालन विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, दुग्ध प्रशीतन प्लांट स्थापित करना राज्य डेयरी परिसंघ द्वारा और मात्स्यिकी कार्यक्रम जिले में गठित एफ एफ डी ए द्वारा किए जाते हैं। शेष घटकों को राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एन पी सी बी बी) के क्रियान्वयन के लिए चार राज्यों में गठित विशेष क्रियान्वयन एजेसियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं।

10.5 31 दिसम्बर, 2006 तक इन राज्यों को 70.95 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।